आधार

वार्षिक

रिपोर्ट

2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा)

वार्षिक रिपोर्ट
2023 - 24

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट
नई दिल्ली - 110001

अस्वीकरण:

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी लिखित वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है।
यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी लिखित रिपोर्ट ही मान्य होगी।

भाविपप्रा ©2024

यह रिपोर्ट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

संदेश - अध्यक्ष
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

यूआईडीएआई की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। यूआईडीएआई के लिए यह एक और अच्छा वर्ष रहा है, क्योंकि हमने अपनी मजबूत और सुरक्षित डिजिटल आईडी प्रणाली के साथ डिजिटल इंडिया की नींव को मजबूत बनाये रखा है। आधार देश में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली डिजिटल पहचान है, जो विभिन्न सेवाओं और लाभों को प्राप्त करने की निर्बाध सुविधा प्रदान करती है।

वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 8 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए जाते हैं। ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण के संव्यवहार में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से पता चलता है कि हम जीवन को निरंतर सुगम बना रहे हैं। यह इस बात का भी प्रमाण है कि निवासियों और संस्थानों को हमारी प्रणाली पर कितना भरोसा है।

विकास के साथ-साथ, भाविपप्रा को प्रौद्योगिकी ईकोसिस्टम में तेजी से हो रहे ऐसे परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा, जो लगातार विकसित हो रहे हैं और नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। भाविपप्रा में नेतृत्व टीम, इन चुनौतियों का सामना करने, हमारी प्रणालियों, नीतियों, और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के संबंध में स्वयं को अद्यतित करने और अनुकूल करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आधार सभी भारतीयों के लिए एक विश्वनीय और भरोसेमंद संसाधन बना रहे। वर्ष के दौरान हमने अत्यधिक नवीनतम सर्वर अवसंरचना में बदलाव करने की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसने हमें और अधिक कुशल बनाया है तथा इसके फलस्वरूप हमें तेजी से विकास करने में सहायता मिलेगी।

अपनी उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए हम भविष्य की ओर देखें तो, हम उपयोग मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, जिसमें आधार सुरक्षित और निर्बाध प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान कर सकता है।

हम ऐसे समाधानों पर भी विचार कर रहे हैं जो निवासियों की गोपनीयता को बनाये रखते हुए ऑफलाइन कागज-आधारित उपयोग को कम करे और इस प्रकार और अधिक सुरक्षित रहे।

हमने विभिन्न नई पहलों की शुरूआत की है, जिनमें प्रौद्योगिकी विकास की सर्वोत्तम परिपाटियां और जीवन में सुगमता लाना तथा सुरक्षा में सुधार के लिए एम-आधार मोबाइल ऐप का नवीकरण शामिल है। हम संगठन की बढ़ती जरूरतों का कुशलता से निवर्हन करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से अपनी टीम का विस्तार भी कर रहे हैं। इन संवर्धनों और प्रक्रिया परिवर्तनों से यह सुनिश्चित होगा कि भाविपप्रा, नवाचार और दक्षता के क्षेत्र में सतत रूप से अग्रणी बना रहेगा।

भविष्य की ओर देखते हुए, पहचान पर नए वैश्विक मानकों को स्थापित करने के साथ-साथ, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में, भारत के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में अग्रसर है। अपने प्रयासों के जरिए हम शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच के अंतर को दूर करते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने के लिए लाखों लोगों को सक्षम बनाना चाहते हैं।

मैं भाविपप्रा परिवार, कर्मचारियों, भागीदारों, सहायक स्टाफ और व्यापारियों को उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो एक उज्ज्वल और साकार भविष्य की नींव रखती हैं।

नीलकंठ मिश्रा
अध्यक्ष , भाविपप्रा

वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण

वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (ह्यप्राधिकरणह्ल) की वार्षिक रिपोर्ट, इसकी अनुसूचियों एवं अनुलग्नकों और संलग्न नोट्स के साथ, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (विवरणियां और वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसरण में, प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया।

2. इस वार्षिक रिपोर्ट में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 27 के उपबंधों के तहत भारत सरकार को अग्रेषित की जाने वाली आवश्यक जानकारी निहित है और इसमें प्राधिकरण का अवलोकन, उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण को समनुदेशित कार्यों के निष्पादन के संबंध में उसके द्वारा क्रियान्वित गतिविधियां और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राधिकरण के खातों का लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण शामिल है।

3. प्राधिकरण द्वारा पारित प्रस्ताव इस प्रकार हैः

फ. क्र. एचक्यू -14/1/2024-कॉर्ड-एचक्यू - प्राधिकरण के सदस्यगण, दिनांक 10.12.2024 के समसंख्यक एजेंडा नोट पर विचार करने के पश्चात, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का संकल्प एवं अनुमोदन करते हैं।

ह0/-
(नीलकंठ मिश्रा)
अध्यक्ष

ह0/-
(अमित अग्रवाल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह0/-
(मौसम)
सदस्य

ह0/-
(निलेश शाह)
सदस्य

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

श्री नीलकंठ मिश्रा
अध्यक्ष (अंशकालिक), भाविपप्रा

श्री नीलकंठ मिश्रा, एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। साथ ही वे ग्लोबल रिसर्च के प्रमुख और एक्सिस कैपिटल के पूर्णकालिक निदेशक हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान निवेशक सर्वेक्षणों में भारत में लगातार उन्हें श्रेष्ठ विश्लेषक का दर्जा प्रदान किया गया है। वैश्विक और भारतीय मैक्रोइकॉनोमिक प्रवृत्ति के अनुसार एक बेहद सम्मानित विशेषज्ञ और मीडिया स्तंभकार, वे क्रेडिट सुईस में दो दशक के लंबे और प्रतिष्ठित करियर, जहां वे एशिया पेसिफिक स्ट्रेटेजी के सह-प्रमुख और भारत रणनीतिकार थे, के उपरांत मई 2023 में एक्सिस में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने यूआईडीएआई में अक्तूबर 2023 में कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में यूआईडीएआई के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वे भारतीय प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं और इन्होंने भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन और 15वें वित्त आयोग जैसे सरकारी निकायों को परामर्श भी दिया है। वे सीआईआई की आर्थिक कार्य परिषद के सदस्य हैं, और कारपोरेट बोर्डों में एक सतत प्रस्तुतकर्ता हैं। इन्होंने एचयूएल और इन्फोसिस में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वे आईआईटी कानपुर से स्वर्ण पदक विजेता और विशिष्ट पूर्व-छात्र पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं तथा इन्होंने आईआईटी के प्रवेश परीक्षा में भी चतुर्थ रैंक प्राप्त किया था।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

प्रोफेसर मौसम
सदस्य (अंशकालिक), भाविपप्रा

प्रो. मौसम आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं और वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सिएटल में एक संबद्ध संकाय सदस्य हैं। वे आईआईटी दिल्ली में यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक प्रमुख हैं। इन्होंने शोध के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विभिन्न संभावनाओं का पता लगाया है, जिसमें स्केलिंग संभाव्य नियोजन एल्गोरिदम, वेब से बड़े पैमाने पर सूचना प्राप्त करना और क्राउड सोर्स्ड प्लेटफॉर्म पर जटिल गणना को समर्थ बनाना भी शामिल है। इन्होंने अक्तूबर 2023 में यूआईडीएआई में कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में यूआईडीएआई के अंशकालिक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

श्री नीलेश साह
सदस्य (अंशकालिक), भाविपप्रा

श्री नीलेश शाह कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अंशकालिक सदस्य हैं। इन्होंने तीन दशक से अधिक समय तक स्थानीय और वैश्विक निवेशकों के लिए ऋण, इक्विटी और रियल एस्टेट में निवेश बैंकिंग और निवेश प्रबंधन को कवर करते हुए एक्सिस बैंक समूह, आईसीआईसीआई बैंक समूह और फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड में शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वे गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरिट रैंक के कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। इन्होंने अक्तूबर 2023 में यूआईडीएआई में कार्यभार ग्रहण किया और वे वर्तमान में यूआईडीएआई के अंशकालिक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

श्री अमित अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविपप्रा

श्री अमित अग्रवाल की भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में नियुक्ति जून 2023 में हुई और वर्तमान में वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में, इन्होंने भारत सरकार और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों में विस्तृत रूप से प्रौद्योगिकी, वित्त, नवाचार और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं।

इनकी प्रारंभिक नियुक्तियों में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपर सचिव, वित्त मंत्रालय में अपर सचिव और संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार में वाणिज्यिक कर और तकनीकी शिक्षा के राज्य विभागों के प्रभारी सचिव, राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के प्रमुख और जिला प्रशासन और स्थानीय सरकारी संस्थानों के प्रमुख की नियुक्तियां शामिल हैं।

वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के पूर्व छात्र हैं और इन्होंने कई प्रौद्योगिकी कंपनियों, बैंकिंग संस्थानों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड में अपनी सेवाएं दी हैं।

विषय सूची

1. अवलोकन 1-8

1.1 वर्ष 2023-24 1
1.2 सबसे विश्वसनीय पहचान 1
1.3 भाविपप्रा का सृजन 2
1.4 भाविपप्रा का सफर 4
1.5 भाविपप्रा के उद्देश्य 6
1.6 भाविपप्रा को समनुदेशित कार्य 6

2. संगठनात्मक संरचना 9-14

2.1 प्राधिकरण की संरचना 10
2.2 प्रधान कार्यालय की संरचना 10
2.3 क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना 12

3. भाविपप्रा की कार्यप्रणाली 15-42

3.1 अवलोकन 15
3.2 नामांकन एवं अद्यतन ईकोसिस्टम 17
3.3 नामांकन भागीदार 18
3.4 नामांकन प्रक्रिया 18
3.5 आधार नामांकन प्रगति 20
3.6 आधार डेटा अद्यतन 20
3.7 आधार सेवा केंद्र 24
3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 26
3.9 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम 26
3.10 अधिप्रमाणन भागीदार 27
3.11 आधार अधिप्रमाणन सेवाएं 27
3.12 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम में प्रमुख विकास 33
3.13 संभारिकी एवं सीआई ईकोसिस्टम 36
3.14 आधार पत्र मुद्रण और वितरण 36
3.15 ई-आधार 37
3.16 आर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा 37
3.17 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम 38
3.18 ग्राहक संबंध प्रबंधन 39
3.19 आधार सहायक सेवाएं - आधार संपर्क केंद्र 40
3.20 चैटबॉट सेवाएं 42

4. डेटा सुरक्षा एवं निजता 43-48

4.1 डेटा सुरक्षा एवं निजता संरक्षण 43
4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता 43
4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार नामांकन 44
4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन 45
4.5 लिंकेज के बिना न्यूनतम डेटा 45
4.6 डेटा का कोई एकीकरण नहीं 45
4.7 इष्टतम अनभिज्ञता 45

4.8 स्थान की अनभिज्ञता 46
4.9 संघबद्ध डेटा मॉडल तथा एक-मार्गी संयोजन 46
4.10 आधार डेटा की सुरक्षा 46
4.11 भाविपप्रा आईएसओ 27001:2013 द्वारा प्रमाणित 47
4.12 आईएसओ/ आईईसी 29100:2011 एवं आईएसओ/ आईईसी 27701: 2019 का भाविपप्रा द्वारा अनुपालन 47
4.13 ''संरक्षित प्रणाली'' के रूप में सीआईडीआर अवसंरचना की घोषणा 47
4.14 सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी-एसपी) 48
4.15 बाह्य ईकोसिस्टम भागीदारों की सूचना सुरक्षा का मूल्यांकन 48
4.16 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली 48

5. आधार - सुशासन में उपयोग 49-54

5.1 आधार - शासन में सुधार हेतु एक उपकरण 49
5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार 52
5.3 डीबीटी योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार का उपयोग 53
5.4 आधार अधिनियम 2016 (संशोधित) की धारा 4 के तहत राष्ट्र के हित में निर्धारित उद्देश्यों के लिए आधार का उपयोग 54

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले 55-60

6.1 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति (पीओएसएच नीति) 55
6.2 भाविपप्रा में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 55
6.3 नागरिक चार्टर 56
6.4 ज्ञान प्रबंधन पोर्टल 56
6.5 नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ 57
6.6 भाविपप्रा की वेबसाइट 57
6.7 एकीकृत मोबाइल ऐप 60

7. 2023-24 की प्रमुख विशेषताएं और पहल 61-80

7.1 घरेलू और वैश्विक आउटरीच 61
7.2 आधार ईकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण 64
7.3 भाविपप्रा प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा परियोजनाएं और पहल 64
7.4 2023-24 में अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम की विशेषताएं 70
7.5 2023-24 में सीआरएम प्रभाग की विशेषताएं 71
7.6 मानव संसाधन प्रभाग की मुख्य विशेषताएं 71
7.7 प्रशासन प्रभाग की मुख्य विशेषताएं 73

8. भावी योजनाएं ..... 81 -84

8.1 प्रौद्योगिकी विकास 81
8.2 प्रौद्योगिकी प्रचालन 82
8.3 मानव संसाधन प्रभाग 83
8.4 प्रशासन प्रभाग 84

9. वित्तीय कार्य-निष्पादन 85-88

9.1 भाविपप्रा निधि 85
9.2 बजट एवं व्यय 85
9.3 सेवाओं से प्राप्तियाँ 88

10. वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लेखापरीक्षित विवरण 89-142

11. अनुलग्नक 143-158

11.1 अनुलग्नक 1:आधार अधिनियम, 2016.....143
11.2 अनुलग्नक 2: आधार विनियम.....145
11.3 अनुलग्नक 3: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची.....148
11.4 अनुलग्नक 4: 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार परिपूर्णता रिपोट.....158

12. लघुरूपण.....159-167

तालिकाओं की सूची

तालिका 1 – वर्तमान संरचना.....10
तालिका 2 – भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना.....12
तालिका 3 – राज्य स्तरीय कार्यालय एवं उनके क्षेत्राधिकार.....13
तालिका 4 – माहवार आधार सृजन (2023-24).....22
तालिका 5 – वर्षवार और संचयी हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहार.....30
तालिका 6 – माहवार हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहार (2023-24).....30
तालिका 7 – वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार.....32
तालिका 8 – माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2023-24).....32
तालिका 9 – वर्षवार और संचयी चेहरा अधिप्रमाणन संव्यवहार.....34
तालिका 10 – प्रदान किए गए प्रशिक्षकों का विवरण (01.04.2023 से 31.03.2024).....39
तालिका 11 – कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (2023-24).....55
तालिका 12 – 2015-16 से 2023-24 तक बजट आकलन/संशोधित आकलन के तहत बुक किए गए व्यय का विवरण.....86
तालिका 13 – वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट और व्यय का सारांश.....86
तालिका 14 – वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सेवाओं से हुई प्राप्तियों का विवरण.....88
तालिका 15 – विनियमों की सूची.....145

आकृतियों की सूची

आकृति 1 – संगठनात्मक संरचना.....9
आकृति 2 – भाविपप्रा प्रधान कार्यालय का ऑर्गेनोग्राम.....11
आकृति 3 – भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों की ऑर्गेनोग्राम.....14
आकृति 4 – राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार संतृप्ति (31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार).....17
आकृति 5 – विभिन्न आधार सेवाओं के लिए एक व्यक्ति द्वारा संदेय प्रभार (31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार).....25

ग्राफों की सूची

ग्राफ 1 – वर्षवार आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2024).....21
ग्राफ 2 – संचयी आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2024).....21
ग्राफ 3 – वर्षवार आधार अद्यतन.....25
ग्राफ 4 – वर्षवार हाँ/नहीं आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार.....29
ग्राफ 5 – संचयी हाँ/नहीं आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार.....29
ग्राफ 6 – वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार.....31
ग्राफ 7 – संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार.....31
ग्राफ 8 – वर्षवार चेहरा अधिप्रमाणन.....35
ग्राफ 9 – संचयी चेहरा अधिप्रमाणन.....35
ग्राफ 10 – बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जुडे.आधारों की प्रगति.....49
ग्राफ 11 – एईपीएस संव्यवहार की प्रगति मई 2014 से.....50
ग्राफ 12 – एपीबी से संव्यवहार की प्रगति.....51
ग्राफ 13 – एपीबी पर संव्यवहार के मूल्य की प्रगति.....52
ग्राफ 14 – 2015-16 से 2023-24 तक बीई/आरई के तहत बुक किए गए व्यय का विवरण.....87
ग्राफ 15 – वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सेवाओं से हुई प्राप्तियों का विवरण.....88

1. अवलोकन

1.1 वर्ष 2023-24

1.1.1 वर्ष 2023-24 देश और विश्व के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहा। वर्ष 2023-24 में यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि हम महामारी के झटके से पूरी तरह से उबरने की राह पर हैं। जीवन काफी हद तक सामान्य हो गया है और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। वैश्विक कारकों, जैसे मुद्रास्फीति, युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे, डॉलर के मजबूत होने आदि के कारण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिसने कुछ हद तक दुनिया के विभिन्न भागों में सुधार को प्रभावित किया है। हालाँकि, भारत की आर्थिक प्रगति से पता चलता है कि हम सुधार की राह पर हैं और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।

1.1.2 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट मुख्य रूप से यूआईडीएआई की कार्यप्रणाली और ईकोसिस्टम का उल्लेख करती है। यह विभिन्न पहलों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों, भावी लक्ष्यों आदि की पूर्ण जानकारी भी देती है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण के वित्तीय ब्योरे और खातों के विवरण का भी उल्लेख किया गया है।

1.2 सबसे विश्वसनीय पहचान

1.2.1 सबसे विश्वसनीय पहचान, आधार के साथ, भारत ने व्यक्तिगत रूप से आबादी को सशक्त बनाने के लिए पहचान का एक ऐसा भरोसेमंद परिप्रेक्ष्य दिया है कि कोई भी विकास के रास्ते पर पीछे न रहे। यह उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ सेवाओं, लाभों और सब्सिडी के पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है। आधार भारत में किसी अन्य पहचान दस्तावेज की तुलना में अधिक आत्मविश्वास और विश्वास को प्रेरित करता है। वर्तमान में, दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति आधार धारक है।

1.2.2 आधार - 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या - में परिवर्तन लाने की जबरदस्त क्षमता है, क्योंकि यह लोगों को कई तरीकों से सशक्त बनाता है, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास की भावना प्रबल हो सके। यह सब आधार की तकनीक, इसके प्लेटफॉर्म, इसकी प्रमाणीकरण संरचना और सत्यापन योग्य पहचान के रूप में इसके उपयोग के कारण संभव हो पाया है।

1.2.3 आधार से पहले के दिनों में किसी की पहचान को साबित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस असमर्थता ने न केवल सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदान किए जाने वाले लाभ, सब्सिडी और अन्य अनुदानों को प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने में समाज के गरीब और वंचित वर्गों को रोका, बल्कि यह छद्म/जाली और नकली पहचान के लिए संसाधनों की विविधता और लीकेज का भी कारण बनी। विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की एजेंसियों को, निवासियों के लिए सेवाएं प्रदान करने के संबंध में पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन पहचान के सत्यापन के अभाव, फर्जी अभ्यावेदनों, सुविधाओं के दुरुपयोग और दुर्लभ सरकारी संसाधनों की चोरी का कारण बनते हैं। आधार पूर्व दिनों में, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सत्यापित पहचान दस्तावेज/नंबर नहीं था, जिसका उपयोग निवासियों और सेवा प्रदाता एजेंसियां विश्वास, सहजता और आत्मविश्वास के साथ किया जा सके।

1.2.4 इस पृष्ठभूमि के समक्ष सितंबर 2010 में, एक बड़े पैमाने पर तकनीकी रूप से जटिल पहचान कार्यक्रम, जिसे तत्समय विशिष्ट पहचान (यूआईडी) कार्यक्रम कहा गया, मानव इतिहास में अभूतपूर्व, को शुरू किया गया था। इसने भारत के प्रत्येक निवासी को न्यूनतम जनसांख्यिकीय डेटा जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग और बायोमेट्रिक के आधार पर विशिष्ट पहचान देने की परिकल्पना की, जिसमें फोटो के साथ दस उंगलियों के निशान और आईरिस शामिल थे। चूंकि आधार बायोमेट्रिक के डि-डुप्लीकेशन पर आधारित है, इसलिए डुप्लिकेट, छद्म और नकली पहचान, जिन्हें ज्यादातर अन्य कार्यक्रमों में शामिल किया जाता था, यहां लगभग असंभव थी।

1.2.5 विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या, आधार के रूप में विख्यात, की भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से यूआईडी नंबर स्थापित करने के उद्देश्य से एक परियोजना के रूप में कल्पना की गई, ताकि (क) डुप्लिकेट और नकली पहचान को समाप्त करने के लिए इसे पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जा सके, और (ख) यह किफायती तौर पर आसानी से सत्यापित और प्रमाणित हो सके।

1.3 भाविपप्रा का सृजन

1.3.1 विशिष्ट पहचान की अवधारणा पर सर्वप्रथम विचार-विमर्श और उस पर कार्य 2006 में उस समय किया गया था, जब "बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान" परियोजना के संबंध में 3 मार्च, 2006 को प्रशासनिक अनुमोदन, पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इस परियोजना को 12 महीनों की एक अवधि के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। तत्पश्चात, 3 जुलाई, 2006 को बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना के तहत मुख्य डेटाबेस से डेटा फील्ड के अद्यतन, आशोधन, आवर्धन और विलोपन हेतु प्रक्रियाओं पर सुझाव देने के लिए एक प्रक्रिया समिति का गठन किया गया था।

1.3.2 तत्पश्चात, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) के संरक्षण में एक "कार्यनीतिक विजन - निवासियों की विशिष्ट पहचान" को तैयार किया गया और उसे प्रक्रिया समिति को प्रस्तुत किया गया। इसने करीबी संयोजन की यह परिकल्पना की थी कि विशिष्ट पहचान निर्वाचन संबंधी डेटाबेस के लिए होगा। समिति ने तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के संरक्षण में एक कार्यकारी आदेश द्वारा एक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया ताकि, प्राधिकरण के लिए एक अखिल-विभागीय और तटस्थ पहचान सुनिश्चित की जा सके और साथ-साथ एक 11वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में संक्रेद्रित दृष्टिकोण संभव हो सके। प्रक्रिया समिति ने 30 अगस्त, 2007 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में तत्कालीन योजना आयोग को "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए संसाधन मॉडल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

1.3.3 उसी दौरान, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के सृजन और भारत के नागरिकों के लिए बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने में कार्यरत थे। इसलिए, तत्कालीन प्रधान मंत्री के अनुमोदन से दो योजनाओं - नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की विशिष्ट पहचान नंबर परियोजना को मिलाने के लिए मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के गठन करने का निर्णय लिया गया।

1.3.4 सचिवों की समिति की सिफारिशों और मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय उपरांत, प्राधिकरण यूआईडीएआई का गठन किया गया और उसे जनवरी 2009 में दिनांक 28 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशा.। में निर्धारित कार्यों और उत्तरदायित्वों के साथ तत्कालीन योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया। प्रारंभ में पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए श्री नंदन एम नीलेकणि को मंत्रिमंडल सचिव के रैंक एवं दर्जे में दिनांक 2 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या। (ए-43011/02/2009-प्रशा.।(खंड-।।) के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी वर्ष जुलाई में श्री राम सेवक शर्मा, भा.प्र.से. ने पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

1.3.5 28 जनवरी, 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना के उपरांत, कार्यक्रम, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन पर यूआईडीएआई को सुझाव देने के लिए 30 जुलाई, 2009 को यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद का गठन किया गया, ताकि मंत्रालयों/विभागों, हितधारकों और भागीदारों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान मंत्री परिषद ने, 12 अगस्त, 2009 को अपनी पहली बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत यूआईडी प्रणाली पर विस्तृत कार्यनीति और दृष्टिकोण को अनुमोदित कर दिया।

1.3.6 यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद ने भारतीय विशिष्ट

पहचान प्राधिकरण को जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा के लिए मानक स्थापित करने वाले शीर्ष निकाय के रूप में घोषित कर दिया। इस अधिदेश के अनुसरण में, इन मानकों पर संस्तुति करने के लिए यूआईडीएआई ने दो समितियों अर्थात,(i) जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति और, (ii) बायोमेट्रिक मानक संबंधी समिति का गठन किया। श्री एन विट्ठल की अध्यक्षता में, जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति द्वारा 9 दिसंबर, 2009 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को बाद में भाविपप्रा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जबकि विभिन्न बायोमेट्रिक विशेषताओं के लिए मानकों पर बायोमेट्रिक मानक संबंधी समिति द्वारा रिपोर्ट को, एनआईसी के तत्कालीन महानिदेशक डॉ. बी. के. गैरोला की अध्यक्षता में 07 जनवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

1.3.7 प्रधानमंत्री परिषद को भाविपप्रा पर मंत्रिमंडल समिति से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस समिति का गठन भारत सरकार के दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 के आदेश संख्या 1/11/6/2009 द्वारा किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार, इस समिति के प्रकार्यों में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संगठन, योजना, नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों, वित्तपोषण और भाविपप्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली सहित प्राधिकरण से संबंधित सभी मुद्दें शामिल हैं।

1.3.8 मंत्रिमंडल के अनुमोदनों के अनुसार, आधार नामांकन को भौगोलिक रूप से यूआईडीएआई और आरजीआई के बीच विभाजित कर दिया गया। तदनुसार, यूआईडीएआई को 24 राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) में आधार का नामांकन करने और आरजीआई को 12 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में नामांकन करने का कार्य सौंपा गया। हालांकि, गृह मंत्रालय ने दिनांक 5 मई, 2016 के अर्ध शासकीय पत्र सं. आरजी(पी)/एनपीआर/आरजीआई के द्वारा भाविपप्रा को उन 10 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों नामतः अरूणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, जम्मू व कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (असम एवं मेघालय को छोड़कर), जिनके नामांकन का कार्य पूर्व में आरजीआई को सौंपा गया था, में नामांकन कार्य शुरू करने के लिए दिशानिर्देश दिए।

1.3.9 इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के पत्र द्वारा सूचित किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) योजना के तहत बायोमेट्रिक नामांकन का कार्य, आधार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने के फलस्वरूप यूआईडीएआई द्वारा साफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन के उपरांत 23 सितंबर, 2016 से बंद पड़ा है। इसलिए, भाविपप्रा सांविधिक उपबंधों के तहत असम और मेघालय सहित संपूर्ण देश में आधार हेतु नामांकन करने के लिए सक्षम है।

1.3.10 संसद ने 2016 में आधार (वित्तीय एवं अन्य प्रसुविधाओं, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 के 18) को लागू करके आधार को विधायी स्तर प्रदान किया और भारत सरकार ने इसे 26 मार्च 2016 को अधिसूचित किया। तत्पश्चात, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय के साथ आठ क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई एवं रांची और हेब्बल (बेंगलुरु) एवं मानेसर (गुरुग्राम) में केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी प्रचालन के लिए केंद्र सहित, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.2358 (ई) दिनांक 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया। इस प्रकार, यूआईडीएआई को प्रत्येक निवासी व्यक्ति को आधार नबंर जारी करने तथा आधार (वित्तीय एवं अन्य प्रसुविधाओं, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम") और इसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुपालन में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को निष्पादित करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

1.3.11 प्राधिकरण ने 14 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में, भोपाल, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर और तिरूवंतपुरम में 5 राज्य कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य कार्यालयों को खोला गया। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अनुमोदन से कैंप कार्यालय, पटना के स्थान पर राज्य कार्यालय, पटना कर दिया गया है।

1.4 भाविपप्रा का सफर

2005-08
- एनपीआर और यूआईडी को मिलाने के लिए ईजीओएम का गठन
- यूआईडी प्राधिकरण को सौंपने से पहले एनपीआर के तहत अनुमोदित फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक्स का संग्रह

2009-14
- भाविपप्रा एक कार्यकारी आदेश द्वारा अस्तित्व में आया
- 2010 में पहला यूआईडी बनाया गया
- 2012 में डीबीटी योजना लागू की गई

2015-17
- वर्ष 2016 में आधार अधिनियम पारित
- भाविपप्रा एक सांविधिक प्राधिकरण बन गया

2018
- उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने आधार अधिनियम की धारा 7 को संवैधानिक वैधता प्रदान की

2019
- आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम पारित

2020-24
- 95% से अधिक आधार परिपूर्णता प्राप्त
- कल्याण और सुशासन संबंधी 1700 से अधिक सरकारी योजनाएं

1.4.1 पहली विशिष्ट पहचान (यूआईडी), विख्यात नाम आधार, 29 सितंबर, 2010 को जारी की गई थी। तत्पश्चात 31 मार्च, 2024 तक 139.56 करोड़ से अधिक भारतीय निवासियों को आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। एक विशिष्ट पहचान के तौर पर आधार की निम्न विशेषताएं हैं

- यह 12 अंकों की एक यादृच्छिक संख्या है।
- यादृच्छिक संख्या में कोई आसूचना या रूपरेखा शामिल नहीं है।
- विशिष्टता का सुनिश्चयन बायोमेट्रिक गुणधर्म से होता है।
- इसमें केवल संख्याएं हैं, यह स्मार्ट कार्ड नहीं है।
- इसका नामांकन व अद्यतन देश में कहीं से भी किया जा सकता है।
- इसका ऑनलाइन अधिप्रमाणन देश में कभी भी, कहीं से भी किया जा सकता है।
- पूरे देश में संवहनीय पहचान है, जो क्षेत्र व भाषा की अड़चनों से परे है।
- एक बार सृजित और निर्गत संख्या फिर कभी भी पुनःसृजित और पुनर्निर्गत नहीं की जा सकती।
- यह नागरिकता, अधिकार एवं पात्रता प्रदान नहीं करता।
- संग्रहित सूचना की निजता एवं सुरक्षा। निवासी की सहमति के बिना कोई डेटा साझा न करना।

1.4.2 नामांकन के संदर्भ में, यूआईडीएआई ने लगभग पूरे देश को कवर कर लिया है। यूआईडीएआई की संकल्पना देश के सभी निवासियों के नामांकन की है जिसमें बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, गरीबों एवं समाज के वंचित वर्गों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक 139.56 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं तथा इसमें प्रतिदिन निरंतर वृद्धि हो रही है। यूआईडीएआई अपनी सेवा डिलीवरी में सुधार लाने के निरंतर उपाय कर रहा है, ताकि व्यापक स्तर पर लोगों की सुविधा के लिए जीवन और व्यवसाय सुगम बनाया जा सके। आधार का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं में सब्सिडी, लाभ

एवं सेवाए देने में किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों को सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएं देने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, आधार ने लीकेज पर अंकुश लगाने और विभिन्न डेटाबेसों से छद्म/नकली लाभार्थियों पर प्रतिबंध लगाने से राजकोष में महत्वपूर्ण बचत की है।

1.5 भाविपप्रा के उद्देश्य

भाविपप्रा का उद्देश्य जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने पर व्यक्तियों को "आधार" नामक विशिष्ट पहचान (यूआईडी) नंबर जारी करना है, जो सफलतापूर्वक प्रमाणित होने पर उनकी पहचान के प्रमाण के रूप में काम करेगी और इसका उपयोग लाभ, सब्सिडी, सेवाओं और अन्य प्रयोजनों के हस्तांतरण के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जा सकेगा।

1.6 भाविपप्रा को समनुदेशित कार्य

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसार, भाविपप्रा ने व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया एवं प्रणाली का विकास किया और आधार अधिनियम के अंतर्गत उसका अधिप्रमाणन किया। प्राधिकरण के कार्यों में, अन्य विषयों के सहित निम्नलिखित शामिल हैं :

- नामांकन के लिए अपेक्षित जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना और उसके संग्रहण एवं सत्यापन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- आधार नंबर चाहने वाले व्यक्ति से जनसांख्यिकीय सूचना एवं बायोमेट्रिक सूचना का संग्रहण विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) के प्रचालन हेतु एक अथवा अधिक संस्थाओं की स्थापना करना;
- व्यक्तियों के लिए आधार नंबरों का सृजन एवं निर्धारण करना;
- आधार नंबरों का प्रमाणीकरण निष्पादित करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में व्यक्तियों की सूचना का अनुरक्षण एवं अद्यतन विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप करना;
- विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप, एक आधार नंबर व उससे संबद्ध सूचना को निरस्त और निष्क्रिय करना;
- विभिन्न सहायिकियों, लाभों, सेवाओं और अन्य उद्देश्यों, जिसके लिए आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है, को प्रदान करने या प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ आधार नंबर के उपयोग के तरीके को विनिर्दिष्ट करना;
- विनियमों द्वारा रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति करने एवं ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करने से संबंधित नियम एवं शर्तों का ब्योरा विनिर्दिष्ट करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण करना; ;
- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनियमों में विनिर्दिष्ट के अनुरूप आधार नंबर धारकों से संबद्ध सूचना को साझा करना;
- आधार अधिनियम के अनुपालन में केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी, अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों से सूचना व रिकार्ड की मांग करना, उनका निरीक्षण करना तथा प्रचालनों की लेखापरीक्षा करना;
- आधार अधिनियम के अंतर्गत डेटा प्रबंधन, सुरक्षा

प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;

- शुल्क लगाना एवं उसे एकत्रित करना अथवा रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं को इस अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में ऐसे शुल्क की प्राप्ति के लिए अधिकृत करना, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए यथा आवश्यक समितियां नियुक्त करना;
- आधार नंबर के उपयोग सहित बायोमेट्रिक एवं संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन के लिए उपयुक्त प्रणाली के जरिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना;
- रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियमों, नीतियों एवं व्यवहारों को विकसित एवं विनिर्दिष्ट करना;
- व्यक्तियों, रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र और सुविधा केंद्रों की स्थापना करना;
- आधार अधिनियम के प्रयोजनार्थ सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण या प्रक्रमण से संबंधित किसी कार्य अथवा व्यक्तियों को आधार नंबर के वितरण अथवा प्रमाणीकरण निष्पादन करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ-राज्य क्षेत्रों अथवा अन्य एजेंसियों के साथ, जैसा भी मामला हो, समझौता ज्ञापन अथवा अनुबंध करना;
- अधिसूचना द्वारा अपेक्षित संख्या में रजिस्ट्रारों की

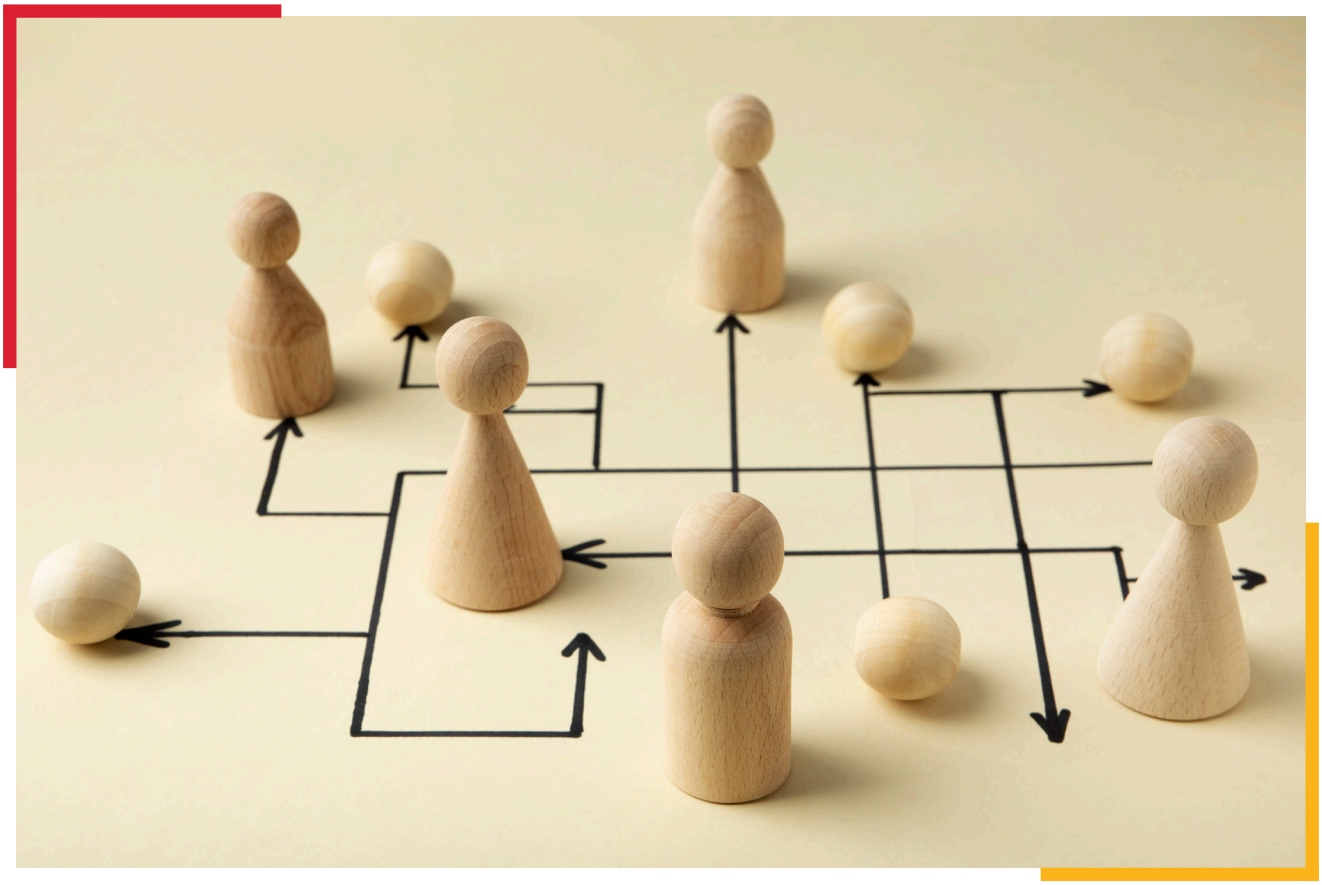

नियुक्ति करना एवं सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण, प्रक्रमण या प्रमाणीकरण करने या उससे संबद्ध अन्य कार्यों के लिए एजेंसियों की नियुक्ति करना तथा उन्हें प्राधिकृत करना, जैसा आधार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है;

- इस अधिनियम के अंतर्गत इसके कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए परामर्शदाताओं, सलाहकारों एवं अन्य व्यक्तियों, यथा आवश्यक, को ऐसे भत्तों या पारिश्रमिक तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त करना, जैसा अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. संगठनात्मक संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ('प्राधिकरण/यूआईडीएआई') का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और रांची में स्थित अपने आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए कार्य करता है। भाविपप्रा के राज्य स्तर पर 6 कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और तिरूवनन्तपुरम में स्थित हैं। भाविपप्रा के दो डेटा केंद्र - एक हेब्बल (बेंगलुरु) कर्नाटक में तथा दूसरा मानेसर (गुरूग्राम) हरियाणा में स्थित है। भाविपप्रा की संगठनात्मक संरचना को आकृति 1 में दर्शाया गया है।

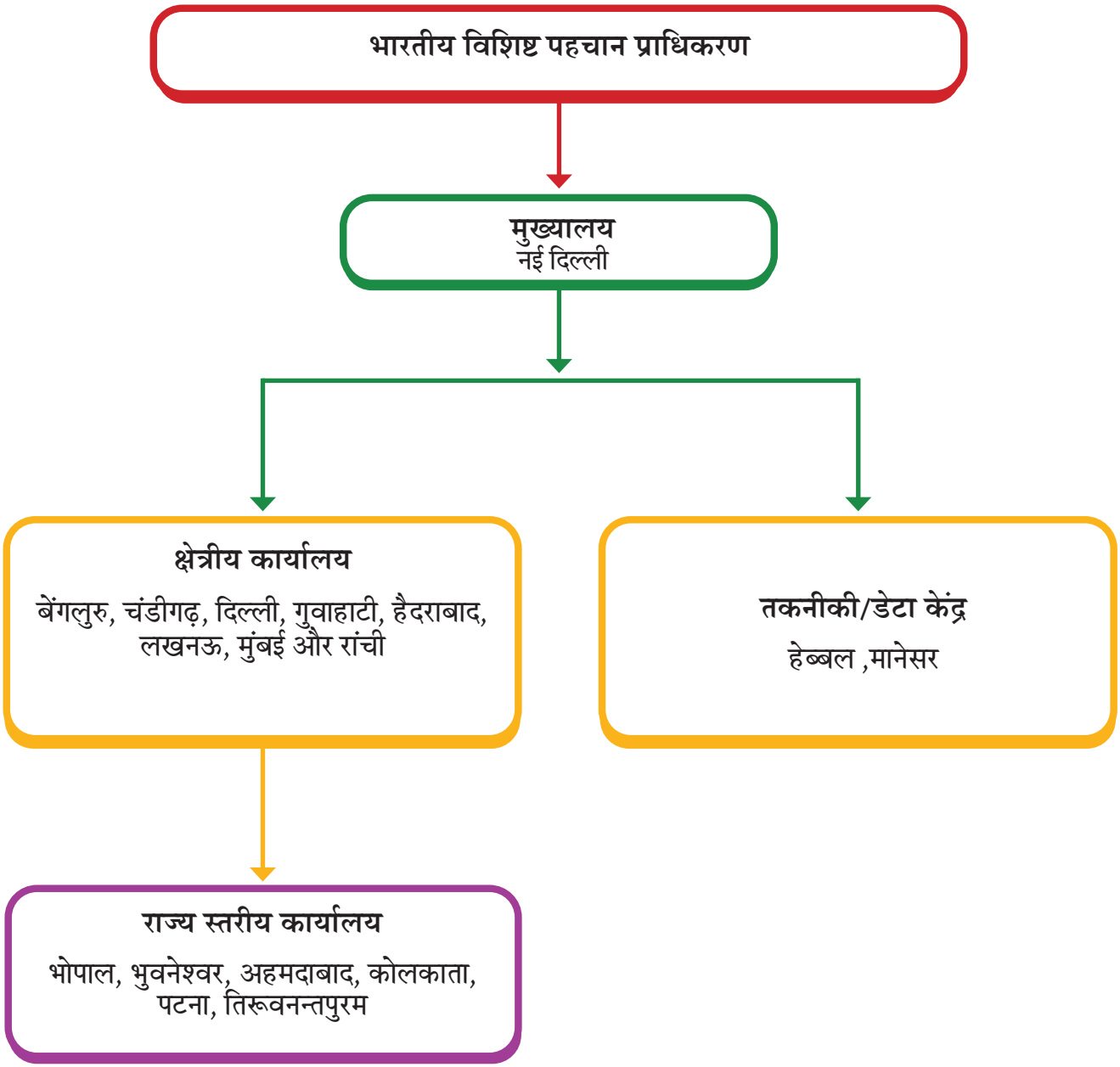

आकृति 1 - संगठनात्मक संरचना

2.1 प्राधिकरण की संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्यों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी हैं, से युक्त है। 31 मार्च 2024 के अनुसार प्राधिकरण की संरचना को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1 - वर्तमान संरचना

क्र.सं.	सदस्य का नाम तथा विवरण	पदनाम
1	**श्री नीलकंठ मिश्रा** मुख्य अर्थशास्त्री, एक्सिस बैंक,	**अध्यक्ष (अंशकालिक)**
2	**प्रो. मौसम** प्रोफेसर,कंप्यूटर विज्ञान विभाग, आईआईटी दिल्ली	**सदस्य (अंशकालिक)**
3	**श्री नीलेश शाह** प्रबंध निदेशक, कोटक महिन्द्रा एस्सेट मेनेजमैंट कंपनी लिमिटेड	**सदस्य (अंशकालिक)**
4	**श्री अमित अग्रवाल** आईएएस (सीजी:1993)	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं सदस्य सचिव**

2.2 प्रधान कार्यालय की संरचना

प्रधान कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य-सहयोग के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के रूप में उपमहानिदेशक कार्यरत हैं, जो भाविपप्रा के विभिन्न कार्य-प्रभागों के प्रभारी हैं। उपमहानिदेशकों के साथ कार्य-सहयोग के लिए निदेशक, उपनिदेशक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक अनुभाग अधिकारी नियुक्त हैं। भाविपप्रा प्रधान कार्यालय की संगठनात्मक संरचना को आकृति-2 में दर्शाया गया है।

भा.वि.प.प्रा. प्रधान कार्यालय भवन, नई दिल्ली

ऑर्गेनोग्राम - प्रधान कार्यालय*

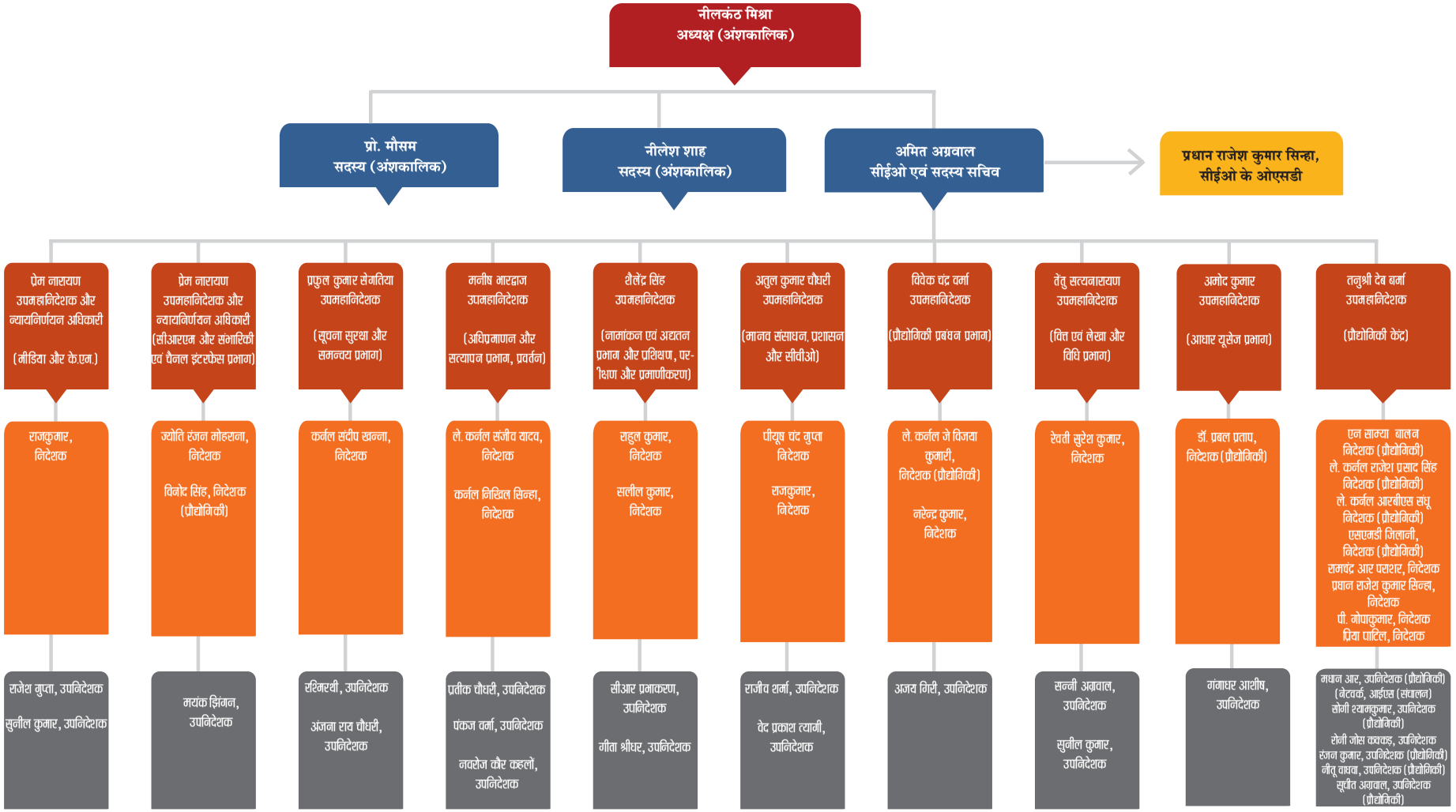

आकृति 2 - भाविपप्रा प्रधान कार्यालय का ऑर्गेनोग्राम

**31 मार्च 2024 के अनुसार*

2.3 क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना

भाविपप्रा के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में, प्रत्येक का कार्यालय प्रमुख उपमहानिदेशक (डीडीजी) रैंक का अधिकारी है तथा उनके सहायतार्थ निदेशक, उपनिदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार एवं वैयक्तिक स्टाफ कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों का विवरण तालिका-2 में दर्शाया है। राज्य कार्यालयों का उनके अधिकार क्षेत्र के साथ विवरण तालिका 3 में दर्शाया गया है। भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों के ऑर्गेनोग्राम को आकृति - 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2 – **भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना**

क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र
बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु
चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब
नई दिल्ली	मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड
गुवाहाटी	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
हैदराबाद	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना
लखनऊ	उत्तर प्रदेश
मुंबई	दादर व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र
रांची	बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल

तालिका 3 – राज्य स्तरीय कार्यालय और उनके क्षेत्राधिकार

राज्य स्तरीय कार्यालय	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ)	क्षेत्राधिकार
अहमदाबाद	मुबंई	गुजरात
भोपाल	नई दिल्ली	मध्यप्रदेश
भुवनेश्वर	हैदराबाद	ओडिशा
कोलकाता	रांची	पश्चिम बंगाल
पटना	रांची	बिहार
तिरूवनन्तपुरम	बेंगलुरू	केरल

ऑर्गेनोग्राम - क्षेत्रीय कार्यालय*

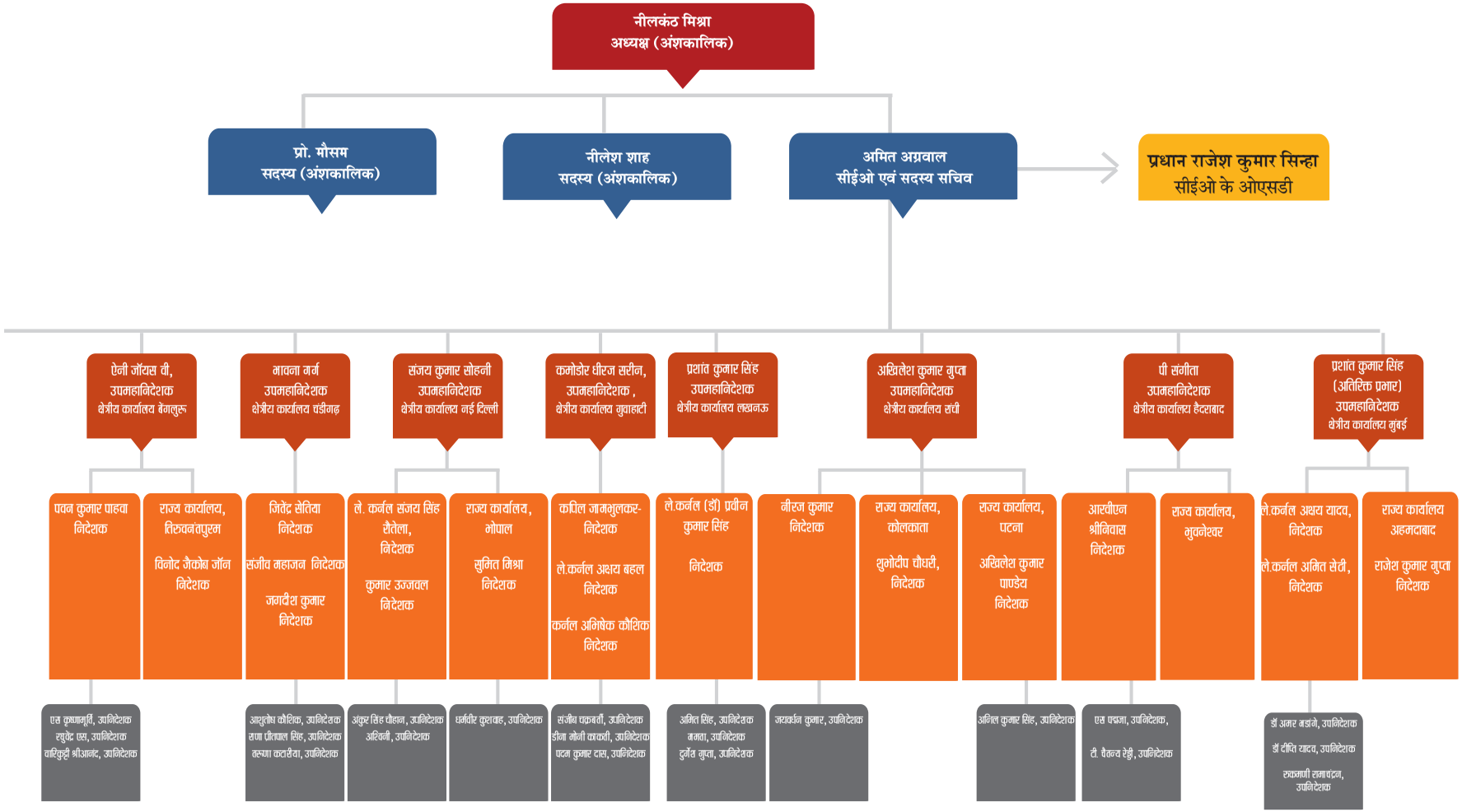

आकृति 3 - भाविप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का ऑर्गेनोग्राम

**31 मार्च 2024 तक के अनुसार*

3. भाविपप्रा की कार्यप्रणाली

3.1 अवलोकन

3.1.1 आधार का उद्देश्य, केवल 'पहचान प्रमाण' से भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाना है। यह 12-अंकीय पहचान संख्या, निवासी को आधार नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करने के उपरांत, जारी की जाती है।

3.1.2 नामांकन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा सृजित आधार नंबर प्राप्त होने पर, वह आधार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रमाणीकरण की विभिन्न विधियों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या ऑफलाइन सत्यापन, जैसा भी मामला हो, के उपयोग द्वारा अपनी पहचान प्रमाणित करने और उसे स्थापित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग कर सकता है, जो आधार नंबर धारक द्वारा विभिन्न सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का उपयोग करने पर प्रत्येक बार पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी परेशानी को दूर करता है।

3.1.3 भाविपप्रा अपने संपूर्ण डेटाबेस में उपलब्ध निवासियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विशेषताओं को डी-डुप्लिकेट करने के बाद ही उनको आधार नंबर जारी करता है। आधार प्रमाणीकरण, विभिन्न योजनाओं के तहत दोहराव को समाप्त करने में समर्थ बनाता है और इससे सरकारी कोष में पर्याप्त बचत होने की संभावना है। यह सरकार को लाभार्थियों के प्रत्यक्ष लाभ संबंधी कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में सटीक डेटा भी प्रदान करता है और यह सरकारी विभागों/सेवा प्रदाताओं को विभिन्न योजनाओं का समन्वय करने और उन्हें अनुकूल बनाने में अनुमति प्रदान करता है। आधार कार्यान्वयन एजेंसियों को लाभार्थियों के सत्यापन करने और लाभों का लक्षित वितरण सुनिश्चित करने में समर्थ बनाता है।

3.1.4 सेवा वितरण तंत्र के बारे में सटीक और पारदर्शी जानकारी प्रदानकर्ता आधार प्लेटफॉर्म के साथ, सरकार वितरण प्रणाली में सुधार कर सकती है और सेवा वितरण नेटवर्क में शामिल मानव संसाधन का बेहतर उपयोग उपयोग करने के साथ-साथ दुर्लभ विकास निधि का इष्टतम उपयोग कर सकती है। इसलिए, प्रभावी और कुशल सेवाओं की उच्च प्रभावकारिता, समावेश और साल भर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसी भी समय और कहीं भी प्रमाणित करने के लिए भाविपप्रा ने कई इकोसिस्टम स्थापित किए हैं और उन्हें आधार नंबर धारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधार अधिनियम और इसके विनियमों के अनुसार संचालित किया है।

3.1.5 आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित विनियम इस प्रकार हैं:

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य संचालन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 2)
- आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 3) [आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का सं.2) द्वारा प्रतिस्थापित]
- आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 का सं. 4)
- आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 का सं. 5)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं.1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 2)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 3)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (चतुर्थ संशोधन)

विनियम, 2017 (2017 का सं. 5)

- आधार (नामांकन और अद्यतन) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का सं. 1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का सं. 2)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 का सं.1) [आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 का सं. 1) द्वारा प्रतिस्थापित]
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का सं. 3)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 का सं. 1)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (2020 का सं. 2)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (आठवां संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का सं.3)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 का सं.1)
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का सं. 2)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021(2021 का सं. 3)
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं.1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (नौवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं. 2)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं. 3)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 5)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) अधिनयम, 2022 (2022 की संख्या 6)
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 1)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 1)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2023
- आधार (नामांकन और अद्यतन) संशोधन विनियम, 2023
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2023
- आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2023
- आधार (नामांकन और अद्यतन) संशोधन विनियम, 2024
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2024
- आधार (नामांकन और अद्यतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024
- आधार (सूचना की सहभाजिता) संशोधन विनियम, 2024
- आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2024
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2024

- भाविपप्रा के दिनांक 31 जनवरी 2024 की अधिसूचना नंबर एचक्यू-13073/1/2020-अधि.।।(ई) के हिंदी संस्करण के लिए शुद्धिपत्र।

3.1.6 निम्नलिखित भाविपप्रा के ईकोसिस्टम हैं:

- नामांकन और अद्यतन ईकोसिस्टम
- अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम
- संभारिकी ईकोसिस्टम
- प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन ईकोसिस्टम
- उपभोक्ता संबंध प्रबंधन

3.2 नामांकन और अद्यतन ईकोसिस्टम

3.2.1 भाविपप्रा का प्राथमिक अधिदेश आधार नामांकन होने के कारण, संगठन का ध्यान नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों के नामांकन पर केंद्रित रहा है। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के अनुसार, आधार नामांकन की प्रक्रिया - विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या - किसी नामांकन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा नामांकन केंद्र पर नामांकन एजेंसी को सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी जानकारी नामांकन फॉर्म में भरकर जमा करने, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने, अनुबंध-III में निर्धारित दस्तावेज की सूची के अनुसार पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीओडीओबी) दस्तावेज जमा करने के साथ शुरू होती है।

3.2.2 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, देश भर में बैंकों, डाकघरों, सीएससी, आधार सेवा केंद्रों (एएसके), बीएसएनएल और भाविपप्रा के रजिस्ट्रार के रूप में राज्य सरकारों द्वारा 62,080 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र चलाए जा रहे हैं। केंद्र में, नामांकन ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में विवरण दर्ज करने के बाद, नामांकन चाहने वाले व्यक्ति नामांकन/अद्यतन के लिए ली गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करता है और प्रक्रिया पूरी

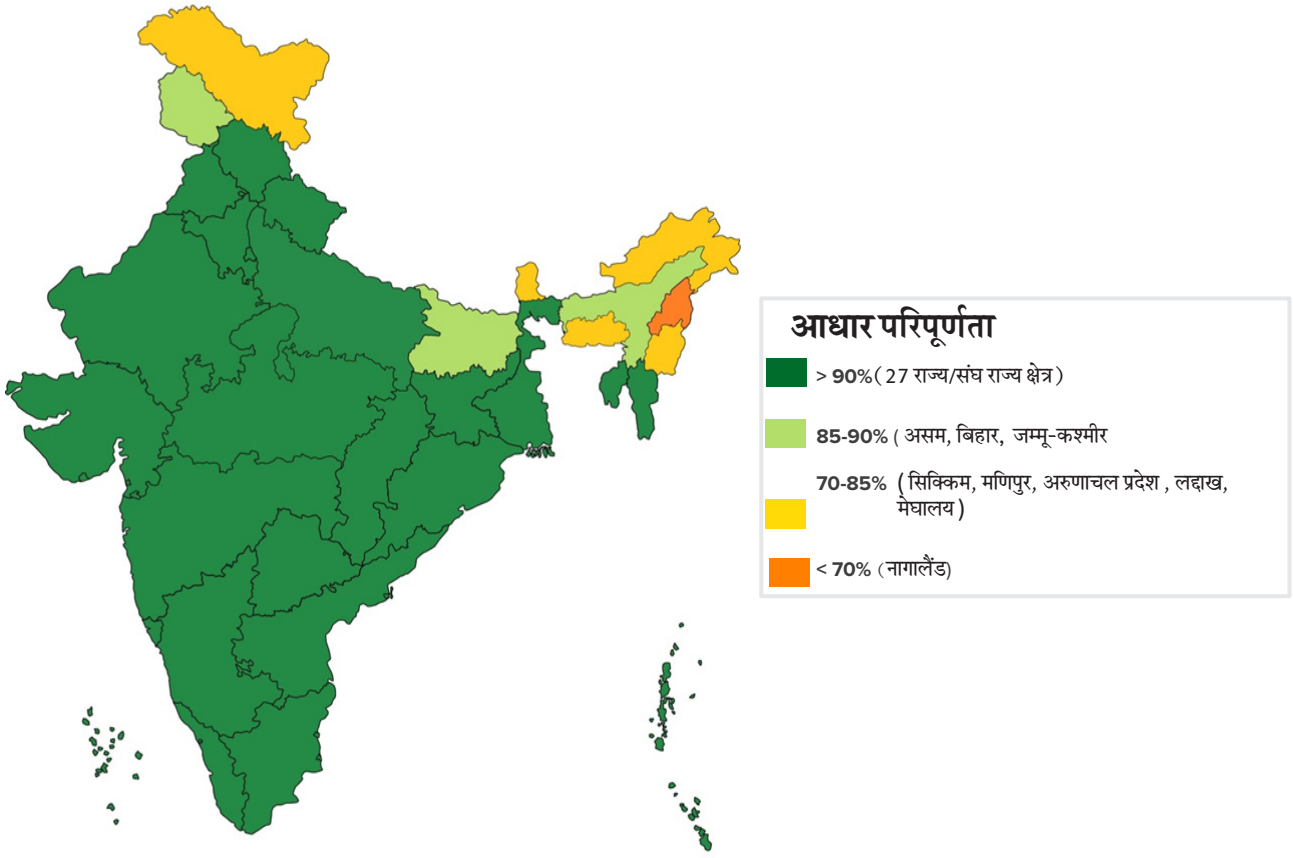

आकृति 4 - राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार संतृप्ति (31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार)

होने पर नामांकन आईडी युक्त पावती पर्ची प्राप्त करता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नामांकन की सुविधा के लिए 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार लगभग 45,000 बाल नामांकन लाइट किट(सीईएलसी) किट सक्रिय किए गए थे। इसके अलावा, आधार नंबर धारक, अपना पता और दस्तावेज अपडेट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in का उपयोग भी कर सकते हैं।

3.2.3 नामांकन या अद्यतन के लिए ली गई जानकारी को भाविपप्रा के डेटा केंद्रों में संसाधित किया जाता है और क्रमशः आधार या इसका अद्यतन संस्करण को सृजित किया जाता है। भाविपप्रा ने 31 मार्च 2024 तक, 139.56 करोड़ से अधिक आधार जारी किए हैं। 27 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार का कवरेज 90% से अधिक के संतृप्ति स्तर तक पहुंच गया है, जबकि 6 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में कवरेज 80% और 90% के बीच है। आकृति 4, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार कवरेज की स्थिति को दर्शाती है।

3.2.4 चूंकि कई राज्य पहले ही आधार संतृप्ति स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसलिए काम की मात्रा 'नामांकन' से 'अद्यतन' में स्थानांतरित हो गई है। आने वाले समय में, आधार और इस विशिष्ट पहचान संख्या का लाभ उठाने वाले विभिन्न सेवाओं की सफलता इसके डेटाबेस की अद्यतन स्थिति पर निर्भर करेगी, इस प्रकार आधार की जानकारी को निरंतर अद्यतन बनाए रखना भाविपप्रा का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। आधार नंबर धारक किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर आधार में किसी भी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतित करवा सकते हैं।

3.2.5 भाविपप्रा, आधार का लाभ उठाने वाली आधारभूत अवसंरचना और अनुप्रयोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय से कार्य कर रहा है। भाविपप्रा नामांकन गतिविधियों को अधिकतम बनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को नामांकन किट अधिप्राप्त करने के उद्देश्य से आईसीटी अवसंरचना के लिए सहायता भी प्रदान करता है। तदनुसार, भाविपप्रा परियोजना की शुरूआत से 31 मार्च 2024 तक, 29 राज्यों/7 संघ राज्य-क्षेत्रों /3 विभागों और 2 केंद्रीय मंत्रालयों को 477.66 करोड़ रुपए की राशि की आईसीटी सहायता प्रदान की गई है। यह सहायता उसके अंतर्गत बनाई गई नीति के अनुसार 3 अलग-अलग चरणों में प्रदान की गई थी।

3.3 नामांकन भागीदार

आधार नामांकन और अद्यतन करने के लिए भाविपप्रा के पास एक ईकोसिस्टम विद्यमान है, जिसमें आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार निम्नलिखित भागीदार शामिल हैं :

1. **रजिस्ट्रार:** आधार अधिनियम, 2016 के तहत व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण (भाविपप्रा) द्वारा अधिकृत या मान्यताप्राप्त कोई भी संस्था।
2. **नामांकन एजेंसी:** आधार अधिनियम, 2016 के तहत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक सूचना एकत्र करने के लिए प्राधिकरण या रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त एजेंसी।
3. **नामांकन केंद्र:** व्यक्तियों का नामांकन करने और उनकी जानकारी को अद्यतन करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा स्थापित एक स्थायी या अस्थायी केंद्र।
4. **प्रचालक:** नामांकन केंद्रों पर नामांकन की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी।
5. **पर्यवेक्षक:** नामांकन केंद्रों के संचालन और प्रबंधन के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी।
6. **सत्यापनकर्ता:** नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कार्मिक।

3.4 नामांकन प्रक्रिया

3.4.1 नामांकन चाहने वाले व्यक्ति के लिए आधार नामांकन

प्रक्रिया में नामांकन केंद्र पर जाना, नामांकन फॉर्म भरना, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना, पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीओडीओबी) संबंधी दस्तावेज जमा करना, सूचित सहमति देना और नामांकन पूरा होने के बाद नामांकन आईडी युक्त पावती पर्ची प्राप्त करना शामिल है।

3.4.2 नामांकन फॉर्म में भरे गए नामांकन डेटा को सहायक दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाता है और सिस्टम में अपलोड किया जाता है, जहां डेटा विभिन्न जांच और सत्यापन चरणों से होकर गुजरता है तथा आधार नंबर सृजित किया जाता है।

3.4.3 भाविपप्रा प्रक्रिया अनुलग्नक - III में उल्लिखित पीओआई, पीओए और पीओडीओबी दस्तावेजों की विस्तृत श्रृंखला को स्वीकार करती है। यदि परिवार के किसी सदस्य के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, तब भी वह आधार के लिए नामांकन कर सकता है, यदि उसका नाम पारिवारिक पात्रता दस्तावेज में मौजूद है। ऐसे मामले में, पात्रता दस्तावेज में दर्ज परिवार के मुखिया (एचओएफ) को पहले वैध पीओआई, पीओए और पीओडीओबी दस्तावेजों के साथ खुद को नामांकित करने की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात, परिवार का मुखिया संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज जमा करके परिवार के अन्य सदस्यों का परिचय, आधार नामांकन के लिए कर सकता है। नए नामांकन के लिए केवल माता/पिता/कानूनी अभिभावक ही एचओएफ के रूप में कार्य कर सकते हैं। भाविपप्रा अनुलग्नक - III में उल्लिखित कई दस्तावेजों को संबंध के प्रमाण (पीओआर) के रूप में स्वीकार करता है।

3.4.4 आधार के लिए नामांकन के दौरान, केवल न्यूनतम जनसांख्यिकीय जानकारी, जैसे नाम, लिंग, आवासीय पता, जन्म तिथि (डीओबी) तथा बायोमेट्रिक जानकारी जैसे सभी दस उंगलियों के निशान, दोनों आईरिस और चेहरे की छवि का स्कैन कैप्चर किया जाता है।

3.4.5 इसके अतिरिक्त, आवेदक के पास अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर देने का विकल्प होता है। प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए मोबाइल नंबर के व्यापक उपयोग को ध्यान में रखते हुए, नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों को नामांकन के समय मोबाइल नंबर इंगित करने का सुझाव दिया जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संबंध में, केवल नाम, लिंग, जन्मतिथि और बच्चे के चेहरे की छवि कैप्चर की जाती है तथा माता-पिता का आधार नंबर कैप्चर किया जाएगा। बच्चे की ओर से प्रमाणीकरण के लिए माता-पिता/कानूनी अभिभावक (एचओएफ) दोनों का आधार नंबर कैप्चर किया जाएगा। हालाँकि, एचओएफ आधारित नामांकन को प्रमाणित करने के लिए माता-पिता/कानूनी अभिभावक में से किसी एक की बायोमेट्रिक दर्ज की जाती है।

3.4.6 संक्षेप में, नामांकन के लिए दो माध्यम मौजूद हैं :

दस्तावेज आधारित

पहचान के प्रमाण (पीओआई) का वैध दस्तावेज, पते के प्रमाण (पीओए) का वैध दस्तावेज जन्मतिथि के प्रमाण (पीओबी) का दस्तावेज (सत्यापित जन्मतिथि के मामले में) को नामांकन के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

परिवार के मुखिया (एचओएफ) पर आधारित

परिवार का मुखिया (एचओएफ) ऐसे दस्तावेज, जो संबंध का प्रमाण (पीओआर) स्थापित करते हैं, के माध्यम से परिवार के सदस्यों का प्रमाणीकरण करा सकता है।

3.4.7 आधार एक सर्व-समावेशी कार्यक्रम है और इसलिए, भाविपप्रा ने उन व्यक्तियों के नामांकन के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की है, जो किन्हीं कारणों से अपने सभी या कोई बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार, नामांकन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति आधार से वंचित नहीं रह जाता है।

आधार नामांकन शिविर में वृद्धजनों का नामांकन

3.5 आधार नामांकन प्रगति

3.5.1 सितंबर 2010 में पहला आधार सृजित किए जाने के बाद से, आधार नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है और 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 139.56 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं। आधार की यात्रा और वर्ष-वार प्रगति को ग्राफ 1 में चित्रित किया गया है। संचयी आधार सृजन को ग्राफ 2 में दर्शाया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, माह-वार आधार सृजन डेटा को तालिका 4 में दर्शाया गया है।

3.5.2 वयस्क आबादी के बीच आधार की पहुंच संतृप्ति स्तर तक पहुंच गई है और इसलिए, भाविपप्रा का प्राथमिक ध्यान अब 0-5 और 5-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन पर केंद्रित हो गया है। इस संबंध में उपरोक्त आयु वर्ग की शेष जनसंख्या को कवर करने के लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को भी शामिल किया गया है। उपरोक्त आयु वर्ग में शेष आबादी को कवर करने के लिए, भाविपप्रा ने क्रमशः आंगनवाड़ियों, अस्पतालों और स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), स्वास्थ्य विभाग तथा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ भागीदारी की है।

3.6 आधार डेटा अद्यतन

3.6.1 आधार नंबर नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को जारी किया गया एक आजीवन नंबर है। किसी आवेदक की बायोमेट्रिक विशेषताओं के अलावा, जनसांख्यिकीय विवरण जैसे आवेदक का नाम, पता, जन्मतिथि (डीओबी), लिंग और मोबाइल नंबर/ईमेल (वैकल्पिक) को भाविपप्रा के डेटाबेस में

ग्राफ 1 - वर्षवार आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2024)

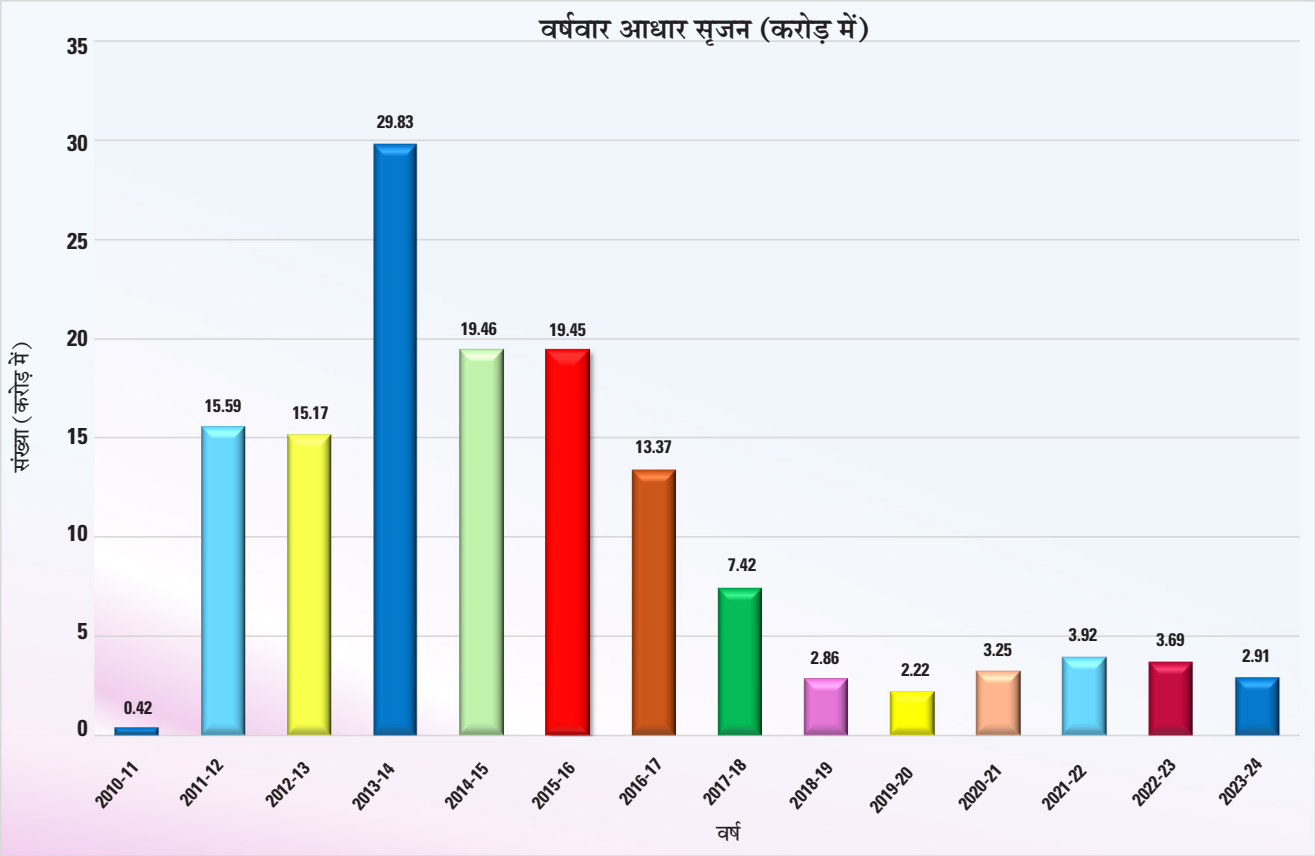

ग्राफ 2 - संचयी आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2024)

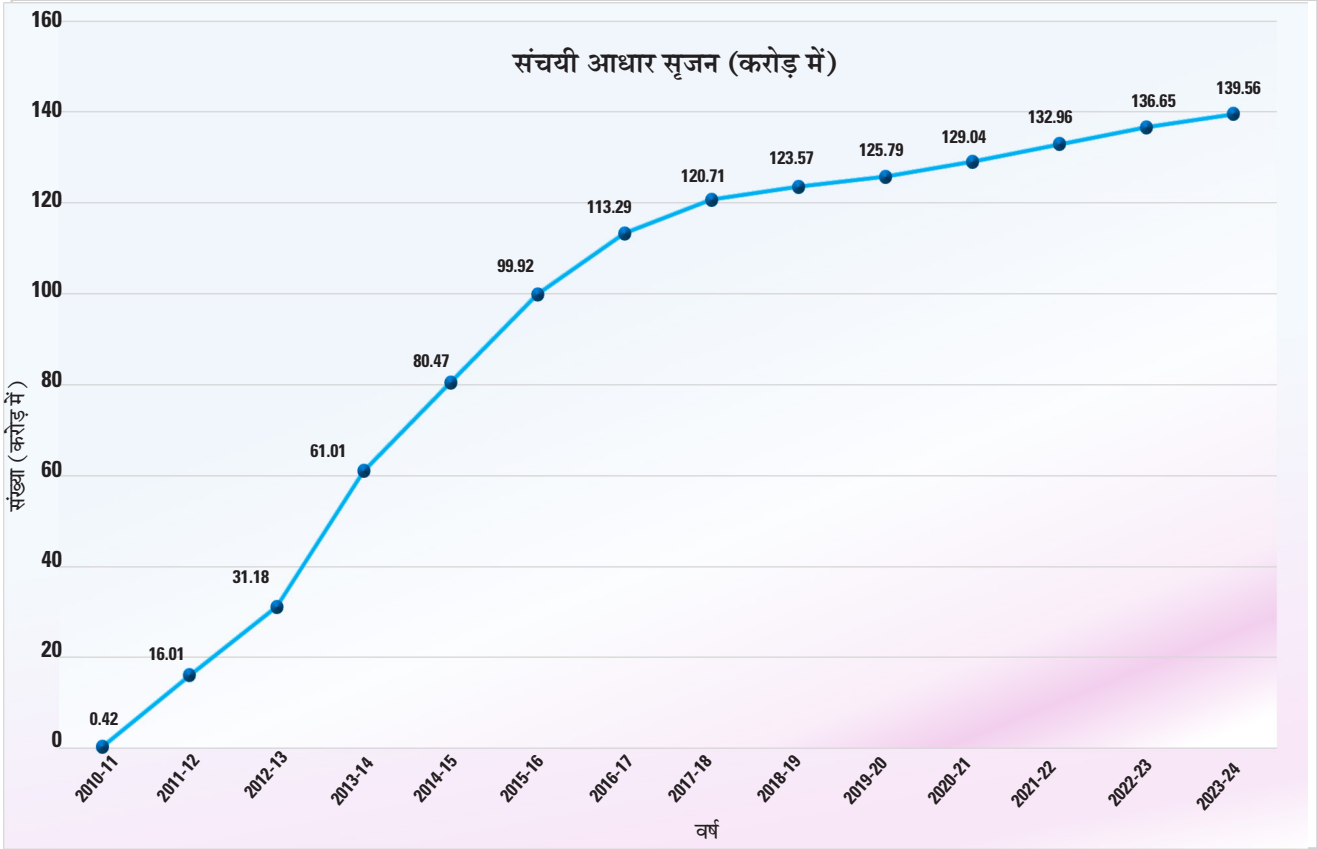

तालिका 4 - माहवार आधार सृजन (2023-24)

माह	माहवार आधार सृजन (लाख में)
अप्रैल 2023	23.01
मई 2023	27.17
जून 2023	24.41
जुलाई 2023	26.17
अगस्त 2023	24.22
सितंबर 2023	23.58
अक्तूबर 2023	22.41
नवंबर 2023	21.62
दिसंबर 2023	24.02
जनवरी 2024	25.31
फरवरी 2024	24.27
मार्च 2024	25.46
कुल	**291.65**

संग्रहीत किया जाता है। यद्यपि जनसांख्यिकीय विवरण में आम तौर पर पते, मोबाइल नंबर और विवाह के बाद नाम के परिवर्तन के कारण आधार नंबर धारक के जीवनकाल के दौरान निरंतर परिवर्तन होते ही रहते हैं, बच्चों के 5-7 और 15-17 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट करने या उम्र बढ़ने/दुर्घटना के कारण बायोमेट्रिक्स में नुकसान/परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। आधार नंबर धारक के निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) करने में असमर्थ रहने पर शुल्क को आधार नंबर धारक द्वारा वहन किया जाएगा तथा बायोमेट्रिक अपडेट के अभाव में आधार को निष्क्रिय किया जा सकता है। तदनुसार, आधार नंबर से जुड़े जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतन करने की आवश्यकता रहती है, ताकि डेटाबेस में संग्रहीत जानकारी की सटीकता सुनिश्चित हो और वह प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हो।

3.6.2 भाविपप्रा ने दिनांक 09.11.2022 को राजपत्र अधिसूचना के तहत प्रकाशित आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्यांक 6)

के अंतर्गत दस्तावेज अपडेट के लिए प्रावधान किया है। प्रावधान के अनुसार, आधार धारक आधार नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर न्यूनतम एक बार पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज जमा करके आधार में अपने समर्थित दस्तावेज को अपडेट कर सकते हैं ताकि केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में उनकी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

3.6.3 हाल के दिनों में प्राथमिक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार को प्राप्त महत्व को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी कपटपूर्ण नामांकन गतिविधियों के संभावित प्रभाव की चिंता बढ़ गई है। किसी अनधिकृत व्यक्ति के लिए आधार सृजन के अवसर को कम करने के लिए, नये आधार नामांकन के संबंध में नामांकन ईकोसिस्टम को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि वयस्कों (>18 वर्ष की आयु) के लिए नये आधार के अनुरोध राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को, आधार राज्य सत्यापन पोर्टल के जरिए जनसांख्यिकीय सूचना एवं समर्थित दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जाए।

3.6.4 परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित पता अद्यतन – नागरिक केंद्रिक सेवा के अंश के रूप में आधार 2.0 विचार-विमर्श के अनुक्रम में, आसानी से पता अपडेट करने के लिए भाविपप्रा ने ऐसे व्यक्तियों के पारिवारिक सदस्य, जिनके पास पते के प्रमाण (पीओए) का वैध दस्तावेज नहीं है, के लिए एचओएफ प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा ऑनलाइन माई-आधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) के जरिए आधार अपडेट करने का प्रावधान किया है।

3.6.5 आधार डेटा को अद्यतन करने के संबंध में आधार नंबर धारक के लिए मुख्य तौर पर दो तरीके उपलब्ध हैं:

- **ऑनलाइन (https://myaadhaar.uidai.gov. in/) पूर्व में स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल (एसएसयूपी पोर्टल) के माध्यम से:** यह एक ऑनलाइन माध्यम है जिसके द्वारा आधार नंबर धारक वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अपने पते को अद्यतन करवा सकता हैं। आधार नंबर धारक जिनके मोबाइल

नंबर पहले से आधार में दर्ज हैं, वे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

- **आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्र पर जाकर** : आधार नंबर धारक किसी भी जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक डेटा को अद्यतन करने के लिए नामित बैंक शाखाओं, डाकघरों, एएसके, सीएससी, यूटीआईआईएसएल या अन्य सरकारी कार्यालयों में स्थित 62,080 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों में से किसी पर जाकर भी ये सेवाएं ले सकता है। उपरोक्त के अलावा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन की सुविधा के लिए लगभग 45,000 बाल नामांकन लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) नामांकन किट भी उपलब्ध हैं।

3.6.6 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, भाविपप्रा की स्थापना के बाद से 107.50 करोड़ जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक अद्यतन किए जा चुके हैं। 2012 से वर्षवार आधार अद्यतन को ग्राफ 3 में दर्शाया गया है।

3.6.7 नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों के लिए आधार नामांकन और बच्चों (आधार नंबर धारक) का अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन निःशुल्क किया जाता है। हालांकि, अन्य सेवाओं के लिए आकृति 5 में दर्शाए अनुसार मामूली शुल्क लिया जाता है।

3.7 आधार सेवा केंद्र

3.7.1 भाविपप्रा ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत देश भर के 72 शहरों में 88 आधार सेवा केंद्र (एएसके) स्थापित किए हैं, ताकि आवेदकों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं के संदर्भ में सुरक्षित और पूर्व-अपॉइंटमेंट पर आधारित सुविधाजनक सेवा प्रदान की जा सके। इन आधार सेवा केंद्रों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये सप्ताह के सभी 7 दिनों में अन्य सुविधाएं प्रदान करने के अलावा उच्च सेवा क्षमता, वातानुकूलित परिवेश, एक से अधिक नामांकन काउंटर, बैठने की उचित व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक टोकन प्रणाली प्रदान कर सकें। सभी आधार सेवा केंद्रों में व्हील-चेयर की सुविधा उपलब्ध है तथा इनमें बुजुर्गों या शारीरिक रूप से अक्षम/ दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने के लिए यहां विशेष प्रावधान किए गए हैं।

3.7.2 देश के 72 शहरों में इन 88 आधार सेवा केंद्रों को स्थापित

ग्राफ 3 – वर्षवार आधार अद्यतन

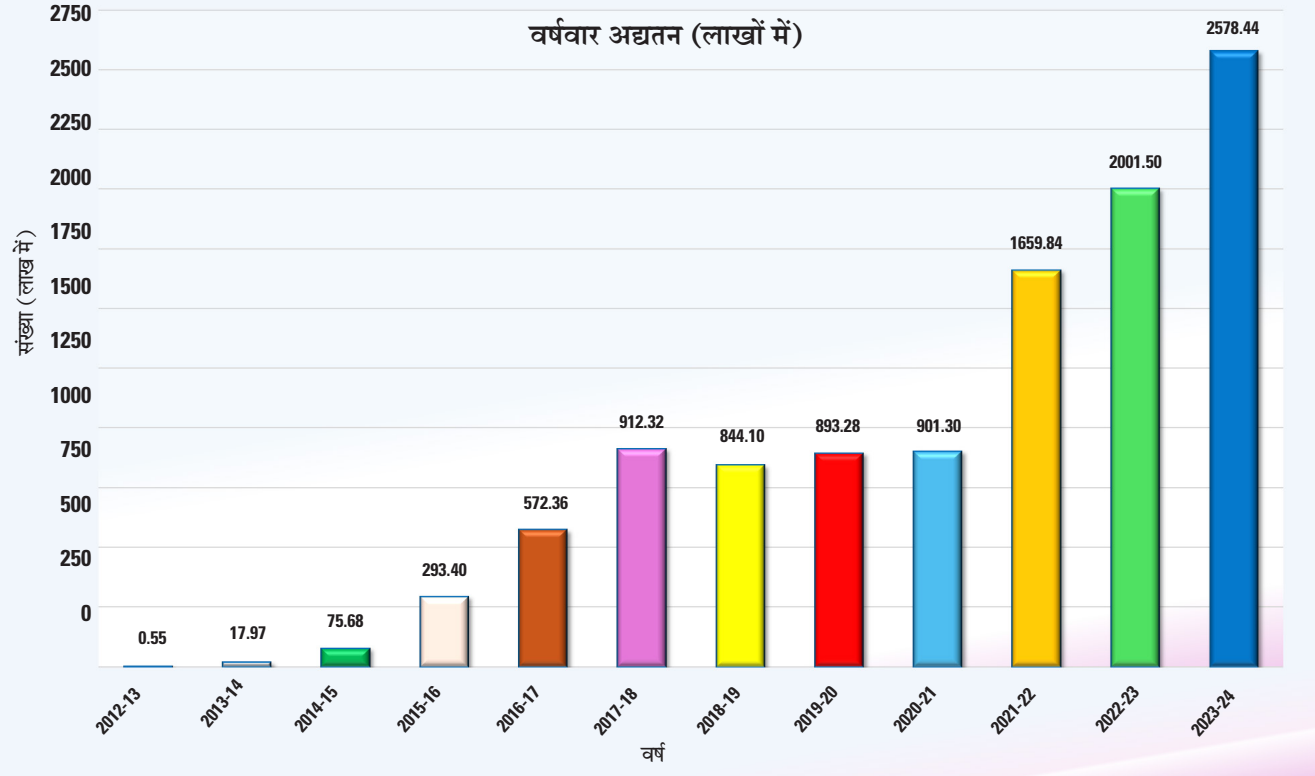

आधार नामांकन: निःशुल्क
आधार अपडेट शुल्क

बायोमेट्रिक अपडेट नामांकित बायोमेट्रिक का अपडेट (फिंगरप्रिंट, आईरिस, फोटो)	(I) 5 से 7 वर्ष की अवस्था में **निःशुल्क** (II) 15 से 17 वर्ष की अवस्था में **निःशुल्क** (III) इनके अतिरिक्त रु **100/- मात्र**
जनसांख्यिकी अपडेट नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर अथवा ईमेल	(I) बायोमेट्रिक अपडेट के साथ **निःशुल्क** (II) बायोमेट्रिक अपडेट के बिना **रु 50/- मात्र**
डॉक्यूमेंट अपडेट नाम, लिंग, जन्मतिथि और पते के समर्थन में पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज़ जमा करना	(I) आधार केंद्र पर रु **50/- मात्र**

एक बार में एक से अधिक अपडेट को एक ही अनुरोध माना जाएगा

आकृति 5 - विभिन्न आधार सेवाओं के लिए एक व्यक्ति द्वारा संदेय प्रभार (31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार)

करने और संचालन करने के लिए भाविपप्रा ने दो सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया है। अनिवासी भारतीयों सहित नामांकन चाहने वाले व्यक्ति या आधार नंबर धारक निम्नलिखित सेवाओं के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेकर अपनी सुविधानुसार अपने नजदीकी किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं

- आधार नामांकन
- आधार में किसी जनसांख्यिकीय जानकारी झ्र नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी का अद्यतन करना
- आधार में बायोमेट्रिक डेटा - फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन का अद्यतन करना
- डाउनलोड और प्रिंट आधार सेवाएं

3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

3.8.1 आधार नंबर धारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, भाविपप्रा ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सुविधा शुरू की है। भाविपप्रा द्वारा संचालित सभी आधार सेवा केंद्र ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का पालन किया जा रहा है, जिसमें कोई भी आवेदक आधार नामांकन के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है या अपनी पसंद के अनुसार किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र में नामांकन या अद्यतन करा सकता है। एक आवेदक वेबसाइट लिंक https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx के माध्यम से अपने या परिवार के किसी सदस्य के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है।

3.8.2 यह एक निःशुल्क सेवा है जहां आवेदक को आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, कोई भी आवेदक एक मोबाइल नंबर के द्वारा प्रति माह अधिकतम 5 अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है।

3.9 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम

3.9.1 भाविपप्रा जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा के उपयोग द्वारा ऑनलाइन अधिप्रमाणन सेवा प्रदान करता है। यूआईडी (आधार) नंबर, जो विशिष्ट रूप से किसी आधार नंबर धारक की पहचान करता है, व्यक्तियों को देश भर में सार्वजनिक और/ या निजी एजेंसियों को स्पष्ट रूप से अपनी पहचान स्थापित

बेंगलुरू में आधार सेवा केंद्र

करने का साधन प्रदान करता है। आधार ऑनलाइन अधिप्रमाणन आधार नंबर धारक के आधार नंबर के सत्यापन की अनुमति देता है और पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आधार ने औपचारिक रूप से 7 फरवरी 2012 को फिंगरप्रिंट आधारित ऑनलाइन अधिप्रमाणन, 24 मई 2013 को आईरिस आधारित अधिप्रमाणन, ओटीपी अधिप्रमाणन, ई-केवाईसी सेवाओं को और 15 अक्तूबर, 2021 को चेहरा अधिप्रमाणन को शुरू किया।

3.9.2 तत्पश्चात, विभिन्न योजनाओं जैसे पीडीएस, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां और एलपीजी सब्सिडी आदि को सेवा के लक्षित वितरण के लिए आधार के साथ एकीकृत किया गया। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकार लोक आयोग, परिवार पहचान, विभिन्न चिकित्सा परिषद/स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं और विद्युत बोर्ड सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान नियम, 2020) के लिए आधार अधिप्रमाणन के तहत आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। ई-केवाईसी सेवा का उपयोग विभिन्न सरकारी आवेदनों द्वारा किया जा रहा है, जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करना और पैन कार्ड जारी करना। ई-केवाईसी सेवा प्रदाता, आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए पेपरलेस केवाईसी सेवा प्रदान कर सकते हैं और कागज के रखरखाव, उसके भंडारण और जाली दस्तावेजों के जोखिम से बच सकते हैं। चूंकि आधार ई-केवाईसी वास्तविक-समय पर आधारित है, यह सेवा प्रदाताओं को, निवासियों के लिए सेवाओं का तत्काल वितरण करने में समर्थ बनाता है।

3.10 अधिप्रमाणन भागीदार

भाविपप्रा अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए), ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) और अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए) नामक एजेंसियों, जिन्हें आधार (अधिप्रमाणन और सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 12 के अनुसार नियुक्त किया जाता है, के माध्यम से अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाएं प्रदान करता है।

1. **अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए) :** अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी या एयूए से अभिप्राय एक अनुरोधकर्ता संस्था से है, जो प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई हाँ/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करती है। एक एयूए, सुरक्षित प्रोटोकॉल के उपयोग द्वारा एक एएसए (या तो स्वयं एएसए बनकर या किसी मौजूदा एएसए की सेवाएँ लेकर) के माध्यम से भाविपप्रा डेटा सेंटर/केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) से जुड़ा होता है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, आधार ईकोसिस्टम में 199 एयूए सक्रिय हैं।

2. **ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) :** ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी या केयूए से अभिप्राय ऐसी अनुरोधकर्ता एजेंसी से है जो एयूए होने के अलावा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करती है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, आधार ईकोसिस्टम में 194 केयूए संस्थाएँ सक्रिय हैं।

3. **अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए):** अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी या एएसए से अभिप्राय लाइसेंस प्राप्त ऐसी संस्था से है जो सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी और संबंधित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अवसरंचना प्रदान करती है, ताकि अनुरोधकर्ता संस्था प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रमाणीकरण सुविधा के उपयोग द्वारा प्रमाणीकरण करने में सक्षम हो सके। ये सीआईडीआर के साथ स्थापित किए गए सुरक्षित कनेक्शन के माध्यम से मध्यवर्ती इकाइयों को समर्थ बनाने की भूमिका निभाती हैं। एएसए एयूए से प्राप्त प्रमाणीकरण अनुरोधों को सीआईडीआर को प्रेषित करती हैं और सीआईडीआर की प्रतिक्रिया को वापस एयूए को भेजती हैं। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 21 एएसए सक्रिय हैं।

3.11 आधार अधिप्रमाणन सेवाएं

3.11.1 आधार अधिप्रमाणन वह प्रक्रिया है जिसमें आधार

नंबर, अन्य विशेषताओं (जनसांख्यिकीय/बायोमेट्रिक्स/ओटीपी) के साथ सत्यापन के लिए भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में प्रस्तुत की जाती है; सीआईडीआर यह सत्यापित करता है कि प्रस्तुत किया गया डेटा सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा से मेल खाता है या नहीं और "हाँ/नहीं" के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। प्रतिक्रिया के अंश के रूप में कोई भी व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी नहीं बताई जाती है। अधिप्रमाणन का उद्देश्य आधार नंबर धारकों को सेवा प्रदाताओं के समक्ष अपनी पहचान स्थापित करने में सक्षम बनाना है, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या वे वही आधार नंबर धारक हैं जिसका 'वे दावा कर रहे हैं' जिससे कि उन्हें सेवाएं और लाभ प्रदान किए जा सकें। आधार ई-केवाईसी एक अन्य प्रकार की अधिप्रमाणन सेवा है जिसमें भाविपप्रा अपने सीआईडीआर में संग्रहीत डेटा के अनुसार इनपुट मापदंडों को अधिप्रमाणित करता है और एन्क्रिप्टेड ई-केवाईसी डेटा के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-केवाईसी अधिप्रमाणन प्रतिक्रिया देता है।

3.11.2 अधिप्रमाणन के प्रकार

प्राधिकरण द्वारा दो प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, अर्थात

1. **'हाँ/नहीं' अधिप्रमाणन** : 'हाँ/नहीं' अधिप्रमाणन सुविधा से अभिप्राय एक प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधा से है जिसमें पहचान संबंधी सूचना और आधार नंबर को अनुरोधकर्ता संस्था के माध्यम से आधार नंबर धारक की सहमति से सुरक्षित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद इसे सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा के साथ मिलान किया जाता है और प्राधिकरण डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 'हाँ' या 'नहीं' प्रतिक्रिया के साथ अधिप्रमाणन संव्यवहार से संबंधित अन्य तकनीकी विवरण देता है, लेकिन पहचान संबंधी कोई सूचना नहीं देता है। 'हाँ/नहीं' अधिप्रमाणन सुविधा फरवरी 2012 में आरंभ हुई थी। शुरूआत से लेकर 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा 10,207.89 करोड़ हाँ/नहीं अधिप्रमाणन किए गए हैं।

   वर्षवार और संचयी आधार हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहारों को तालिका 5, ग्राफ 4 और ग्राफ 5 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, 2023-24 के दौरान माह-वार किए गए आधार हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहार को तालिका 6 में दर्शाया गया है।

2. **ई-केवाईसी अधिप्रमाणन** : ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा से अभिप्राय एक प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधा से है जिसमें आधार नंबर धारक की सहमति से एक अनुरोधकर्ता संस्था के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रस्तुत की गई बायोमेट्रिक सूचना और/या ओटीपी तथा आधार नंबर का सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा के साथ मिलान किया जाता है और प्राधिकरण डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतिक्रिया देता है जिसमें अधिप्रमाणन संव्यवहार से संबंधित अन्य तकनीकी विवरणों के साथ ई-केवाईसी डेटा शामिल होता है। भाविपप्रा ने मई 2013 में ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा शुरू की। शुरूआत से लेकर 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा 1886.76 करोड़ ई-केवाईसी अधिप्रमाणन किए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि बायोमेट्रिक आधारित संव्यवहार में, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की बढ़ती साझेदारी, प्रमाणीकरण की समग्र विधियों में 75% हिस्सेदारी देखी गई।

   वर्षवार और संचयी आधार ई-केवाईसी अधिप्रमाणन संव्यवहारों को तालिका 7, ग्राफ 6 और ग्राफ 7 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, 2023-24 के दौरान माह-वार किए गए आधार ई-केवाईसी अधिप्रमाणन संव्यवहार को तालिका 8 में दर्शाया गया है।

3.11.3 अधिप्रमाणन के माध्यम: भाविपप्रा अधिप्रमाणन के विभिन्न माध्यम प्रदान करता है, जैसे जनसांख्यिकीय, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा), ओटीपी और बहु-कारक

ग्राफ 4 – वर्षवार हाँ/नहीं आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार

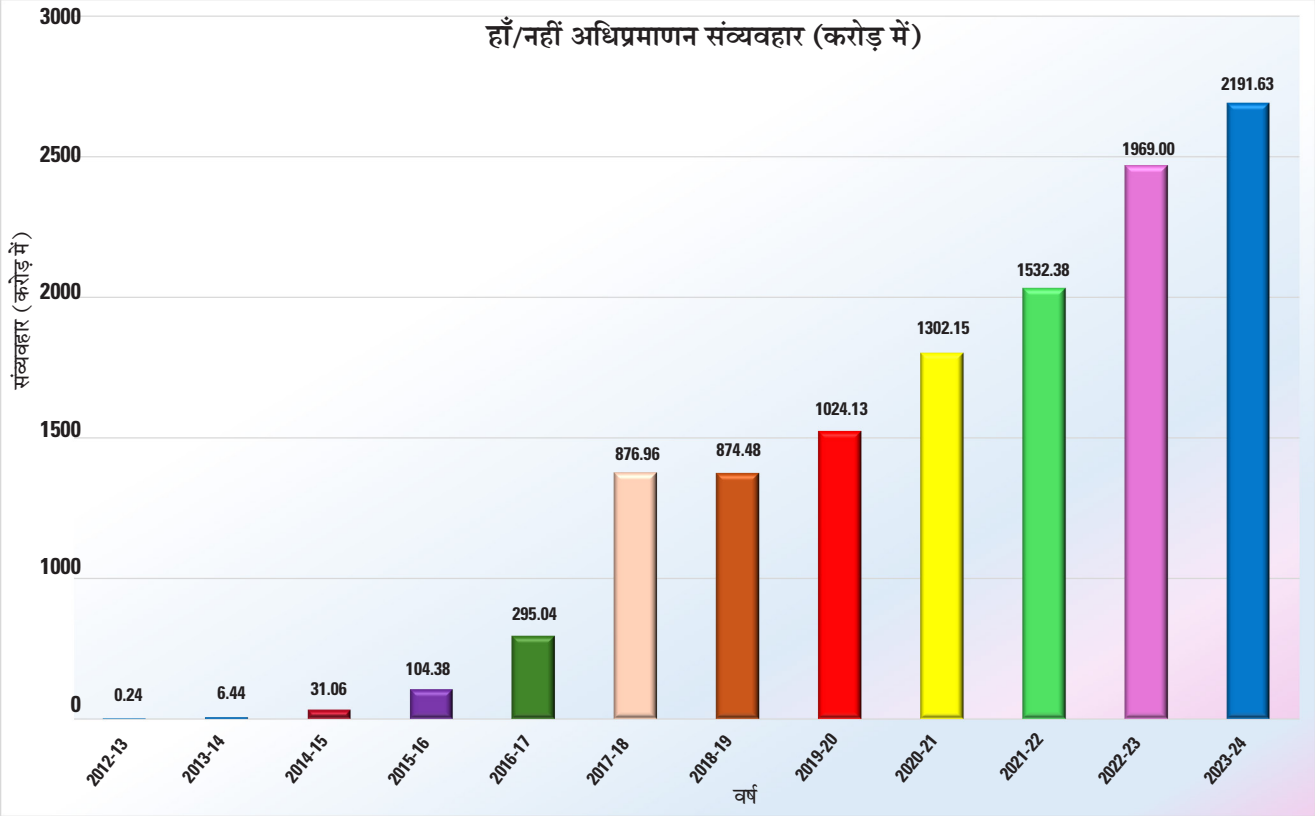

ग्राफ 5 – संचयी हाँ/नहीं आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार

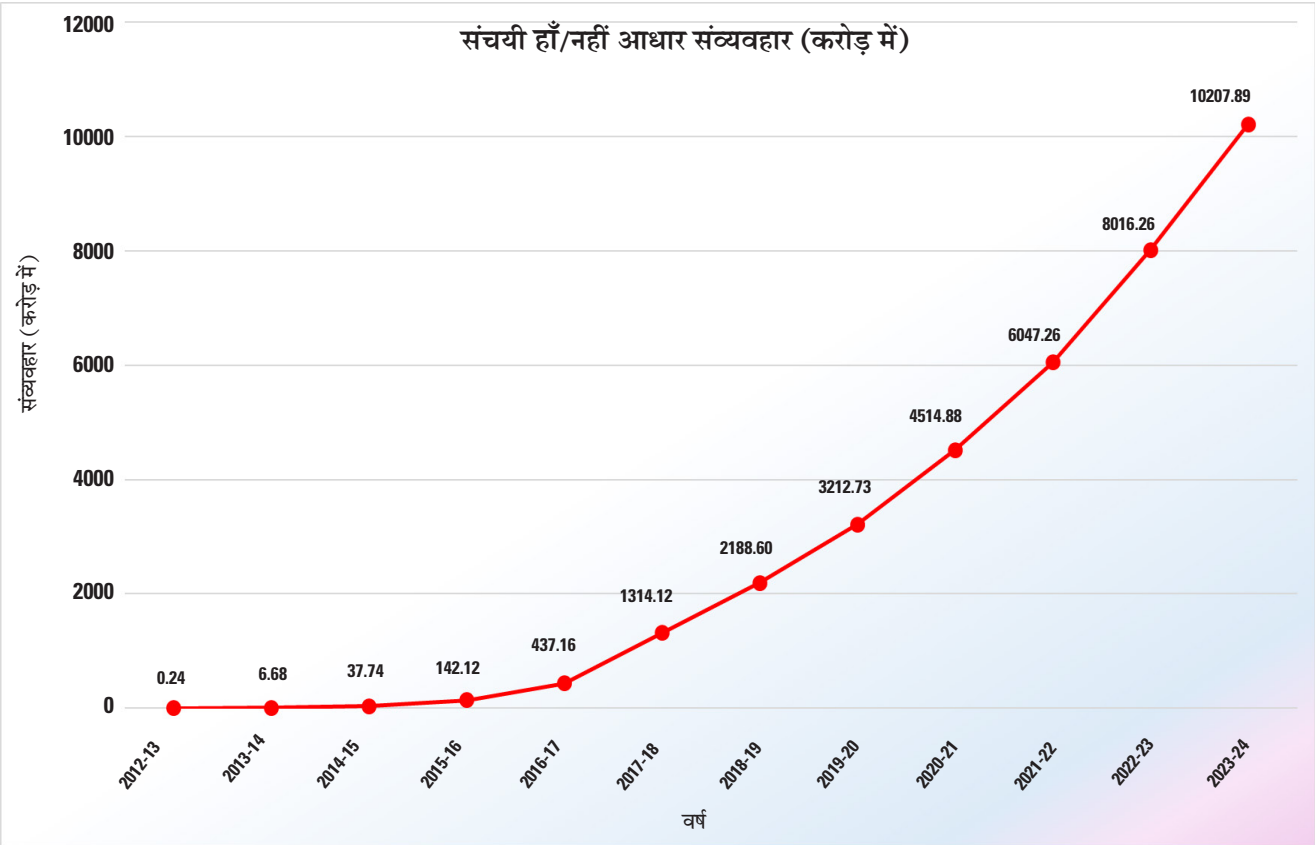

तालिका 5 – वर्षवार और संचयी हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहार

वर्ष	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2012-13	0.24	0.24
2013-14	6.44	6.68
2014-15	31.06	37.74
2015-16	104.38	142.12
2016-17	295.04	437.16
2017-18	876.96	1,314.12
2018-19	874.48	2,188.6
2019-20	1,024.13	3,212.73
2020-21	1,302.15	4,514.88
2021-22	1,532.38	6,047.26
2022-23	1,969.00	8,016.26
2023-24	2,191.63	10,207.89

तालिका 6 – माहवार हाँ/नहीं अधिप्रमाणन संव्यवहार (2023-24)

माह	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल 2023	170.66
मई 2023	159.99
जून 2023	167.92
जुलाई 2023	189.79
अगस्त 2023	204.97
सितंबर 2023	208.11
अक्तूबर 2023	169.87
नवंबर 2023	180.92
दिसंबर 2023	175.10
जनवरी 2024	173.96
फरवरी 2024	189.63
मार्च 2024	200.71
कुल	**2,191.63**

ग्राफ 6 – वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार

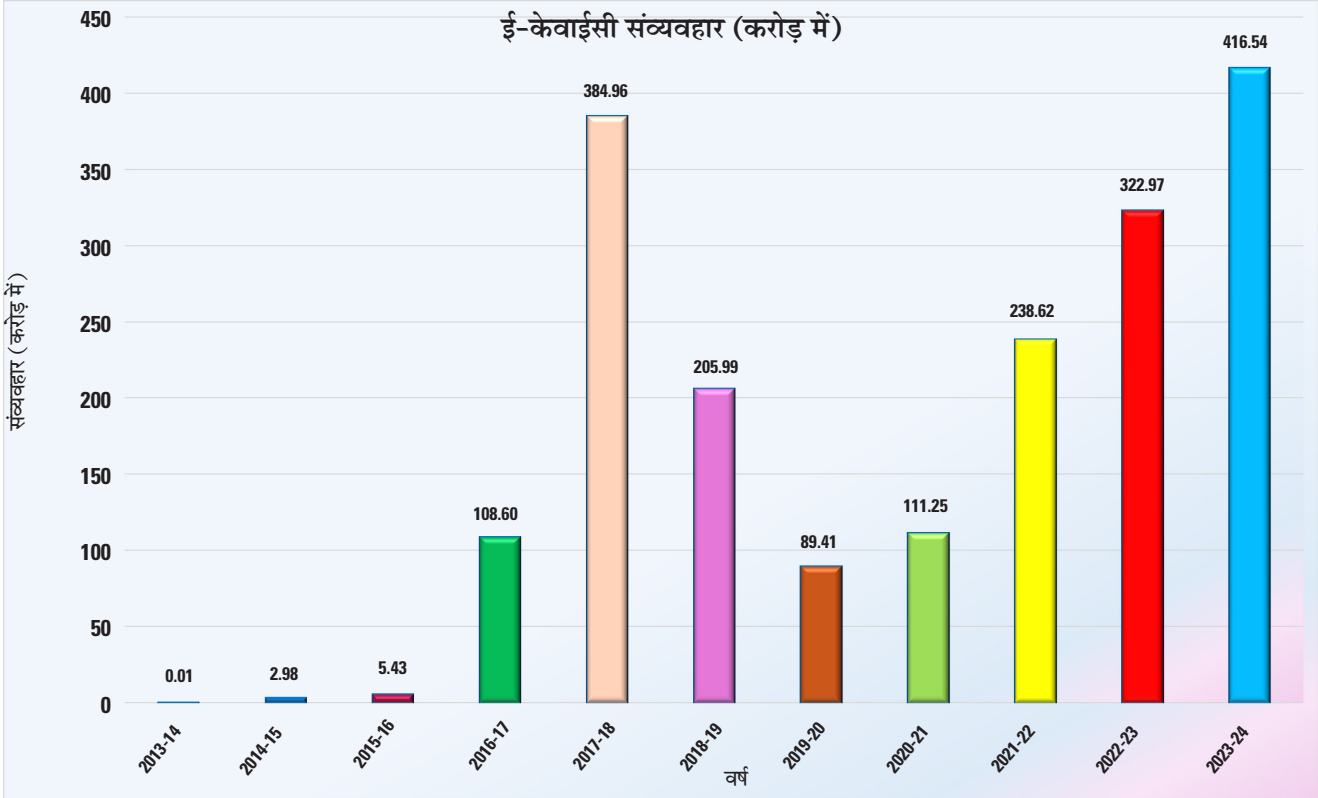

ग्राफ 7 – संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

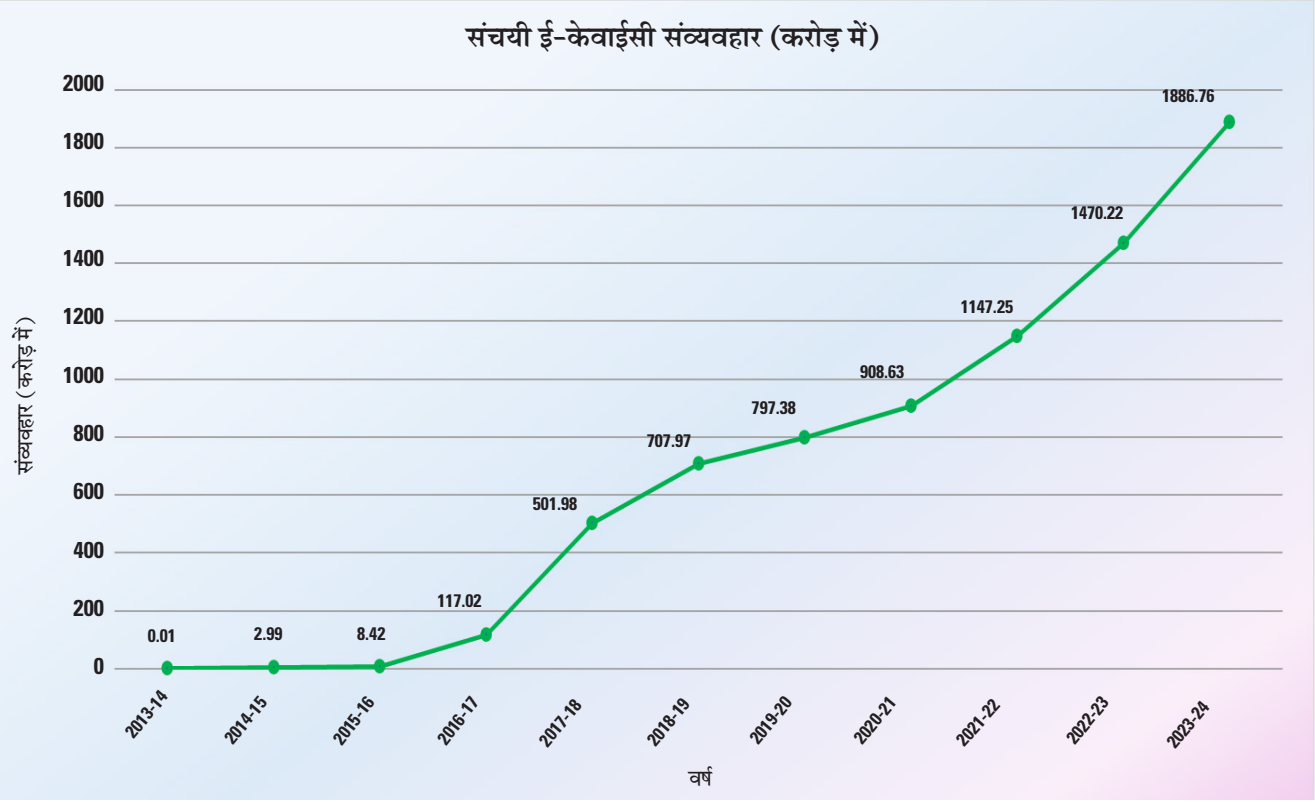

तालिका 7 - वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

वर्ष	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2013-14	0.01	0.01
2014-15	2.98	2.99
2015-16	5.43	8.42
2016-17	108.60	117.02
2017-18	384.96	501.98
2018-19	205.99	707.97
2019-20	89.41	797.38
2020-21	111.25	908.63
2021-22	238.62	1,147.25
2022-23	322.97	1,470.22
2023-24	416.54	1,886.76

तालिका 8 - माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2023-24)

वर्ष	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल 2023	25.05
मई 2023	25.40
जून 2023	31.48
जुलाई 2023	31.16
अगस्त 2023	33.10
सितंबर 2023	34.55
अक्तूबर 2023	35.67
नवंबर 2023	35.52
दिसंबर 2023	44.03
जनवरी 2024	40.84
फरवरी 2024	37.63
मार्च 2024	42.10
कुल	**416.54**

अधिप्रमाणन। प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणन अनुरोध पर केवल आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के अनुसार अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए अनुरोध और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिदेर्शों के अनुरूप ही विचार किया जाता है। प्रमाणीकरण निम्नलिखित माध्यमों द्वारा किया जा सकता है:

1. **जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन:** आधार नंबर और आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय सूचना (उदाहरणार्थ नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, फोन नंबर, ईमेल आदि) का मिलान सीआईडीआर में आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय सूचना से किया जाता है।

2. **वन टाइम पिन (ओटीपी) आधारित अधिप्रमाणन:** प्राधिकरण के साथ पंजीकृत आधार नंबर धारक के मोबाइल नंबर पर सीमित समय की वैधता वाला वन टाइम पिन (ओटीपी) भेजा जाता है, या अन्य उचित माध्यम से सृजित किया जाता है। आधार नंबर धारक अधिप्रमाणन के दौरान अपने आधार नंबर के साथ इस ओटीपी को उपलब्ध कराएगा और इसका भाविपप्रा द्वारा सृजित ओटीपी से मिलान किया जाएगा।

3. **बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन:** आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत आधार नंबर और बायोमेट्रिक सूचना का मिलान सीआईडीआर में संग्रहीत उक्त आधार नंबर धारक की बायोमेट्रिक सूचना से किया जाता है। यह फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा आधारित अधिप्रमाणन हो सकता है या सीआईडीआर में संग्रहीत बायोमेट्रिक सूचना के आधार पर अन्य बायोमेट्रिक तौर-तरीके हो सकते हैं।

4. **बहु-कारक अधिप्रमाणन:** अधिप्रमाणन के लिए उल्लिखित माध्यमों में से दो या अधिक संयोजनों का उपयोग किया जा सकता है।

3.11.4 अनुरोधकर्ता संस्था सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार बहु-कारक अधिप्रमाणन सहित किसी विशेष सेवा या व्यावसायिक कार्य/संव्यवहार के लिए यथावर्णित उपलब्ध अन्य माध्यमों में से अधिप्रमाणन के किसी भी उपयुक्त माध्यम का चयन कर सकती है।

3.11.5 अपवाद प्रबंधन: आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 14(1)(i) के अनुसार, सभी अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा आधार नंबर धारक के लिए अधिप्रमाणन सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अपवाद-प्रबंधन तंत्र और बैक-अप पहचान अधिप्रमाणन तंत्र को क्रियान्वित करना आवश्यक है।

3.12 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम में प्रमुख विकास

3.12.1 एल1 पंजीकृत उपकरण: डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भाविपप्रा ने सभी बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों (आरडी) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। क्षेत्र में एल0 पंजीकृत उपकरणों के सफल रूपांतरण के बाद, भाविपप्रा ने एम्बेडेड प्री सर्टिफाइड हार्डवेयर (पीसीएच) के साथ एल 1 पंजीकृत प्रमाणीकरण उपकरण शुरू किए हैं। एल1 पंजीकृत उपकरणों में, हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक के एन्क्रिप्शन को विश्वसनीय निष्पादन परिवेश (टीईई) के भीतर कार्यान्वित किया जाता है, जहां मेजबान ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) में निजी कुंजी प्राप्त करने या बायोमेट्रिक्स इंजेक्ट करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं होता है। एल1 पंजीकृत अधिप्रमाणन उपकरणों के लाभ निम्न प्रकार हैं:-

- बॉयोमेट्रिक के हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन को हार्डवेयर स्तर पर विश्वसनीय निष्पादन परिवेश (टीईई) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है।
- टीईई के अंतर्गत निजी कुंजियों का प्रबंधन।
- पीआईडी ब्लॉक अधिक सुरक्षित परिवेश में है।
- पीसीएच (पूर्व-प्रमाणित हार्डवेयर), सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रमाणन/सत्यापन।

- पूर्व-प्रमाणित हार्डवेयर के लिए विशिष्ट पहचान।
- पीआईडी ब्लॉक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं।
- "रिप्ले" विकल्प कम हो गए हैं।
- गणना में कम छेड़छाड़ की जाती है।
- उपकरण केवल-पढ़ने के लिए मेमोरी के साथ एम्बेडेड है।
- चिप स्तर पर अधिक सुरक्षा विशेषताएं।
- बायोमेट्रिक उपकरण की कीमत में मामूली वृद्धि।
- भाविपप्रा में संव्यवहार संचालन क्षमता वही रहेगी।

पांच फिंगरप्रिंट एल1 उपकरणों को प्रमाणित किया गया है। अन्य उपकरण प्रमाणन की प्रक्रिया में हैं। एल1 पंजीकृत प्रमाणीकरण उपकरणों को अक्तूबर 2022 में आधार प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम में रोल आऊट किया गया है।

3.12.2 फिंगरप्रिंट इमेज रिकार्ड (एफआईआर) - फिंगरप्रिंट मिनुतिया रिकार्ड (एफएमआर) एकल पीआईडी ब्लॉक में कार्यान्वयन : आधार प्रमाणीकरण को अधिक सुरक्षित बनाने और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के जीवंतता गुणों को बढ़ाने के लिए, भाविपप्रा ने सिंगल पीआईडी ब्लॉक (व्यक्तिगत पहचान ब्लॉक) में एफआईआर-एफएमआर की सुविधा शुरू की है। सिंगल पीआईडी ब्लॉक अवधारणा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, आधार सक्षम भुगतान प्रणालियों और आधार नंबर धारकों के लिए अन्य आधार अनुप्रयोगों में धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को खत्म करना और प्रमाणीकरण को अधिक सुरक्षित और लाइवनेस डिटेक्शन को कुशल बनाना है। प्रमाणीकरण एपीआई में सिंगल पीआईडी ब्लॉक में एफएमआर (फिंगर मिनुतिया रिकॉर्ड) - एफआईआर (फिंगर इमेज रिकॉर्ड) का उपयोग करके फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण अनुरोध भेजने का प्रावधान है। वर्तमान में सभी संस्थाएँ मुख्य रूप से फिंगरप्रिंट आधारित आधार प्रमाणीकरण के लिए एफएमआर का उपयोग कर रही थीं और कुछ केवल एफआईआर का उपयोग कर रही थी। वर्तमान में प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम में सभी एयूए/केयूए 28.02.2023 तक पूरी तरह स्थानांतरित हो गई हैं। सभी फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण संव्यवहार अब एफएमआर-एफआईआर सिंगल पीआईडी कैप्चर विधि में निष्पादित किए जाते हैं।

3.12.3 चेहरा प्रमाणीकरण : भाविपप्रा ने 15 अक्तूबर 2021 को चेहरा प्रमाणीकरण (फेस ऑथेंटिकेशन) विधि की शुरूआत की, जिसके द्वारा आधार नंबर धारक की पहचान को आधार प्रमाणीकरण के साथ सत्यापित किया जा सकता है। चेहरा प्रमाणीकरण की सफलता से यह पुष्टि होती है कि सत्यापन के लिए स्कैन किया जा रहा आपका भौतिक चेहरा उसी चेहरे से मेल खाता है जिसे नामांकन के समय आपका आधार नंबर सृजित करने के दौरान कैप्चर किया गया था। चेहरे का सफल प्रमाणीकरण यह पुष्टि करता है कि आप वही हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। चेहरा प्रमाणीकरण आरडी ऐप एक टचलेस एप्लिकेशन है जो आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए) एप्लिकेशन को कैप्चर की गई चेहरे की छवि के जरिए जीवंतता की पुष्टि उपरांत आधार नंबर धारक को प्रमाणित करने की सुविधा देता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) द्वारा आंतरिक रूप से विकसित एआई/एमएल आधारित चेहरा प्रमाणीकरण समाधान का उपयोग अब 72 संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के विभाग, केंद्र सरकार के मंत्रालय, दूरसंचार, बैंक और एनबीएफसी शामिल हैं, जिनके द्वारा प्रारंभ से लेकर 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार चेहरा प्रमाणीकरण संव्यवहार की कुल संख्या 2,799.11 लाख है। वर्षवार के साथ साथ संचयी आधार चेहरा अधिप्रमाणन संव्यवहार तालिका 9, ग्राफ 8 और ग्राफ 9 में दर्शाया गया है।

तालिका 9 - वर्षवार और संचयी चेहरा अधिप्रमाणन संव्यवहार

वर्ष	वार्षिक संव्यवहार (लाखों में)	संचयी संव्यवहार (लाखों में)
2021-22	1.77	1.77
2022-23	447.25	449.02
2023-24	2,350.09	2,799.11

ग्राफ 8 - वर्षवार चेहरा अधिप्रमाणन

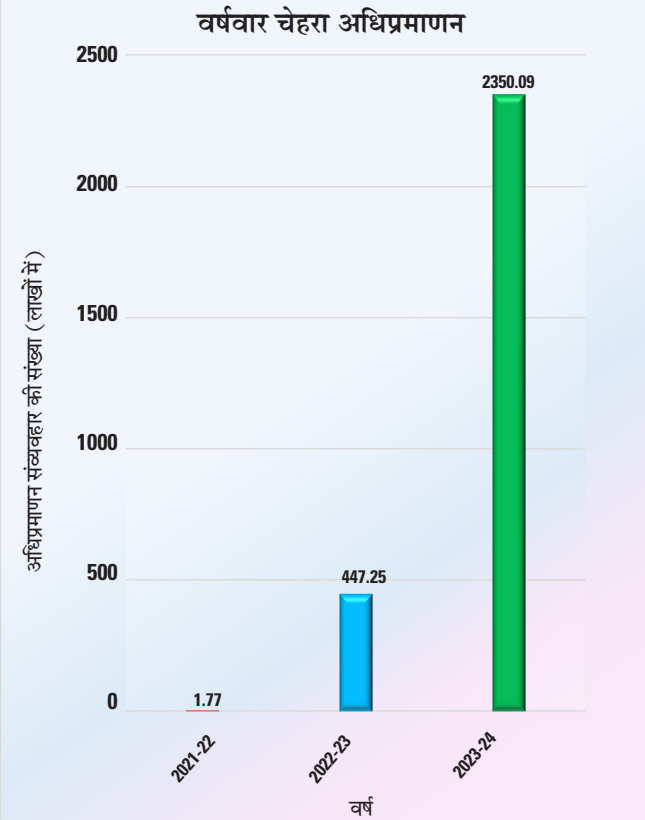

ग्राफ 9 - संचयी चेहरा अधिप्रमाणन

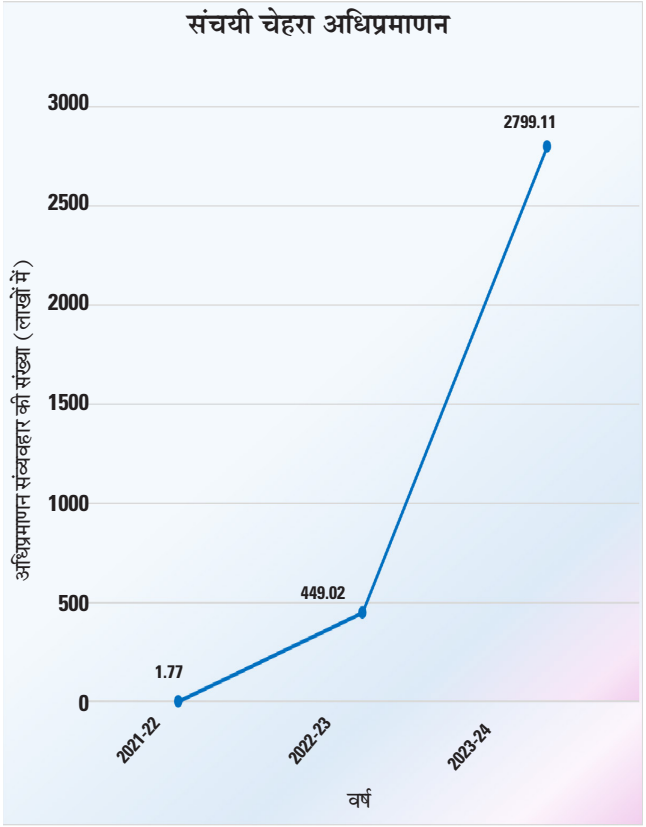

चेहरा अधिप्रमाणन को अब सुशासन, सामाजिक कल्याण, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों के लिए बैकबोन के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि चेहरा अधिप्रमाणन का उपयोग निम्नलिखित में सहायक है:

- भौतिक दस्तावेजों और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- लाभ के वितरण में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करता है।
- सुनिश्चित करना कि लाभ समयबद्ध ढंग में लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे।
- धोखाधड़ी के दावों और भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करता है।
- लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।

3.12.4 आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी: भाविपप्रा ने बिना अधिप्रमाणन के आधार नंबर धारक की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

क) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी : "आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी" से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा सृजित एक सुरक्षित डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज है, जिसमें आधार नंबर के अंतिम 4 अंक, जनसंख्यिकीय डेटा जैसे नाम, पता, लिंग, और जन्मतिथि तथा आधार नंबर धारक का फोटोग्राफ आदि शामिल है।

ख) आधार सुरक्षित क्यूआर कोड : आधार सुरक्षित क्यूआर कोड से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया एक त्वरित प्रतिक्रिया कोड है, जिसमें आधार नंबर के अंतिम 4 अंक, जनसंख्यिकीय डेटा जैसे नाम, पता, लिंग, और जन्मतिथि तथा आधार नंबर धारक का फोटोग्राफ आदि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित डेटा शामिल है। यह नया डिजिटल हस्ताक्षरित क्यूआर कोड ई-आधार, आधार पत्र और एम-आधार पर उपलब्ध है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड को एंड्रॉयड/आईओएस/विंडोज रीडर एप्लिकेशन या क्यूआर कोड स्कैनर उपकरणों का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है।

3.12.5 आधार लॉक/अनलॉक : आधार की सुरक्षा और अधिक बढ़ाने के लिए, भाविपप्रा ने आधार को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा आरंभ की है, जो आधार धारक को अपने आधार को 'लॉक' या 'अनलॉक' करने का विकल्प प्रदान करती है। आधार लॉक होने की स्थिति में, अनुरोधकर्ता संस्थाएं आधार का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणन (बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय/ओटीपी) नहीं कर सकेंगी। तथापि, अनुरोधकर्ता संस्थाएं लॉक किए गए आधार की वर्चुअल आईडी का उपयोग करके अधिप्रमाणन करने में सक्षम होंगी। आधार धारक भाविपप्रा की वेबसाइट, एसएमएस और एम-आधार मोबाइल एप्लिकेशन जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपना आधार लॉक कर सकता है। यूआईडी अनलॉक करने के लिए, आधार धारक के पास 16 अंकों की अद्यतन वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। अद्यतन वर्चुअल आईडी को आधार धारक अपने पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के जरिए प्राप्त कर सकता है।

3.12.6 आधार सुरक्षित क्यूआर कोड : आधार सुरक्षित क्यूआर कोड आधार धारक की पहचान के ऑफलाइन सत्यापन के लिए भाविपप्रा द्वारा प्रदान किया गया एक त्वरित प्रतिक्रिया कोड है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जनसांख्यिकीय डेटा अर्थात नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, अप्रत्यक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर, पंजीकृत ई-मेल पता और संदर्भ आईडी (आधार और समय टिकट के अंतिम 4 अंक) शामिल है। यह डिजिटल हस्ताक्षरित क्यूआर कोड ई-आधार, आधार पत्र, आधार पीवीसी कार्ड एवं एंड्रॉयड और ओओएस पर उपलब्ध एमआर ऐपर पर उपलब्ध है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड को भाविपप्रा द्वारा प्रकाशित एंड्रॉयड/ आईओएस/विंडोज रीडर एप्लिकेशन या एमआधार ऐप के माध्यम से स्कैन किया जा सकता है।

3.12.7 आइरिस उपकरणों को बढ़ावा देना : आइरिस उपकरण संपर्क - रहित डिवाइस हैं और अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, आधार नंबर धारक के साथ बिना किसी भौतिक संपर्क के पूर्ण की जा सकती है। आइरिस उपकरणों का प्रयोग महामारी के समय में एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है, यह एक ऐसी संपर्क-रहित अधिप्रमाणन विधि है जिससे आधार नंबर धारक की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और यह उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा, फिंगरप्रिंट उपकरणों की तुलना में आइरिस उपकरणों में अधिप्रमाणन सफलता दर अधिक है। आइरिस डिवाइस सुरक्षित भी है, क्योंकि इसमें किसी भी क्लोन आइरिस का प्रयोग करके फर्जी अधिप्रमाणन करना असंभव है। इन कारकों के फलस्वरूप, भाविपप्रा अनुरोधकर्ता संस्थाओं के मध्य आइरिस उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। भाविपप्रा एसटीक्यूसी के साथ मिलकर विभिन्न फॉर्म फैक्टर में आइरिस उपकरण मॉडल को प्रमाणित करने और उन्हें आरंभ करने की दिशा में काम कर रहा है। आइरिस डिवाइस मॉडल, टैबलेट/पीओएस उपकरणों में पृथक या एकीकृत रूप में उपलब्ध हैं, जो अनुरोधकर्ता संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार आइरिस उपकरण मॉडल चुनने की सुविधा प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक आइरिस डिवाइस के प्रयोग में लगभग 2.19 लाख की वृद्धि हुई है।

3.13 संभारिकी एवं सीआई ईकोसिस्टम

भाविपप्रा के संभारिकी एवं सीआई प्रभाग को आधार धारकों के आधार पत्रों के मुद्रण और वितरण का काम सौंपा गया है। नए नामांकन, जनसांख्यिकीय अद्यतन (मोबाइल और ईमेल को छोड़कर) और पुनर्मुद्रण के मामले में आधार पत्र मुद्रण उपरांत आधार धारकों को भेजे जाते हैं। भाविपप्रा ने 25 सितंबर, 2020 से एक प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है, जिसका नाम "ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी)" है। यह प्रभाग सभी कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न संबंधित गतिविधियों के लिए अन्य व्यावसायिक प्रभागों, आधार ईकोसिस्टम के हितधारकों और भागीदारों के साथ समन्वय करता है।

3.14 आधार पत्र मुद्रण और वितरण

3.14.1 एक बार आधार सृजित हो जाने के बाद, इसे मुद्रित किया जाता है और स्वीकार्य समय-सीमा के भीतर आधार धारक को वितरित किया जाता है। आधार पत्र एक मुद्रित, लैमिनेटेड दस्तावेज

होता है जिसमें फोटोग्राफ, आधार धारक की जनसांख्यिकीय सूचना, आधार नंबर और सुरक्षित (क्यूआर) कोड होता है, जिसमें ऑफलाइन सत्यापन के लिए भाविपप्रा के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय विवरण शामिल होता है।

3.14.2 आधार पत्र हिंदी, अंग्रेजी और 11 स्थानीय भाषाओं सहित 13 विभिन्न भाषाओं में मुद्रित होता है। आधार डेटाबेस में पंजीकृत पते पर आधार धारकों को आधार पत्रों के वितरण के लिए डाक विभाग भाविपप्रा का वितरण भागीदार है। स्थापना के बाद से, 31 मार्च 2024 तक भारतीय डाक के माध्यम से प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रैंक किए गए लेखों के रूप में 138.11 करोड़ नए आधार पत्र मुद्रित कर भेजे जा चुके हैं। साथ ही, 31 मार्च 2024 तक भारतीय डाक के माध्यम से प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रैंक्ड आर्टिकल के रूप में आधार धारकों को 66.68 करोड़ अद्यतन आधार पत्र (ई-मेल/मोबाइल के अपडेट को छोड़कर) भेजे जा चुके हैं।

3.15 ई-आधार

ई-आधार में भाविपप्रा द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड निहित है, जो स्कैन किए जाने पर आधार धारक की तस्वीर और जनसांख्यिकीय विवरण प्रदर्शित करता है। आधार प्रणाली में, आधार धारकों के विवरणों को क्यूआर कोड और ऑफलाइन एक्सएमएल की सहायता से स्थापित ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रक्रिया या ऑफलाइन सत्यापन सुविधा के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए, पहचान के वैध प्रमाण के रूप में ई-आधार स्वीकार्य है। 31 मार्च 2024 तक कुल 229.21 करोड़ ई-आधार डाउनलोड किए जा चुके हैं।

3.16 आर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा

3.16.1 भाविपप्रा ने 25 सितंबर 2020 से ऑनलाइन ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा प्रारंभ की। आधार धारक भाविपप्रा की वेबसाइट www.uidai.gov.in और एंड्रॉयड और आईओएस आधारित स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध एम-आधार ऐप के माध्यम से स्पीड पोस्ट डिलीवरी शुल्क की लागत सहित 50/- का मामूली शुल्क देकर आधार पीवीसी कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आधार धारकों को आधार पीवीसी कार्ड, भाविपप्रा के साथ पंजीकृत उनके पते पर प्राप्त होता है।

3.16.2 आधार पीवीसी कार्ड में क्यूआर कोड, माइक्रो टेक्स्ट, गिलोच पैटर्न, घोस्ट इमेज और होलोग्राम जैसी उन्नत सुरक्षा विशेषताएं मौजूद हैं। आधार पीवीसी कार्ड, आधार पत्र, ई-आधार और एम-आधार; सभी उपयोग के लिए समान रूप से मान्य हैं। इसके अलावा, आधार पीवीसी कार्ड टिकाऊ और रखने में आसान है।

3.16.3 भाविपप्रा ने 31 मार्च, 2024 तक 4.78 करोड़ आधार पीवीसी कार्ड (समुद्री मछुवारों को 13 लाख कार्ड सहित) का मुद्रण और वितरण किया जा चुका है। समुद्री मछुवारों को आधार पीवीसी कार्ड अपेक्षित अनुरोधों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

3.17 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम

3.17.1 किसी भी कार्यक्रम, विशेषकर भाविपप्रा जैसे व्यापक पैमाने के कार्यक्रम, की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि नामांकन के दौरान एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दिया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आधार डेटा को कैप्चर करने और उसका प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए, भाविपप्रा ने प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन ईकोसिस्टम को तैयार किया है। इस इकोसिस्टम में 'सामग्री विकास एजेंसी' (सीडीए) और 'परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी' (टीसीए) शामिल हैं।

3.17.2 आधार नामांकन या अद्यतन के समय एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, भाविपप्रा केवल प्रमाणित ईसीएमपी (एनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपरपस प्लेटफॉर्म) प्रचालकों/पर्यवेक्षकों और चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) प्रचालकों को ही नियुक्त करता है। आधार नामांकन/अद्यतन में शामिल सभी हितधारकों के पर्याप्त और प्रभावी प्रशिक्षण के लिए भाविपप्रा द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाया गया है, जिनमें बृहद प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविरों, और पुनश्चर्या/अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में सुव्यवस्थित नामांकन हुआ है और लगभग 100% नामांकन स्तर प्राप्त किया गया है।

- **मास्टर ट्रेनिंग (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) :** मास्टर ट्रेनिंग प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षकों का एक पूल बनाया जाना सुनिश्चित करता है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने क्षेत्राधिकार में नामांकन प्रचालकों (ईसीएमपी और सीईएलसी) को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होंगे। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कुल 224 मास्टर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 13,231 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।
- **मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण कैम्प :** भाविपप्रा ने नामांकन की गति में कोई व्यवधान न आए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित प्रचालकों/पर्यवेक्षकों का एक बृहद पूल तैयार करने के लिए मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविरों के माध्यम का आयोजन करता है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक आधार नामांकन पर कुल 22 मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 1,304 व्यक्तियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया।
- **अभिविन्यास कार्यक्रम :** नवनियुक्त नामांकन कर्मचारियों को नामांकन प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित कराने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 207 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 8,240 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- **पुनश्चर्या कार्यक्रम :** यह कार्यक्रम सक्रिय/प्रमाणित नामांकन प्रचालकों के ज्ञान को परिपुष्ट करने और प्रक्रिया में नवीनतम नीतिगत परिवर्तनों से उन्हें अवगत कराने के लिए आयोजित किया जाता है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 2,038 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 70,361 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान; 69,147

उम्मीदवारों को ईसीएमपी/सीईएलसी प्रचालकों/पर्यवेक्षकों के रूप में प्रमाणित किया गया। इसमें निजी/पीएसयू बैंकों, डाक विभाग, आईपीपीबी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और अन्य विभागों/मंत्रालयों के उम्मीदवार शामिल हैं।

3.17.3 एलएमएस (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) – ई-लर्निंग पोर्टल : भाविपप्रा ने एलएमएस पोर्टल बनाया है और स्व-अध्ययन/पुनश्चर्या एवं अभिविन्यास प्रशिक्षण के लिए अपने ऑपरेटरों को ऐक्सेस प्रदान की है। एलएमएस में भाविपप्रा ईकोसिस्टम प्रचालकों के प्रमाणन, प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण को ई-लर्निंग पोर्टल पर शामिल किया गया है। पोर्टल वर्तमान में केवल सक्रिय ऑपरेटरों के लिए खुला है और यह भाविपप्रा ईकोसिस्टम का एक अंश है।

3.17.4 वार्षिक प्रशिक्षण केलैंडर (एटीसी) : भाविपप्रा ने नामांकन एवं अद्यतन तथा प्रमाणीकरण ऑपरेटरों के बीच आधार ईकोसिस्टम से संबंधित ज्ञान का प्रसार करने के लिए विभिन्न हितधारकों के परामर्श से 'वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर 2023-24' प्रकाशित किया है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक भारतवर्ष में 97 प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं; जिनमें 9,578 आधार ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया गया है।

मॉड्यूल है। एलएमएस स्वचालित, वास्तविक समय की अधिसूचनाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों की प्रगति, पाठ्यक्रम पूर्णता, प्रमाणन, उपलब्धियों को मॉनिटर करता है। एलएमएस पोर्टल में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव को ट्रैक करने और मापने की विशेषताएं हैं। यह अनुकूलन योग्य रिपोर्ट और डैशबोर्ड के माध्यम से सीखने का परिज्ञान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जो शिक्षार्थियों की गतिविधि पर मेट्रिक्स प्रदान करता है।

31 मार्च 2024 तक, 'नामांकन और अद्यतन' और 'अधिप्रमाणन' कार्यों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए 8,579 नए उम्मीदवारों

तालिका 10 – प्रदान किए गए प्रशिक्षकों का विवरण (01.04.2023-31.03.2024)

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रतिभागी	सत्रों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	अभिविन्यास कार्यक्रम	नए/नवीन नामांकन स्टाफ	207	8,240
2.	मेगा प्रशिक्षण - एवं प्रमाणीकरण कैंप	सरकारी कार्मिक जिन्हें नामांकन स्टाफ बनाने के लिए नामित किया गया है	22	1,304
3.	पुनश्चर्या प्रशिक्षण	विद्यमान नामांकन स्टाफ	2,038	70,361
4.	मास्टर प्रशिक्षण	सरकारी कार्मिक एवं नामांकन स्टाफ जिन्हें प्रशिक्षक बनाने के लिए नामित किया गया है।	224	13,231
योग			**2,491**	**93,136**

3.18 ग्राहक संबंध प्रबंधन

ग्राहक संबंध प्रबंधन भाविपप्रा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के खंड 32, अध्याय-VII (शिकायत निवारण तंत्र) में यह विचार किया गया है कि प्राधिकरण (भाविपप्रा) व्यक्तियों के प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीय संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए एक संपर्क केंद्र स्थापित करेगा, जिससे व्यक्ति टोल-फ्री नंबर और/या ईमेल के माध्यम से, जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, संपर्क कर सकते हैं। संपर्क केंद्र निम्नलिखित कार्य करेगा :

- प्रश्नों या शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना और मामले के समाप्त होने तक उसकी आगे निगरानी करने के लिए व्यक्तियों को एक विशिष्ट संदर्भ संख्या प्रदान करना।
- यथासंभव क्षेत्रीय भाषा में सहयोग प्रदान करना।
- व्यक्तियों से प्राप्त उनकी पहचान संबंधी सूचना से जुड़ी किसी भी सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना।

3.19 आधार सहायता सेवाएं - आधार संपर्क केंद्र

3.19.1 भाविपप्रा ने आधार जीवन चक्र और संबंधित सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों के प्रश्नों और शिकायतों का समाधान करने के सहायतार्थ आधार संपर्क केंद्र या संपर्क केंद्र स्थापित किए हैं। आधार संपर्क केंद्र के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- अखिल भारत स्तर पर एक सुलभ टोल-फ्री नंबर और ईमेल प्रदान करना जिसके उपयोग द्वारा व्यक्ति आधार संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
- भारत के सभी क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों और प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करना।
- आधार संपर्क केंद्र पर कॉल करने वाले व्यक्तियों के लिए एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) तंत्र प्रदान करना।
- व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार उन्हें आधार संपर्क केंद्र के कार्यकारी के साथ बातचीत करने के लिए सुविधा प्रदान करना।
- व्यक्ति भाविपप्रा के एमआधार पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- व्यक्तियों के प्रश्नों और शिकायतों के समाधान में सहायता के लिए सामान्य ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) संबंधी एक एप्लिकेशन बनाना और उसका रखरखाव करना।

3.19.2 आधार संपर्क केंद्र की अवसरंचना और प्रौद्योगिकी:

वर्तमान में, आधार संपर्क केंद्र में निम्नलिखित शामिल है :

- **टोल-फ्री नंबर 1947:** टोल फ्री नंबर '1947' पर पूरे भारत में कहीं से भी बात की जा सकती है। यह शॉर्ट कोड श्रेणी 1-का टोल फ्री नंबर है, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा भाविपप्रा को आवंटित किया गया है। इस शॉर्ट कोड का उपयोग अंतर्गामी और निर्गामी एसएमएस सेवाओं के लिए भी किया जाता है।
- **संपर्क केंद्र अवसंरचना:** संपर्क केंद्र अवसंरचना में ट्रंक लाइन, पीबीएक्स सोल्यूशन, आईवीआरएस प्रणाली, स्वचालित कॉल वितरक (कॉल सेंटर सहायकों के मध्य कॉल वितरण के लिए), कंप्यूटर टेलीफोन एकीकरण यूनिट और वॉइस लॉगर सिस्टम (तकनीकी गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए दर्ज 100% कॉल) शामिल हैं। आईवीआरएस कॉल करने वालों के साथ कॉलर के संबंधित राज्य की स्थिति के अनुसार हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में संश्लेषित रिकॉर्ड की गई आवाज के माध्यम से दुतरफा बातचीत करता है। वर्तमान में आईवीआरएस में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, ओडिया, तमिल, असमिया और मलयालम हैं। वर्तमान में आईवीआरएस में निम्नलिखित विशेषताएं उपलब्ध हैं :-
  - बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न।
  - 14-अंकीय ईआईडी सर्च पर आधारित आधार नामांकन की स्थिति।
  - 14-अंकीय यूआरएन नंबर पर आधारित आधार अद्यतन की स्थिति।
  - कॉलर के क्षेत्र पर आधारित आईवीआरएस पर भाषा विकल्प का बौद्धिक चयन।
  - पहले ही लॉग की गई शिकायतों की स्थिति।
  - अपना आधार नंबर जानें।
  - आधार संपर्क केंद्र कार्यकारी को कॉल भेज देना, यदि कॉलर द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है।

3.19.3 कॉल परिमाण : सामान्यतया, भाविपप्रा संपर्क केंद्र में कॉल पैटर्न 1.60-1.75 लाख कॉल/प्रतिदिन और प्रतिदिन 4,500 से 5,000 ईमेल प्राप्त होते हैं। किसी विशेष योजना/लाभ के लिए आधार के उपयोग/लिंकिंग/सीडिंग के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी बड़ी घोषणा के साथ यह मात्रा बदलती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप इस परिमाण में अचानक वृद्धि होती है। अधिक नामांकन, अद्यतन और प्रमाणीकरण तथा केंद्र सरकार की योजनाओं/लाभों के साथ आधार को जोड़ने के कारण इस ट्रैफिक की वर्तमान मात्रा के न्यूनतम 5% (प्रत्येक वर्ष के आधार पर) की वृद्धि होने की संभावना रहती है।

3.20 चैटबॉट सेवाएं

एआई/एमएल आधारित चैटबॉट, जिसे "आधार मित्र" कहा जाता है, व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय है और आधार मित्र पर प्रतिदिन लगभग 35,000 वार्तालाप हो रहे हैं।

नए चैटबॉट में कई नई विशेषताएँ हैं - जैसे आधार नामांकन/अद्यतन स्थिति की जांच, आधार पीवीसी कार्ड को ट्रैक करना, नामांकन केंद्र के जगह की सूचना, इत्यादि। व्यक्ति आधार मित्र के द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज कर उनको ट्रैक कर सकते हैं। "आधार मित्र" हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

4. डेटा सुरक्षा एवं निजता

4.1 डेटा सुरक्षा एवं निजता संरक्षण

4.1.1 भाविपप्रा में एक सुव्यवस्थित, बहु-स्तरीय मजबूत सुरक्षा प्रणाली स्थापित है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जिसे उच्चतम स्तर की डेटा सुरक्षा और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए अपग्रेड किया जाता है। आधार ईको-सिस्टम के आर्किटेक्चर को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रारंभिक डिजाइन से अंतिम चरण तक सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को और मजबूत करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती हैं और भाविपप्रा की समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

4.1.2 आधार में डेटा की गोपनीयता को परम प्राथमिकता दी जाती है, जो इसके मूलभूत आबद्धकारी सिद्धांतों से स्पष्ट है, जिन पर आधार को डिजाइन किया गया है तथा इसे आधार अधिनियम और विनियमों के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से और मजबूत किया गया है। आधार अधिनियम की धारा 29 किसी भी उद्देश्य के लिए कोर बायोमेट्रिक की सहभागिता या प्रकटीकरण पर रोक लगाती है, जिसका उल्लंघन करना अधिनियम की धारा 37 के तहत तीन वर्ष तक की कैद सहित दंडनीय है। केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में अनधिकृत एक्सेस करने के लिए 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 38)। सीआईडीआर में डेटा से छेड़छाड़ के लिए 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 39)। इसके अलावा, भाविपप्रा आईएसओ/आईईसी 27701 प्रमाणित है और डेटा नियंत्रक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सभी गोपनीयता आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

4.1.3 आधार अधिनियम के तहत विनियमों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया है कि नामांकन, अधिप्रमाणन और अन्य संबद्ध गतिविधियों को नियम के अनुसार सख्ती से लागू किया जाए। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन एक सुरक्षित प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया में शामिल सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। इसके अलावा, आधार (अधिप्रमाणन) विनियम 2016 को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि अधिप्रमाणन सुरक्षित परिस्थितियों में किया जाए।

4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता

4.2.1 आधार की अवसंरचना को आंतरिक रूप से न्यूनतम सूचना, इष्टतम अनभिज्ञता और फेडरेटेड डेटाबेस के तीन मुख्य सिद्धांतों के साथ डेटा सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आधार को स्वाभाविक रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति की जानकारी संबंधी गोपनीयता सुरक्षित रह सके। यह आधार नंबर धारक की सहमति से नामांकन के समय और बाद में अद्यतन के समय न्यूनतम डेटा का संग्रह करने के द्वारा, विशिष्ट पहचान प्रदान करना, बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन के बाद आधार नंबर जारी करना, उक्त पहचान रिकॉर्ड के जीवनचक्र परिवर्तनों का प्रबंध करना और पहचान सत्यापन के लिए आवश्यक विभिन्न ऐप्लिकेशन हेतु पहचान सत्यापन (ऑनलाइन अधिप्रमाणन) करने के संबंध में एक ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रदान करना सुनिश्चित करता है।

4.2.2 इष्टतम अनभिज्ञता के सिद्धांत के अनुपालन में, आधार कभी भी किसी अन्य जानकारी या ऐसा कोई विवरण एकत्र नहीं करता है, जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के संबंध में चिंता का कारण बन सके। आधार नंबर एक यादृच्छिक संख्या है, जिसमें कोई खुफिया अथवा प्रोफाइलिंग जानकारी शामिल नहीं है। इसके अलावा, आधार अधिनियम 2016 के अनुसार, आधार कार्ड को प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणीकरण या ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में, यथा विनिर्दिष्ट, सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

4.2.3 आधार का डिजाइन केवल पहचान पर ही आधारित है। एक विशुद्ध पहचान प्लेटफार्म के रूप में आधार प्रणाली का डिजाइन आधार के संभावित दुरुपयोग के भ्रम को दूर करता है, जबकि व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार के उपयोग की अनुमति दी जाती है। यह आधार प्लेटफॉर्म पर बनाए जाने वाले विभिन्न अनुप्रयोगों और उपयोगिताओं को नया रूप देने और उनका उपयोग करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान भी करता है। आधार लिंकिंग के दौरान, संबंधित डेटाबेस, आधार नंबर धारक की स्पष्ट सहमति के साथ केवल आधार आधारित सत्यापन करता है, किंतु तत्पश्चात उक्त डेटाबेस किसी भी जानकारी को साझा नहीं करता है, यहां तक कि भाविपप्रा के पास सत्यापन से संबंधित जानकारी भी नहीं होती है।

4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार नामांकन

4.3.1 भाविपप्रा ने भारत के आधार नंबर धारकों का आधार नामांकन करने के लिए रजिस्ट्रारों एवं अधिकृत नामांकन एजेंसियों के जरिए राष्ट्रव्यापी अवसंरचना स्थापित की है। रजिस्ट्रार मुख्यतः सरकारी विभागों, एजेंसियों, केंद्रीय मंत्रालयों, बैंकों तथा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन से संबद्ध हैं। नामांकन एजेंसियों का चयन एक कड़ी चयन प्रक्रिया से किया जाता है। आधार नंबर धारक का नामांकन, भाविपप्रा प्रमाणित प्रचालक द्वारा भाविपप्रा के सॉफ्टवेयर पर अत्यधिक मजबूत, नियंत्रित, अपरिवर्तनीय एवं सुरक्षित प्रक्रिया से किया जाता है।

4.3.2 पूरे देश में आधार नंबर धारकों को, कड़ी परीक्षा और परीक्षण प्रक्रिया के आधार पर चयनित प्रमाणित ऑपरेटरों के माध्यम से आधार के लिए नामांकित किया जाता है। प्रचालक को पहले अपना आधार नंबर प्राप्त करना होता है और तत्पश्चात उसे अपनी अंगुलियों की छाप तथा आधार नंबर के जरिए प्रत्येक नामांकन को हस्ताक्षरित करना होता है। इस प्रक्रिया से यह पूरा लेखा-जोखा मिल जाता है कि कौन सा नामांकन कब, कहां, किस प्रचालक ने किया तथा उल्लंघन किए जाने के किसी मामले में प्रचालक एवं नामांकन एजेंसी के दायित्व को तत्काल निर्धारित किया जा सकता है। तत्पश्चात, व्यक्ति के एकत्रित बायोमेट्रिक डेटा का मिलान आधार धारकों, जो वर्तमान में 132.96 करोड़ से अधिक हैं, के विद्यमान डेटाबेस से किया जाता है और मिलान न होने पर ही, आधार नंबर सृजित किया जाता है। इतने बड़े पैमाने का बायोमेट्रिक मिलान 24

आधार

नंबर धारक का डाटा यूआईडीएआई के साथ सुरक्षित है

- कैप्चर करने के दौरान
- संचरण के दौरान
- डाटा सेंटर में

घंटे के भीतर हो जाता है।

4.3.3 बायोमेट्रिक सहित समस्त नामांकन डेटा को नामांकन के समय 2048 बिट एंक्रिप्शन कुंजी से ही कूटबद्ध कर दिया जाता है। इसके पश्चात कोई भी एजेंसी इसको एक्सेस नहीं कर सकती तथा भाविपप्रा द्वारा भी इसका एक्सेस केवल उपलब्ध सुरक्षित डिक्रिप्शन कुंजी के उपयोग से किया जा सकता है। अभी तक, ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है जिसमें आधार के डेटाबेस से मूल बायोमेट्रिक का अनाधिकृत एक्सेस करने की सूचना प्राप्त हुई हो।

4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन

4.4.1 आधार अधिप्रमाणन से केवल हाँ/नहीं में प्रयुत्तर प्राप्त होते हैं। यह डेटा निजता को सुरक्षित रखते हुए आधार नंबर धारक के पहचान दावे के एप्लिकेशनों के द्वारा ''सत्यापन'' करा देता है। सुविधा के सुनिश्चयन और साथ ही आधार नंबर धारकों के पहचान डेटा के संरक्षण के लिए 'निजता एवं उद्देश्य' के बीच संतुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बाह्य प्रयोक्ता एजेंसियों की आधार डेटाबेस तक एक्सेस नहीं है।

4.4.2 आधार ई-केवाईसी सेवा आधार नंबर धारक को, अपने आधार पत्र के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को साझा करने के लिए भाविपप्रा को अधिकृत करने की अनुमति देता है। आधार ई-केवाईसी के प्रत्येक अनुरोध के लिए, आधार नंबर धारकों के सफल अधिप्रमाणन के बाद ही जनसांख्यिकीय और फोटो डेटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जाता है।

4.5 लिंकेज के बिना न्यूनतम डेटा

4.5.1 आधार प्रणाली में देश के प्रत्येक आधार धारक से संबंधित डेटा भाविपप्रा के केंद्रीय रिपॉजिटरी में होता है, अतः इसका डिजाइन न्यूनतम डेटा संग्रहण को ध्यान में रखकर इस प्रकार किया गया है कि इससे केवल पहचान संबंधी क्रियाकलाप (सृजन तथा अधिप्रमाणन) ही किए जा सकें। इस डिजाइन की अवधारणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है कि भाविपप्रा आधार नंबर धारकों की निजता का सम्मान करता है तथा अपनी प्रणाली में गैर-अनिवार्य डेटा का संयोजन नहीं करता है। आधार उद्देश्य-अज्ञेयवादी है। न्यूनतम डेटा (4 गुण - नाम, पता, लिंग, तथा जन्म तिथि तथा 2 गुण - वैकल्पिक डेटा – मोबाइल एवं ई-मेल) के अलावा इसके केंद्रीय डेटाबेस में आधार का उपयोग करने के संबंध में विद्यमान प्रणाली या ऐप्लिकेशन में कोई संयोजन उपलब्ध नहीं है।

4.5.2 यह न्यूनतम डिजाइन अनिवार्य रूप से डेटा के एक समूह का निमार्ण करता है जिसमें एक केंद्रीकृत मॉडल के अन्यत्र विभिन्न अनुप्रयोगों/प्रणालियों (निवासी डेटा के लिए एक संघीय मॉडल) में निवासी डेटा अंतर्निहित है, जिससे एकल प्रणाली के निवासी और उसके लेनदेन इतिहास का पूरा ज्ञान होने का जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.6 डेटा का कोई एकीकरण नहीं

आधार तंत्र को विभिन्न प्रकार के डेटा का संग्रहण एवं पुल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और इस प्रकार यह ऐसा एकल केंद्रीय डेटा रिपॉटजिटरी नहीं बन सकता, जिसमें आधार नंबर धारकों के बारे में सभी जानकारी मौजूद हो। इसमें सूचनाओं (जैसे पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पीडीएस कार्ड नंबर, ईपीआईसी नंबर, इत्यादि) का कोई संयोजन किसी अन्य प्रणाली के साथ नहीं होता है। इस डिजाइन ने संव्यवहार डेटा को एक फेडरेटेड मॉडल में विशिष्ट सिस्टम में रहने की अनुमति दी है। इस दृष्टिकोण से आधार नंबर धारक की जानकारी विभिन्न एजेंसियों के स्वामित्व वाली कई प्रणालियों में वितरित रूप में बनी रहेगी।

4.7 इष्टतम अनभिज्ञता

4.7.1 आधार, संव्यवहार विवरण, अधिप्रमाणन उद्देश्य, बैंक खाता संख्या, बैंक विवरण, पसंद या नापसंद, जाति, पारिवारिक संबंध, धर्म, आय, पेशा, संपत्ति, शिक्षा, मोबाइल (संचार प्रयोजनों या आधार नामांकन ओटीपी भेजने के लिए भाविपप्रा के दौरान पंजीकृत एक के अन्यत्र), ऐसा कोई विवरण जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के संबंध में चिंता का कारण हो जैसे अन्य जानकारी एकत्र नहीं करता है। आधार, न्यूनतम डेटा संग्रहण और उद्देश्य

सीमा जैसे गोपनीयता के सिद्धांतों को अपनाकर, आधार नंबर धारक की सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यहां तक कि जन्म की तारीख या किसी अन्य सूचना जैसे कि प्रशासनिक सीमाओं (राज्य/जिला/तालुक) के उपयोग द्वारा जन्म या निवास का स्थान, आधार नंबर में एम्बेडेड नहीं है। आधार नंबर एक यादृच्छिक संख्या है, जिसमें कोई खुफिया या प्रोफाइलिंग जानकारी अंतर्निहित नहीं है। 12 अंकों की संख्या को अगले कुछ शताब्दियों के लिए आबादी की पहचान की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनाया गया है।

4.7.2 अधिप्रमाणन का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे न तो अधिप्रमाणन का ''उद्देश्य'' और न ही किसी प्रकार के अन्य संव्यवहार संदर्भों की जानकारी आधार तंत्र को हो पाती है। आधार अधिप्रमाणन तथा इसके प्रचालन मॉडल का निर्माण शून्य-ज्ञान व्यवस्था के रूप में किया गया है तथा यह सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना वैयक्तिक निजता की रक्षा, स्वतः ही संव्यवहार अपरिज्ञानी बन कर करता है। किसी एजेंसी द्वारा आधार नंबर धारक का अधिप्रमाणन करने मात्र से आधार तंत्र को अधिप्रमाणन के उद्देश्य अथवा स्थल की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार, आधार प्रणाली को यह पता नहीं होता कि क्या व्यक्ति एक बैंक कर्मचारी है जो काम पर दैनिक उपस्थिति को चिह्नित करने या खाता संचालित करने या धन हस्तांतरण आदि के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करता है, भाविपप्रा आधार नंबर धारक की पहचान गुप्त बनाए रखता है।

4.8 स्थान की अनभिज्ञता

आधार प्रमाणीकरण प्रणाली में स्थान की जानकारी नहीं होती है, अर्थात आधार प्रमाणीकरण उस स्थान से अंजान होता है, जहाँ से प्रमाणीकरण अनुरोध भेजा जाता है, जिससे आधार नंबर धारक के स्थान की पूर्ण गुमनामी सुनिश्चित करने और उसकी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए आधार संख्या धारक का पता लगाने का जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.9 संघबद्ध डेटा मॉडल तथा एक-मार्गी संयोजन

4.9.1 इसके विशिष्ट डिजाइन के द्वारा यह सिस्टम सभी डोमेन विशिष्ट संव्यवहार डेटा युक्त आधार डेटाबेस को समाप्त कर देता है और इस तरह आधार नंबर धारकों को विशिष्ट संव्यवहार डेटा सामान्य डेटाबेस में केंद्रित रहने की बजाय सभी प्रयोक्ता एजेंसियों के बीच विकेंद्रित रहता है।

4.9.2 यहां यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न तंत्र (आधार नंबर के उपयोग द्वारा) भाविपप्रा से संदर्भित होते हैं, परंतु भाविपप्रा द्वारा ऐसी प्रणालियों के लिए विपरीत संयोजन का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, बैंक खाता खोलते समय, बैंक को आधार नंबर दिया जाता है, परंतु भाविपप्रा, बैंक में धारित किसी डेटा अथवा बैंक खाता संख्या और न ही किसी बैंकिंग लेनदेन तक एक्सेस नहीं कर सकता है। इस प्रकार, आधार सीडिंग एक प्रकार से कड़ी व्यवस्थित एकमार्गीय संयोजन है, जिसमें आधार नंबर का समावेश लाभार्थी के डेटाबेस से किसी प्रकार के डेटा से भाविपप्रा के डेटाबेस में पुलिंग के बिना लेनदेन किया जाता है।

4.10 आधार डेटा की सुरक्षा

4.10.1 भाविपप्रा द्वारा विश्व की अत्यधिक उन्नत एंक्रिप्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से आधार डेटा का संव्यवहार एवं भंडारण किया जाता है। आधार आधारित अधिप्रमाणन किसी भी समकालिक अन्य प्रणाली की तुलना में सुदृढ़ एवं सुरक्षित है। भाविपप्रा डेटा अतिरेकता सुनिश्चित करता है। आधार व्यवस्था में से किसी भी आधार बायोमेट्रिक के दुरूपयोग की स्थिति में जांच करने एवं चोरी की पहचान तथा कार्रवाई करने की क्षमता उपलब्ध है।

4.10.2 भाविपप्रा के सर्वरों में से प्रमुख बायोमेट्रिक का उल्लंघन अथवा लीकेज की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। भाविपप्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भाविपप्रा अपनी सुरक्षा प्रणालियों और सुरक्षा तंत्रों का अद्यतीकरण और समीक्षा करता रहता है।

4.10.3 आधार डेटा सुरक्षा को नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन और विभिन्न ईकोसिस्टम साझेदारों की लेखापरीक्षा के जरिए और अधिक सुदृढ़ किया गया है। आवधिक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि ईकोसिस्टम परंपरा और नए जोखिमों से सुरक्षित और संरक्षित है।

4.11 भाविपप्रा आईएसओ 27001:2013 द्वारा प्रमाणित

भाविपप्रा ने अत्यधिक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, तथा इसने एसटीक्यूसी से आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त किया है।

4.12 आईएसओ/आईईसी 29100:2011 एवं आईएसओ/आईईसी 27701:2019 का भाविपप्रा द्वारा अनुपालन

भाविपप्रा आईएसओ/आईईसी 29100:2011 (सूचना प्रौद्योगिकी - सुरक्षा तकनीक – केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) के लिए गोपनीयता फ्रेमवर्क) का अनुपालन करता है और आईएसओ/आईईसी 27701:2019 (गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली) के लिए प्रमाणित है। गोपनीयता के संदर्भ में भाविपप्रा पर लागू होने वाले सभी नियंत्रणों पर विधिवत विचार किया जाता है और आधार नंबर धारक की सूचना के साथ-साथ गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करके उनका पालन किया जाता है।

4.13 "संरक्षित प्रणाली" के रूप में सीआईडीआर अवसंरचना की घोषणा

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीएआई) सुविधाओं को सरंक्षित तंत्र के रूप में घोषित किया। आधार नंबर धारक डेटा की सुरक्षा के लिए भाविपप्रा-सीआईडीआर सूचना की सुरक्षा सर्वोपरि है। सूचना की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता को नियंत्रणों के जरिए हर समय बनाए रखा जाता है, जो सूचना परिसंपत्तियों के अनुरूप है, ताकि सूचना प्रणाली को, सभी प्रकार के जोखिमों से बचाया जा सके। भाविपप्रा की सुरक्षा को साइबर खतरे की खुफिया जानकारी के जरिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयकर्ता द्वारा भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया जा रहा है।

4.14 सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी-एसपी)

सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता भाविपप्रा की ओर से एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी है, जो प्रक्रियाओं के साथ-साथ भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे या जोखिम को निर्धारित करने के लिए भाविपप्रा ईको-सिस्टम का अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जीआरसीपी फ्रेमवर्क का विजन, भाविपप्रा के संचालन के लिए एक मजबूत, व्यापक और सुरक्षित वातावरण के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जीआरसीपी-एसपी दृश्यता, प्रभावकारिता और नियंत्रण के संदर्भ में भाविपप्रा और भागीदार ईको-सिस्टम की निगरानी के साथ भाविपप्रा प्रबंधन प्रदान करता है।

4.15 बाह्य ईकोसिस्टम भागीदारों की सूचना सुरक्षा का मूल्यांकन

भाविपप्रा की सुरक्षा को विभिन्न ईको-सिस्टम भागीदारों के नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन के जरिए और संवर्धित किया गया है। इसमें गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सहित सभी प्रकार के नियंत्रण शामिल हैं, ताकि यह आकलन किया जा सके कि ईको-सिस्टम भागीदार आवश्यकताओं का पालन करने के लिए आवश्यक कार्य कर रहे हैं।

4.16 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली

भाविपप्रा के पास एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, बहु-स्तरीय दृष्टिकोण और मजबूत धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली है। फोरेंसिक लैब की स्थापना के साथ, भाविपप्रा की धोखाधड़ी जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, भाविपप्रा के पास धोखाधड़ी के मामलों की बारीकी से निगरानी और जांच करने के लिए एक समर्पित धोखाधड़ी और फोरेंसिक टीम है। भाविपप्रा फोरेंसिक लैब को एनएबीएल इंडिया से आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के तहत मान्यता प्राप्त है।

5. आधार – सुशासन में उपयोग

5.1 आधार – शासन में सुधार हेतु एक उपकरण

5.1.1 वित्तीय समावेशन हेतु आधार: आधार नंबर एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है, जिसे किसी व्यक्ति के जीवनकाल में बदला नहीं जा सकता है। बैंक खाते के साथ लिंक किए जाने पर, आधार किसी व्यक्ति का 'वित्तीय पता' बन जाता है, जो देश के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाते में कोई भी भुगतान अंतरित करने के लिए 12-अंकीय आधार नंबर पर्याप्त है। इस प्रकार यह अन्य ब्योरा यथा बैंक खाता, आईएफएससी कोड और बैंक शाखा विवरण सरकार/संस्थानों को देने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। यह किसी व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार भी देता है कि वह किस बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी बी टी) के तहत धन प्राप्त करना चाहता है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा यथा अनुमोदित बैंक खाता लिंकिंग फॉर्म भरकर और अपने आधार की एक प्रति जमा करने पर, लाभार्थी अपने पसंद का बैंक खाता कभी भी बदल सकता है। 19 दिसंबर 2017 से प्रक्रिया को सरल बनाने और खाताधारक की जानकारी के बिना किसी अन्य बैंक में डीबीटी से जुड़े बैंक खाते के हस्तांतरण की सुभेद्यता को कम करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, एनपीसीआई मैपर पर [डेटा स्रोतः भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम - एनपीसीआई] 82.37 करोड़ से अधिक आधार को बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जोड़ा गया है। ग्राफ 10, मई 2014 से बैंक खातों से विशेषकर जुड़े आधार नंबरों की प्रगति प्रदान करता है (डेटा स्रोतः एनपीसीआई)।

ग्राफ 10 – बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जुड़े आधारों की प्रगति

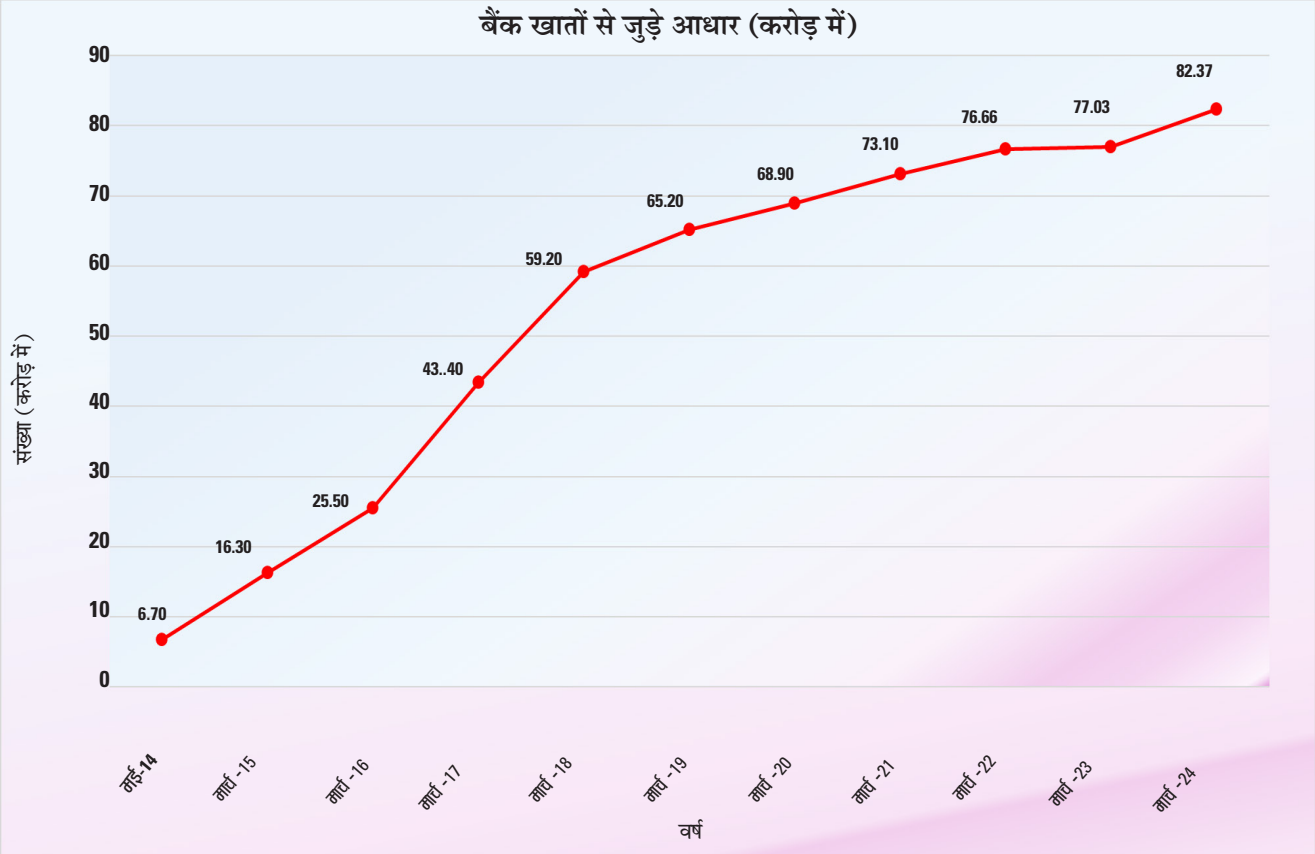

5.1.2 आधार का प्रयोग विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियां जैसे ऐईपीएस, एपीबी और भीम आधार विकसित की गई हैं और इनका संचालन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा किया जा रहा है, जिनसे देश में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सहायता मिली है। इनका संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित खंडों में किया गया है।

5.1.3 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस): आधार समर्थित भुगतान प्रणाली या एईपीएस माइक्रो एटीएम में उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जो बैंकों द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त बैंक मित्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। एईपीएस प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने आधार का उपयोग करके बुनियादी बैंकिंग लेनदेन जैसे निकासी, नकद जमा, अपने बैंक खाते से धन का हस्तांतरण आदि करने में सहायता प्रदान करता है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, 1917.38 करोड़ से अधिक सफलतापूर्वक संव्यवहार एईपीएस प्लेटफार्म पर किए गए हैं तथा 139 बैंकों और डाक विभाग द्वारा लगभग 44.34 लाख माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि 2022-23 की तुलना में एईपीएस लेनदेन की कुल संख्या में संचयी रूप से 14.78 % की वृद्धि देखी गई है। इसने डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में अत्यधिक सुविधा प्रदान की और कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की कठिनाइयों को कम करने में सहायता की। ग्राफ-11 में मई, 2014 से माइक्रो एटीएम में एईपीएस संव्यवहारों की प्रगति को दर्शाया गया है (डेटा स्त्रोतःएनपीसीआई)।

5.1.4 आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) : आधार भुगतान ब्रिज अथवा एपीबी एक अन्य भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से सरकार और निवासी दोनों पक्षों को, लाभ के साथ बैंकिंग लेनदेन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान

ग्राफ 11 - एईपीएस संव्यवहार की प्रगति मई 2014 से

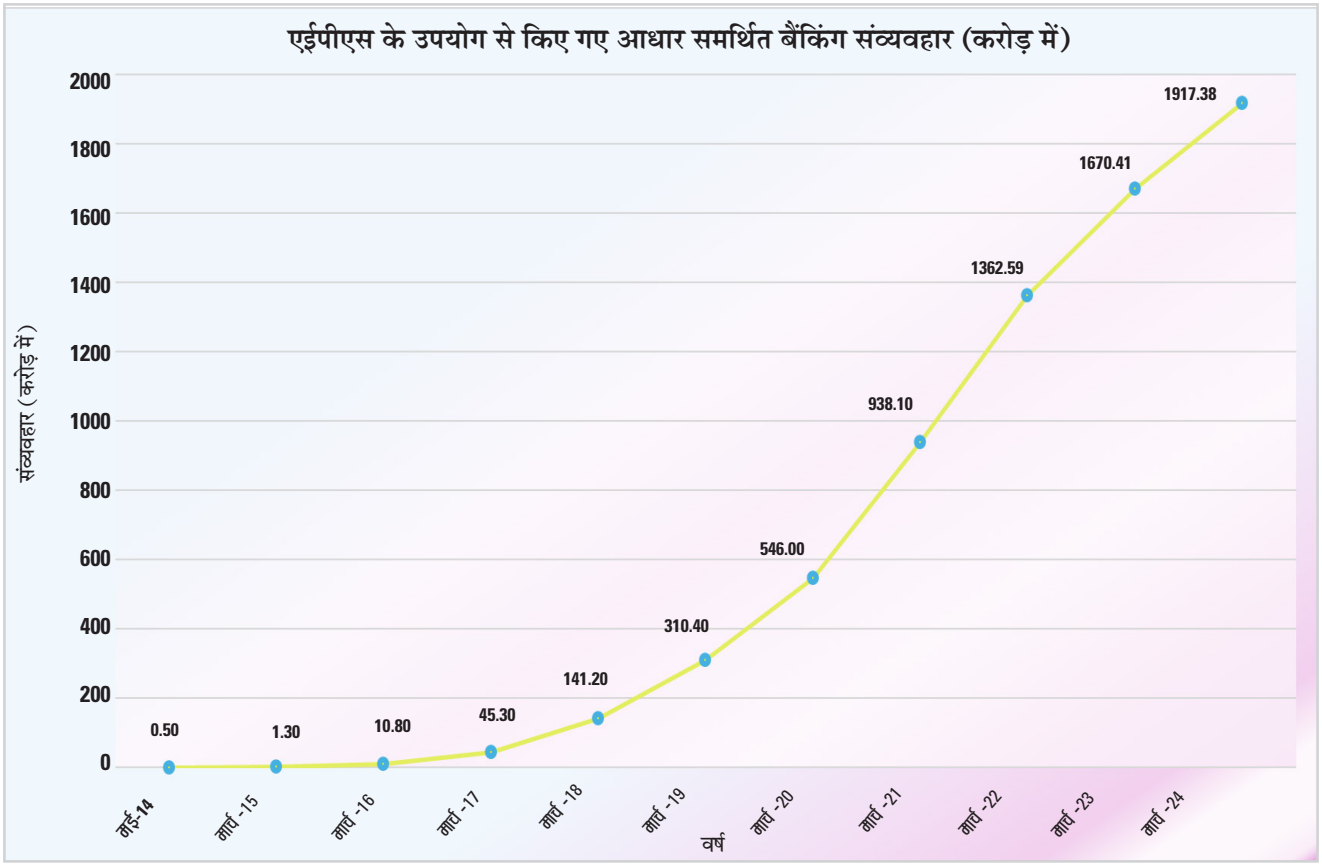

करना है। यह मुख्यतः सरकार-से-नागरिक (जी2सी) तथा व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी2सी) का एक अंतरण प्लेटफार्म है, जिसमें किसी आधार धारक की निधियों का अंतरण मात्र उसकी आधार संख्या का उल्लेख करके ही किया जा सकता है। आधार से संबद्ध (लिंक) बैंक खातों में निधि का आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से स्वतः अंतरण हो पाता है।

5.1.5 ईकोसिस्टम स्तर पर, आधार भुगतान ब्रिज को पहले ही व्यापक स्वीकार्यता मिल चुकी है तथा अब यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एक अनुमोदित भुगतान व्यवस्था है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, 1332 बैंक आधार भुगतान ब्रिज से संबद्ध हैं, जिनमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा कई सहकारी बैंक शामिल हैं। संचयी रूप से, 1336.12 करोड़ से अधिक का लेनदेन सफलतापूर्वक एपीबी पर किया गया है, जिसकी राशि 12,59,293.93 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल (राशि 8,68,550.50 करोड़ रुपए) की तुलना में 44.99% की वृद्धि है। मई, 2014 से, लेन-देन क्रमशः ग्राफ 12 और 13 एपीबी की प्रगति और लेनदेन की संख्या को दशार्ते हैं (डेटा स्त्रोतः एनपीसीआई)।

5.1.6 भीम आधार : भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित, आधार-लिंक्ड भीम मोबाइल ऐप्प एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर आधारित है। भीम आधार भुगतान व्यापारियों को, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से काउंटर पर ग्राहकों से डिजिटल भुगतान प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। यह ग्राहक के बायोमेट्रिक्स को प्रमाणित करके किसी भी बैंक के ग्राहक से भुगतान स्वीकार करने के लिए इसे किसी भी अधिग्रहणकर्ता बैंक से जुड़े किसी भी व्यापारी को भीम आधार पे पर लाइव होने की अनुमति प्रदान करता है। यह आंतरिक भुगतान के तरीके में बदलाव करता है, जिससे उन्हें तात्कालिक, सुरक्षित और सही मायने में डिजिटल रखा गया है।

ग्राफ 12 – एपीबी से संव्यवहार की प्रगति

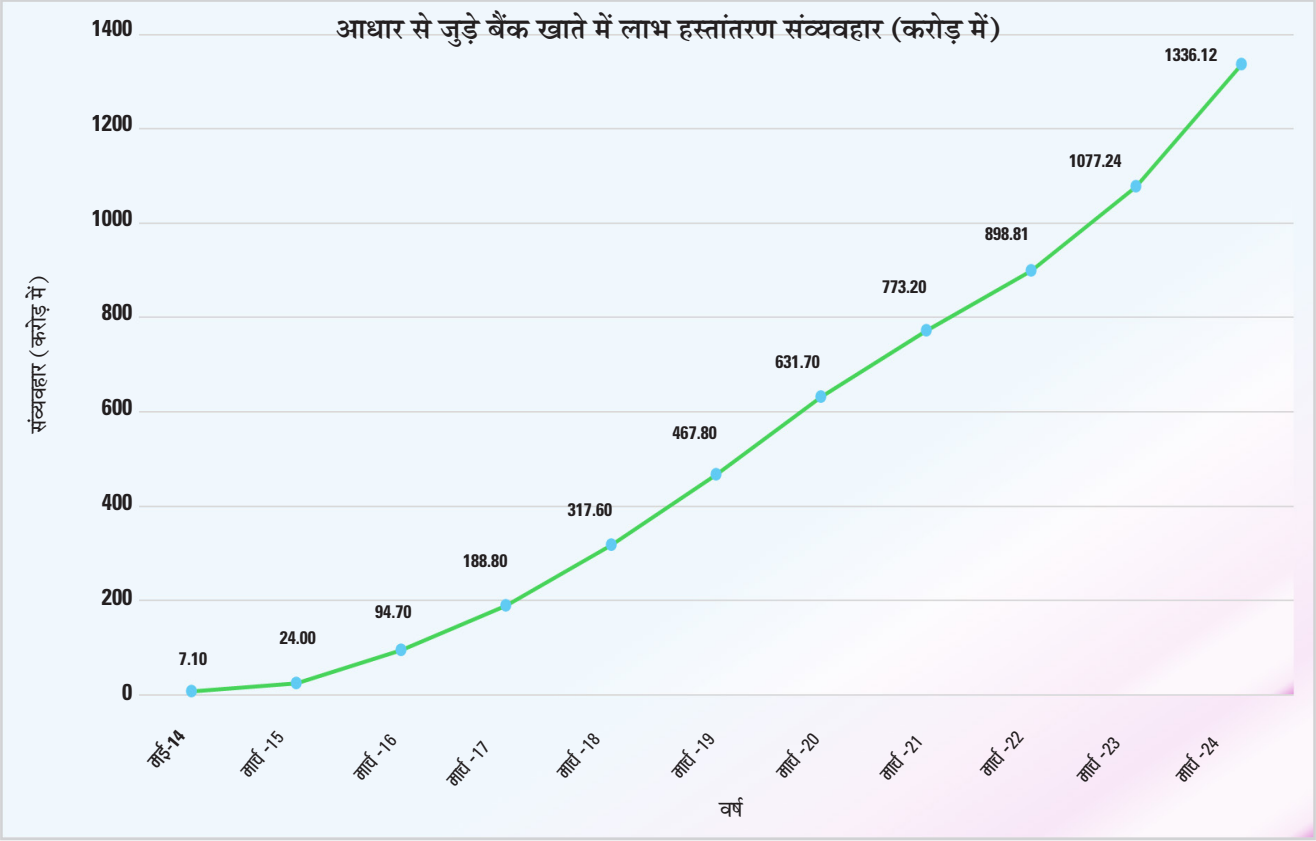

5.1.7 कोई व्यापारी बैंक खाते और एक सामान्य कम-लागत के एंड्रॉइड स्मार्ट फोन के साथ लगभग 2,000 रुपए की बायोमेट्रिक डिवाइस प्राप्त करके और गुगल प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड करके एक डिजिटल व्यापारी बन सकता है, इस प्रकार एक व्यापारी ग्राहकों से कैशलेस भुगतान लेने में सक्षम होता है। वर्तमान में इसे 74 बैंकों द्वारा परिनियोजित किया गया है और 3.10 लाख से अधिक व्यापारी इसका सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। 31 मार्च 2024 तक, इसके द्वारा कुल मिलाकर लगभग 9.75 करोड़ के लेनदेन किए गए हैं (डेटा स्रोत : एनपीसीआई)।

5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार

5.2.1 कल्याणकारी सेवाओं की अधिक पारदर्शी और कुशल ढंग में लक्षित डिलीवरी की प्राप्ति हेतु, भारत सरकार ने जनवरी 2013 के दौरान आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) और अन्य चैनलों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को शुरू किया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अधिकार के साथ संयुक्त त्रि-व्यवस्था जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल) ने समाज के वंचित वर्गों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में शामिल कर दिया है, जिसके द्वारा पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन, लोगों के विकास और सशक्तीकरण के पथ पर क्रांति आयी है।

5.2.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय रूप से प्रायोजित सभी योजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। लाभार्थियों के बैंक खातों से संबद्ध आधार हेतु नगद लाभों के अंतरण हेतु एपीबी पर विभिन्न डीबीटी योजनाएं लाभ ले रही हैं। 31 मार्च, 2024 के अनुसार, पहल (पीएएचएएल), मनरेगा इत्यादि सहित विभिन्न योजनाओं में 1336.12 करोड़ सफलतापूर्वक संव्यवहारों में 12,59,293.93 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था (डेटा स्रोत : एनपीसीआई)।

ग्राफ 13 - एपीबी पर संव्यवहार के मूल्य की प्रगति

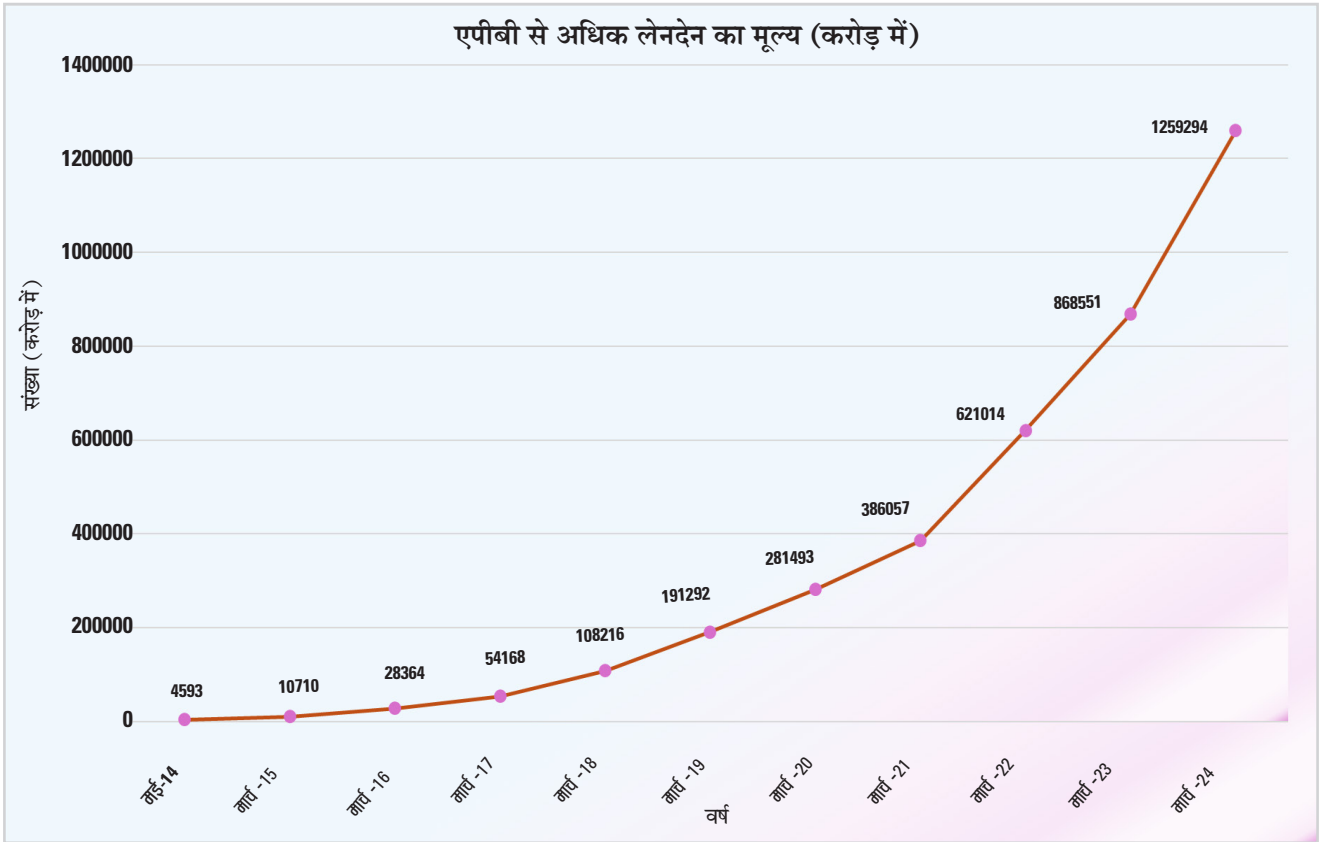

जनता का पैसा बचाने में आधार है मददगार

आधार नकली लाभार्थियों/चोरी करने वालों को तंत्र से हटाने में मदद करता है

5.3 डीबीटी योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार का उपयोग

5.3.1 अधिनियम 2016 [आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा यथा संशोधित] की धारा 7 के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत भारत के समेकित कोष या राज्य के समेकित कोष से वित्तपोषित किसी भी योजना के लिए आधार का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित विभाग/मंत्रालय को पहचान के रूप में आधार को राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्णय के अनुसार, भाविपप्रा को आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा धारा 7 की अधिसूचनाओं के प्रारूपण एवं पुनरीक्षण कार्य को कानून और न्याय मंत्रालय की सम्यक विधीक्षा के साथ सुगम बनाने हेतु अधिदेशित किया गया है। 31 मार्च 2024 तक, केंद्र सरकार में 50 मंत्रालयों/विभागों ने आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत 372 योजनाओं (केंद्रीय रूप से प्रायोजित या केंद्रीय क्षेत्र) को कवर करते हुए 225 अधिसूचनाएं जारी की हैं (डेटा स्रोतः : eGazette.nic.in)

5.3.2 आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के साथ अधिनियम 2016 की धारा 7 में संशोधन करके इसे समेकित कोष राज्य के लिए भी लागू किया जाएगा। तदनुसार, भाविपप्रा ने 25 नवंबर, 2019 को सभी राज्य समेकित निधि से वित्तपोषित योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। वयस्कों और बाल लाभार्थियों के लिए दिशानिदेर्शों में, धारा 7 अधिसूचनाएं जारी करते समय मानक टेम्पलेट्स का अलग से उपयोग करते हुए राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले चरणों को रेखांकित किया गया है। 31.03.2024 तक, धारा 7 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा 1770 से अधिक योजनाएं अधिसूचित की गईं।

5.4 आधार अधिनियम 2016 (संशोधित) की धारा 4 के तहत राष्ट्र हित में निर्धारित उद्देश्यों के लिए आधार का उपयोग

आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आधार अधिनियम 2016 की धारा 4 में भी संशोधन किया गया है, ताकि केंद्र सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में, इस तरह के प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन करने की अनुमति दे सके। इस संशोधन के अनुसरण में, 5 अगस्त, 2020 को सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवप्रवर्तन, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 अधिसूचित किया गया, जिसके अंतर्गत केंद्र/राज्य मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों के लिए सुशासन के हित में, सार्वजनिक धन के लीकेज को रोकने, आधार नंबर धारकों के सुलभ जीवन को बढ़ावा देने तथा उनके लिए सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, स्वैच्छिक तौर पर आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 18.08.2020 के परिपत्र संख्या 13(6)/2018-ईजी-II (वॉल्यूम-II) के माध्यम से उपरोक्त नियमों के तहत आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रारूप और दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिसूचना के उपरांत, 31.03.2024 तक, केंद्र के 62 प्रस्तावों और राज्य सरकार के 163 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले

6.1 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति (पीओएसएच नीति)

6.1.1 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 2 फरवरी 2015 के का.ज्ञा. सं. 11013/2/2014-स्था.क-III में जारी किए गए अनुदेशों के अनुपालन में, वर्ष के लिए अपेक्षित जानकारी नीचे तालिका 11 में दी गई है।

तालिका 11 – कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (2023-24)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2023-24
1	वर्ष में यौन उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतें	02
2	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	03 (2022-23 से संबंधित 1 मामला और 2023-24 से संबंधित 2 मामले)
3	90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामले	शून्य
4	यौन उत्पीड़न की निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए वर्ष के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों पर कार्यशालाएँ	03
5	कार्यवाही की प्रकृति	भाविपप्रा के संबंधित कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की अनुशंसा के अनुसार कार्रवाई उपरांत सभी शिकायतों का निपटान किया गया।

6.1.2 उक्त अधिनियम और उसके प्रासंगिक नियमों/आदेशों के अनुरूप (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देश सहित), भाविपप्रा ने 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति' (पीओएसएच नीति) तैयार की है, जो भाविपप्रा की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in. पर उपलब्ध है।

6.1.3 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अध्याय II की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के कारण भाविपप्रा में ''आंतरिक शिकायत समिति'' का पुनर्गठन किया गया।

6.2 भाविपप्रा में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

6.2.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने प्रधान कार्यालय और सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू कर रहा है तथा राजभाषा अधिनियम और राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग) नियमों में परिकल्पित विभिन्न प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है।

6.2.2 वर्ष 2023-24 के दौरान, भाविपप्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय और उपमहानिदेशक (मानव संसाधन), उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय में राजभाषा

कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई, जिनमें अन्य मदों/विषयों के अलावा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और भाविपप्रा के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निर्णय लिए गए। हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष रूप से क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' में, हिंदी में मूल पत्राचार करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 24 अगस्त 2023 और 21 दिसंबर 2023 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (मध्य-2) की बैठकों में भाविपप्रा प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

6.2.3 समीक्षा अवधि के दौरान, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीतियों/नियमों पर जानकारी देने के लिए 04 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में प्रधान कार्यालय के विभिन्न प्रभागों से 178 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

6.2.4 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 से 29 सितंबर, 2023 के दौरान हिंदी पखवाडे.का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर, प्राधिकरण के सभी अधिकारियों/ कार्मिकों के लिए भाविपप्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से हिंदी संदेश प्रचालित किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान भाविपप्रा प्रधान कार्यालय में पांच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें 291 अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 29 सितंबर, 2023 को वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविपप्रा द्वारा प्रधान कार्यालय के 26 विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

6.2.5 सरकारी कार्य में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक वर्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रधान कार्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग प्रोत्साहन योजना लागू करता है। इस योजना के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रधान कार्यालय के छहः कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार के लिए पात्र पाया गया और 29 सितंबर, 2023 को वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।

6.2.6 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमानुसार संगठन के अंदर 25 प्रतिशत हिंदी निरीक्षण के निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मानव संसाधन प्रभाग की राजभाषा टीम ने दिनांक 4 और 5 मार्च 2024 को दो क्षेत्रीय कार्यालयों (लखनऊ और बेंगलुरु) का निरीक्षण किया गया और दिनांक 7 से 8 मार्च, 2024 को भाविपप्रा के प्रधान कार्यालय के 04 प्रभागों (प्रशासन, ज्ञान प्रबंधन, सूचना सुरक्षा और वित्त) का राजभाषाई निरीक्षण किया गया। सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश/सुझाव और दिशानिर्देश जारी किए गए।

6.3 नागरिक चार्टर

यह संगठन की ओर से अपने सभी हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए विशिष्ट मानकों, गुणवत्ता और समय-सीमा के साथ नागरिकों को सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक उपकरण है। नागरिक चार्टर की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। भाविपप्रा की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर नागरिक चार्टर प्रदान किया गया है: *"https://uidai.gov.in/images/hi/Citizen_Charter-January_24-Hindi.pdf"*

नागरिक चार्टर डाउनलोड करने के लिए स्कैन करें

6.4 ज्ञान प्रबंधन पोर्टल

ज्ञान प्रबंधन मॉड्यूल (केएमएस) भाविपप्रा कर्मचारियों के बीच आंतरिक संचार, बेहतर सूचना विनिमय और टीमवर्क को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन समुदाय आधारित मंच है। ज्ञान प्रबंधन सिस्टम में

ज्ञान प्रबंधन डैशबोर्ड है जहां विभिन्न प्रभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रबंधित सेवा प्रदाता द्वारा नवीनतम कार्यालय आदेश, परिपत्र, निविदाएं, अन्य भाविपप्रा संबंधित दस्तावेज आदि अपलोड किए जाते हैं।

6.5 नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के अनुसार, भाविपप्रा में समन्वय प्रभाग के अंतर्गत आरटीआई प्रकोष्ठसभी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन/अपील/शिकायतों के साथ-साथ केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से संबंधित मामलों को संसाधित करता है। साथ ही, इस संबंध में तिमाही रिपोर्ट तैयार की जाती है और उनके निदेशों के अनुसार सीआईसी पोर्टल पर अपलोड की जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय अधिकारियों (एफएए) द्वारा क्रमशः 3087 आरटीआई आवेदनों और 367 अपीलों पर कार्रवाई की गई। सीआईसी के निदेर्शानुसार, भाविपप्रा के लिए वर्ष 2022-23 के लिए पारदर्शिता लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। भाविपप्रा के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों (एफएए) की सूची को भी आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार अन्य अनिवार्य वस्तुओं के साथ नियमित रूप से तैयार/अद्यतित किया जाता है और भाविपप्रा कीआधिकारिक वेबसाइट : www.uidai.gov.in. पर "आरटीआई" टैब के तहत पोस्ट किया जाता है।

6.6 भाविपप्रा की वेबसाइट

6.6.1 भाविपप्रा की वेबसाइट (https://www.uidai.gov.in) भारत के निवासियों के लिए आधार ऑनलाइन सेवा विंडो है, साथ ही यह विभिन्न ईकोसिस्टम भागीदारों और बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्राथमिक वेब सूचना केंद्र है। भारत में अधिकांश निवासी मोबाइल के माध्यम से आधार सेवाएं और संबंधित जानकारी चाहते हैं। उन मोबाइल उपयोगकताओं तक पहुंचने के लिए और आधार सेवाओं की पहुंच में सुधार सुनिश्चित करने के लिए, भाविपप्रा की वेबसाइट और आधार सेवा पोर्टलों को हाल ही में नया रूप दिया गया है और इन्हें बहु-उपकरण अनुकूल बनाया गया है। इसके अलावा, देश की विविध जनसांख्यिकी जानकारी अंग्रेजी, हिंदी और 11 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट का लैंडिंग पृष्ठ, मुख पृष्ठ और अन्य सेवा पोर्टल अगले पृष्ठ पर दिखाए गए हैं-

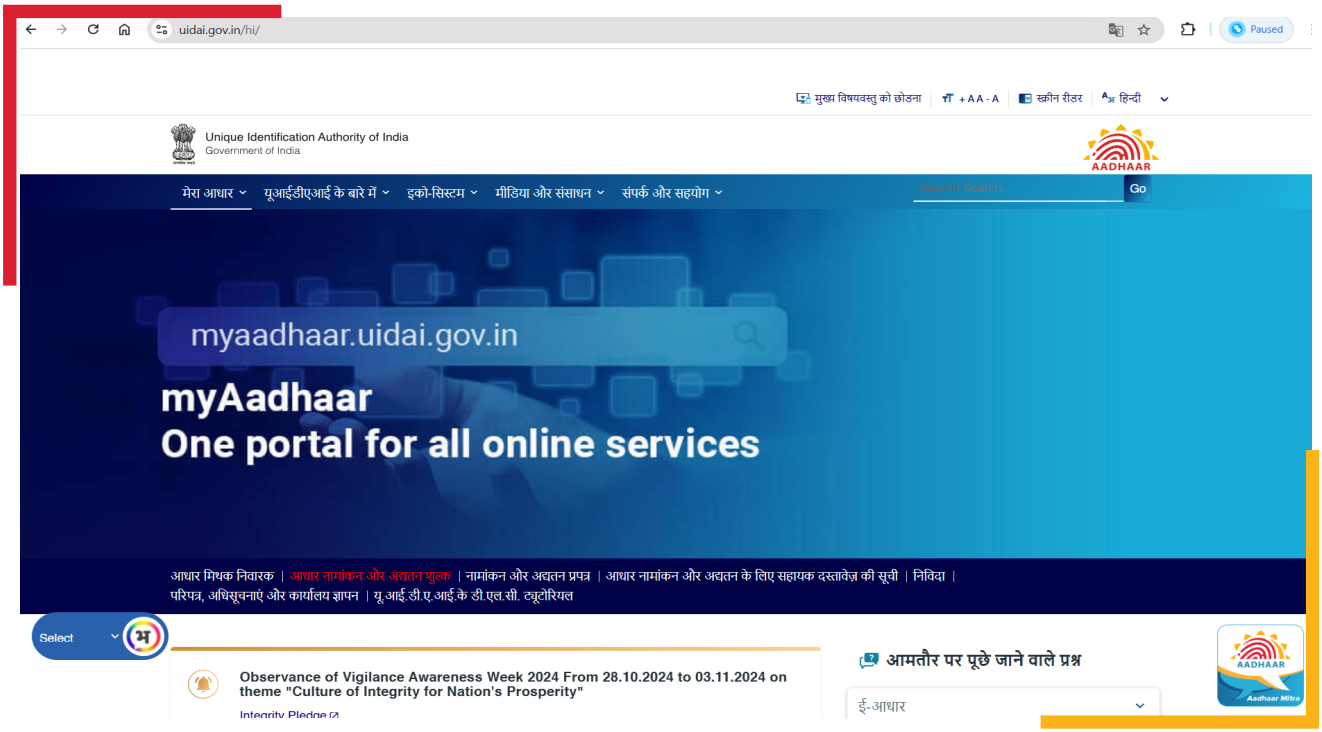

uidai.gov.in पर जाने के लिए स्कैन करें

6.6.2 भाविपप्रा वेबसाइट की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :-

- उत्तरदायी यूएक्स यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आधार सेवाओं और जानकारियों तक पहुँच बनाने के दौरान मोबाइल उपयोगकताओं को बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव हासिल हो।
- सबसे अधिक मांग वाली आधार सेवाओं को वेबसाइट के भीतर रखने के स्थान पर भाविपप्रा की वेबसाइट आधार ऑनलाइन सेवाओं तक सीधे पहुंच प्रदान करती है। स्पष्ट इंफॉर्मेशन आर्किटैक्चर, निर्बाध दो-चरणीय नेविगेशन, सार्वभौमिक रूप से समझने योग्य लेबल और सर्च विशेषताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि निवासियों को सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके।
- आधार नामांकन, अधिप्रमाणन प्रौद्योगिकियों, भाविपप्रा इकोसिस्टम पर सूचनात्मक दस्तावेज, जो नामांकन और अधिप्रमाणन प्रणालियों/प्रक्रियाओं और विभिन्न आधार सेवाओं पर प्रशासनिक और तकनीकी विवरण प्रदान करते हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- नवीनतम समाचारों, प्रेस विज्ञप्तियों, वीडियो, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अभियानों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों आदि के नियमित अपडेट।
- वेबसाइट में संपर्क अनुभाग, प्रधान कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य स्थित कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों में विभिन्न प्रभागों और पदाधिकारियों के संपर्क विवरण प्रदान करता है।
- वेबसाइट भारत सरकार की त्वरित आकलन प्रणाली (आरएएस) के साथ एकीकृत है, जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट और अन्य उपलब्ध आधार ऑनलाइन सेवाओं पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए एक पोर्टल प्रदान करती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) अनुभाग निवासियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आधार सेवाओं पर विशिष्ट

आधार सेवाओं से प्रासंगिक रूप से जुड़ा हुआ है। विभिन्न विषयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे - अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। वेबसाइट देश भर में सृजित आधार और किए गए अधिप्रमाणन की कुल संख्या से संबंधित विश्लेषण प्रदर्शित करती है। वेबसाइट डब्ल्यू3सी द्वारा सीएसएस और एचटीएमएल के लिए प्रमाणित है और इसके साथ ही जीआईजीडब्ल्यू 2.0 के अनुसार वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए एसटीक्यूसी द्वारा प्रमाणित है। सोशल मीडिया अनुभाग निवासियों को नवीनतम अपडेट देखने और भाविपप्रा के फेसबुक और ट्विटर पेजों में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है।

6.6.3 सामान्य रिपॉजिटरी के रूप में भाविपप्रा की वेबसाइट

भाविपप्रा की वेबसाइट निम्नलिखित के लिए सामान्य रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करती है :

- नीतियां, दिशानिर्देश, जांच-सूचियां और अन्य ऑन-बोर्डिंग दस्तावेज जो ईकोसिस्टम भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये संसाधन अनुभाग में उपलब्ध हैं।
- आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों को विधि अनुभाग के तहत प्रमुखता से रखा गया है।
- राज्य और गैर-राज्य रजिस्ट्रारों के साथ समझौता ज्ञापन, व्यावसायिक उपयोगकताओं के लिए निविदाएं और संबंधित दस्तावेज संसाधन खंड में नामांकन दस्तावेजों और भाविपप्रा दस्तावेजों के तहत उपलब्ध हैं।
- समाचार, प्रेस विज्ञप्ति, आधार से संबंधित अभियान, वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में, मीडिया अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

6.6.4 ऑनलाइन आधार सेवाओं और अन्य पोर्टलों तक सिंगल-प्वाइंट एक्सेस

भाविपप्रा वेबसाइट निम्नलिखित सेवा, विश्लेषण और व्यवसाय पोर्टलों तक भी प्रत्यक्ष लिंक प्रदान करती है :-

- नामांकन केंद्र का पता लगायें
- अपॉइंटमेंट बुक करें
- आधार स्थिति की जाँच करें
- आधार डाउनलोड करें
- गुम हुई अथवा भूली हुई यूआईडी/ईआईडी प्राप्त करें
- आधार पीवीसी कार्ड आर्डर करें
- आधार पीवीसी कार्ड स्थिति की जांच करें
- नामांकन/अद्यतन केंद्र पर आधार अद्यतन कराएं
- आधार अद्यतन स्थिति की जांच करें
- जनसांख्यिकी डेटा अद्यतन करें और स्थिति की जांच करें
- आधार अद्यतन इतिहास
- आधार नंबर सत्यापित करें
- ई-मेल/मोबाइल नंबर सत्यापित करें
- आधार बैंक/एकाउंट लिंकिंग स्थिति की जांच करें
- वर्चुअल आईडी (वीआईडी) जेनरेटर
- बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक करें
- आधार लॉक और अनलॉक सेवा
- आधार अधिप्रमाणन इतिहास
- आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी
- एसएमएस पर आधार सेवाएं
- दस्तावेज अद्यतन

6.6.5 आधार डैशबोर्ड: विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड आधार नामांकन, अद्यतन, अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओं के लिए वृहत डेटा प्रदर्शित करता है।

6.7 एकीकृत मोबाइल ऐप

भाविपप्रा ने एम-आधार ऐप का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया है। यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों संस्करणों में उपलब्ध है और इसमें आधार सेवाओं जैसे ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, क्यूआर कोड स्कैनर, अपॉइंटमेंट बुकिंग आदि की एक श्रृंखला विद्यमान है जिन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एक्सेस किया जा सकता है। यह ऐप आधार धारक के लिए एक व्यक्तिगत खंड प्रदान करती है, जिससे धारक हर समय भौतिक प्रति रखने के बजाय सॉफ्टकॉपी के रूप में आधार की जानकारी लेकर चल सकता है। निवासी आधार के साथ या आधार के बिना इस ऐप को अपने स्मार्ट फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तथापि, वैयक्तिक आधार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ऐप में अपना आधार प्रोफाइल पंजीकृत करना होगा। व्यापक अनुकूलन क्षमता के लिए, ऐप को अंग्रेजी, हिंदी और 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

7. 2023-24 की प्रमुख विशेषताएं और पहल

7.1 घरेलू और वैश्विक आउटरीच

7.1.1 जी20 शिखर सम्मेलन : जी20 शिखर सम्मेलन को प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम प्रेसीडेंसी के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी20 सम्मेलन की अध्यक्षता की। जी20 प्रेसीडेंसी एक वर्ष के लिए जी20 एजेंडा का संचालन करती है और मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और सिविल सोसायटियों के बीच पूरे वर्ष शिखर सम्मेलन और बैठकों की मेजबानी करती है। इसमें दो समानांतर ट्रैक शामिल हैं : वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। जी20 की सभी गतिविधियों के समग्र समन्वय को पूरा करने के लिए, भाविपप्रा प्रधान कार्यालय में उप महानिदेशक (आधार यूसेज) की अध्यक्षता में एक समर्पित जी20 सेल की स्थापना की गई थी। भाविपप्रा ने निम्नलिखित जी20 कार्यक्रमों में भागीदारी की :

क्र.सं.	अवधि	कार्यक्रम	स्थान
1	17 से 19 अप्रैल, 2023	डीईडब्ल्यूजी (डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह) की द्वितीय बैठक	हैदराबाद
2	12 से 13 जून, 2023	जी20 डीईडब्ल्यूजी: वैश्विक डीपीआई शिखर सम्मेलन	पूणे
3	9 से 10 सितंबर, 2023	जी20 लीडर शिखर सम्मेलन	नई दिल्ली

जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की तीसरी बैठक के दौरान 12 से 13 जून 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में जी20 डीपीआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य डीपीआई की बेहतर व्यावहारिक समझ बनाना, जी20 सदस्यों और आमंत्रित देशों की उल्लेखनीय डीपीआई और राष्ट्रीय/वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव को प्रदर्शित करना, डीपीआई के ज्ञान और सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा करना था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान "जीवन को सुगम बनाने, व्यापार और शासन में सुगमता के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना" थीम के तहत लोगों को सशक्त बनाने के संबंध में पहचान पर लचनशील डीपीआई बनाने पर चर्चा की गई।

जी20 लीडर शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर, 2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन के दौरान डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन की स्थापना जी-20 शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख आकर्षण के रूप में की गई और इसका उद्देश्य जी-20 प्रतिनिधियों को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और भारत में जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित डिजिटल परिवर्तन की सफलता पर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना था। भाविपप्रा ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में डीपीआई के रूप में आधार के कार्यान्वयन और चेहरा प्रमाणीकरण के तौर-तरीके को प्रदर्शित किया, जिसने जी-20 प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को आकर्षित किया।

7.1.2 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2023, मुंबई : भाविपप्रा ने 5 सितंबर से 7 सितंबर 2023 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में "रीइमेजिन आधार ऑथेंटिकेशन" थीम के तहत एआई और एमएल इंजन द्वारा संचालित अपनी बेहतर चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा का प्रदर्शन किया, जिसे पूरी तरह से इन-हाउस विकसित किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभार्थियों के लिए उपस्थिति प्रणाली और बैंकों द्वारा ग्राहक अधिग्रहण प्रक्रिया जैसे भागीदार उपयोग-मामलों का भी प्रदर्शन किया गया। जीएफएफ 2023 के अंश के रूप में, भाविपप्रा ने विभिन्न फिनटेक फर्मों और संबंधित इकोसिस्टम भागीदारों के अधिकारियों के साथ "रीइमेजिन आधार #टुगेदर" थीम के तहत एक उद्योग सम्मेलन की सुविधा भी दी, जिसका उद्देश्य सहयोग करने, सह-नवाचार करने और आधार को व्यापक रूप से अपनाने में सक्षम बनाने के अवसरों का पता लगाना था।

जी20 डीपीआई समिट

7.1.3 वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट और ट्रेड शो : भाविपप्रा ने 9 से 13 जनवरी 2024 के दौरान गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट और ट्रेड शो - 2024 में भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी विषयों पर आधारित सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से आधार नंबर धारकों के बीच आधार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से "वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो - 2024" का उद्घाटन किया।

श्री प्रफुल छगनभाई पनशेरिया, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा, उच्च शिक्षा और श्री ऋषिकेश गणेशभाई पटेल,माननीय मंत्री,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विधि, न्याय, विधायी एवं संसदीय कार्य ने भाविपप्रा स्टॉल का दौरा किया।

7.1.4 अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ कार्य : भाविपप्रा ने 2023-24 में विश्व बैंक, बीएमजीएफ, आईडी4अफ्रीका आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया है, जिससे वैश्विक दर्शकों के समक्ष आधार और इसकी मजबूती को प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। म्यांमार, पापुआ न्यू गिनी, त्रिनिदाद और टोबैगो, बांग्लादेश, तंजानिया और क्यूबा जैसे कुछ देशों ने भाविपप्रा के अनुभव से सीखने में सक्रिय रुचि दिखाई है।

7.1.5 क्यूबा सरकार के साथ कार्य : डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर क्रियान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए 19 जनवरी, 2024 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत और संचार मंत्रालय, क्यूबा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एच.ई. श्री विलफ्रेडो गोंजालेज विडाल, प्रथम उप मंत्री (राज्य मंत्री) संचार, क्यूबा गणराज्य ने 19 जनवरी, 2024 को भाविपप्रा, प्रधान कार्यालय में अपने दौरे के दौरान डिजिटल पहचान और संबंधित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर चर्चा की।

भाविपप्रा ने हवाना के कन्वेंशन पैलेस में 18 से 22 मार्च, 2024 तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं मेला "इंफोर्मेटिका 2024" के 19वें संस्करण के दौरान "डिजिटल पहचान" पर सत्र में भाग लिया था।

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट

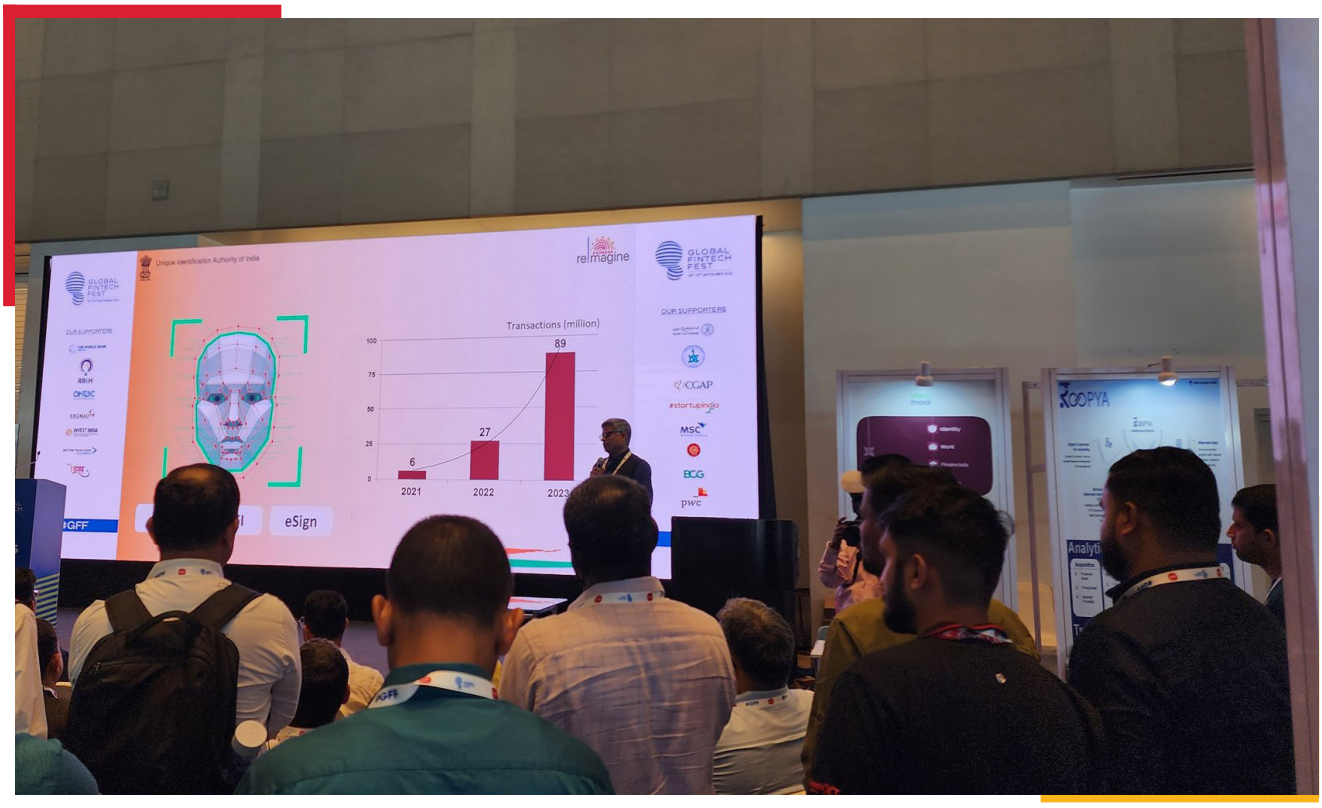

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई

7.2 आधार ईकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण

7.2.1 आधार ईकोसिस्टम को मजबूत करने के अनुसरण में, भाविपप्रा ने आधार की क्षमता का दोहन करने से संबंधित अवसंरचना और अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए कई राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया है। इस अविरत प्रयास के अंश के रूप में, आधार के लिए आवेदन करने वाले वयस्कों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और विवरण आधार नंबर सृजित करने से पहले उनकी सहमति के लिए संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) के साथ साझा किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुगम बनाया जा रहा है। इस विस्तार ने डेटा प्रबंधन के लिए आम सहमति से प्रेरित और मान्य दृष्टिकोण सुनिश्चित किया है, जिससे आधार डेटाबेस की अखंडता में वृद्धि हुई है। वर्तमान में, यह पहल 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए सक्रिय है।

7.2.2 आधार प्लेटफॉर्म पर नियंत्रित नामांकन : आधार नामांकन प्रक्रिया, भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक, में इसकी सुरक्षा और एकीकरण को सुदृढ करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। 20 फरवरी 2023 से प्रारंभ, वयस्कों के नए नामांकन की सुविधा कुछ नामांकन केंद्रों तक सीमित कर दी गई है। इस उपाय का उद्देश्य आधार डेटा की विश्वस्तता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना और व्यक्तियों की गोपनीयता और हितों की रक्षा करना है।

7.2.3 भाविपप्रा में आधार नंबर धारकों के दस्तावेजों की सटीकता में सुधार करना : अगस्त 2022 में, आधार नंबर धारकों द्वारा आधार डेटाबेस में अपने सहायक दस्तावेजों को अपडेट करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। इस पहल का उद्देश्य नवीनतम पहचान प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज को एकत्र करके जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करना था। आधार नंबर धारक, माईआधार पोर्टल और ईसीएमपी क्लाइंट के जरिए आसानी से अपने अपडेट जमा कर सकते हैं। इस सुविधा ने निवासियों को सशक्त बनाया, डेटा एकीकरण में सुधार किया और आधार रिकॉर्ड बनाए रखने की दक्षता में वृद्धि की। इसके कार्यान्वयन के बाद से, दस्तावेज अपडेट सुविधा ने आधार प्रणाली को मजबूत किया है और एक भरोसेमंद पहचान प्रणाली के रूप में इसकी विश्वसनीयता को मजबूत किया है।

7.2.4 नए दौर के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के साथ एकीकरण (यूएमएएनजी) : डिजिटल इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण घटक, उमंग ऐप को भारत के सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऐक्सेस करने के लिए एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिससे उपयोगकर्ता भुगतान करने, पंजीकरण पूरा करने, जानकारी खोजने और आवेदन फॉर्म को ऐक्सेस करने में सक्षम होते हैं। उपयोगकर्ता अनुकूल अपने इंटरफेस और चौबीसों घंटे की उपलब्धता के साथ, ऐप का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम लोगों के लिए ऑनलाइन सुलभ बनाना है। उमंग ऐप, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और देश भर के नागरिकों के लिए सुविधा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उमंग प्लेटफॉर्म पर आधार अपडेट इतिहास सेवा को शामिल किया गया है।

7.3 भाविपप्रा प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा परियोजनाएं और पहल

आधार ईकोसिस्टम के सुदृढ़ीकरण हेतु, भाविपप्रा प्रौद्योगिकी केंद्र ने नामांकन, प्रमाणीकरण प्रक्रिया आदि में आधार ईकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं/गतिविधियां शुरू की हैं।

7.3.1 सहयोगी गुणवत्ता जांच : आवेदकों से नामांकन और अद्यतन (ई एंड यू) अनुरोधों की प्रक्रिया में गुणवत्ता जांच (क्यूसी) एक महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में, जनसांख्यिकीय और संबंधित दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण (पीओआई), संबंध का प्रमाण (पीओआर), पते का प्रमाण (पीओए), और जन्म प्रमाण (पीओबी) की गुणवत्ता की जांच क्यूसी संचालकों द्वारा की

जाती है। वर्तमान में यह प्रक्रिया मैनुअल रूप से की जा रही है। भाविपप्रा ने इनमें से कुछ दस्तावेजों को वास्तिविक स्रोत अर्थात सीबीएसई अंक-तालिका और ड्राईविंग लाइसेंस आदि जारीकर्ता प्राधिकारियों के साथ भी सत्यापित करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में, ईपीआईसी/वोटर पहचान पत्र को ईपीआईसी पोर्टल के साथ सत्यापित किया जा रहा है। इसके अलावा, भाविपप्रा एपीआईएल को सीबीडीटी, बीओआई और पासपोर्ट प्राधिकरण के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया में है ताकि, पीओआई और पीओए दस्तावेजों को सत्यापित किया जा सके। यह एकीकरण सत्यापन प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाता है, नामांकन और अद्यतन अनुरोधों में तेजी लाता है और समग्र रूप से उपयोगकर्ता के अनुभव में बढ़ोतरी करता है।

7.3.2 मृतक आधार धारकों के आधार का निष्क्रियण: सितंबर 2023 से, भाविपप्रा ने मृतक आधार धारकों की यूआईडी को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया लागू की है, जो भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के संचार से प्रेरित होकर शुरू की गई है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्षमता मृतक व्यक्तियों के आधार रिकॉर्ड की समय पर और उचित हैंडलिंग सुनिश्चित करती है, जिससे डेटाबेस का एकीकरण और सटीकता बनी रहती है।

7.3.3 एचओएफ (परिवार का मुखिया) : मार्च 2024 से, एचओएफ नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, जिससे इसकी मजबूती और सुदृढ़ता को बल मिला है। एचओएफ आधारित अद्यतनों के लिए पति/पत्नी, भाई-बहन, बच्चे/वार्ड को शामिल करने के लिए संबंध के नये प्रकारों को शुरू किया गया है, जो अब तक केवल माता, पिता और अभिभावक तक ही सीमित थे। इसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है, साथ ही नामांकन और अद्यतन प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे प्रणाली के समग्र एकीकरण और प्रभावकारिता में वृद्धि होगी।

7.3.4 मछुआरा आधार पीवीसी कार्ड : मछुआरे अक्सर अपने काम की प्रकृति के कारण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते रहते हैं, जिससे उनके लिए आधार कार्ड प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए, भाविपप्रा ने मछुआरों के लिए आधार पीवीसी कार्ड बनाने की पहल की है, जिससे मत्स्य विभाग के क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों या व्यक्तिगत पते पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। इस पहल का उद्देश्य कार्ड की सटीक डिलीवरी की सुविधा प्रदान करना, मछुआरों को आवश्यक सेवाओं की ऐक्सेस प्रदान करना और तटीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समुद्र में उनकी पहचान को समर्थ बनाना है।

7.3.5 भाविपप्रा में आधार नंबर धारकों के दस्तावेजों की सटीकता में सुधार करना : भाविपप्रा ने पुराने दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए 2022 में केवल दस्तावेज अपडेट सुविधा शुरू की है। आधार नंबर धारक अपनी पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज को अपडेट कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप अद्यतन जानकारी के साथ आधार डेटा मजबूत होगा। एक आऊटरीच कार्यक्रम के रूप में, आधार नंबर धारकों को स्थानीय भाषा में व्यक्तिगत एसएमएस भेजे गये। इस निःशुल्क सेवा को 14 जून, 2024 तक बढ़ाया गया है।

7.3.6 भाविपप्रा 2.0 पहल : नामांकन प्रक्रिया और सॉफ्टवेयर स्टैक का पुनः डिजाइनः हमारी पुनः डिजाइन पहल के अंश के रूप में, बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है, ताकि अपडेट और नामांकन की अगली लहर को समायोजित किया जा सके। इसमें अनुरोध प्रक्रिया में मापनीयता और पूवार्नुमान पर गहन ध्यान दिया गया है। आधार के मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए, समकालीन उद्योग प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और निजी क्लाउड की क्षमताओं का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकी स्टैक को अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं :

- **नामांकन क्लाइंट का पुनर्विकास :** सुरक्षा उपायों में वृद्धि करने और मजबूत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नामांकन क्लाइंट में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में संचालन की ऑनलाइन विधि में परिवर्तन, फ्रंटएंड सत्यापन को लागू करना और नामांकन प्रक्रियाओं के आसपास सुरक्षा को

मजबूत करने तथा डेटा एकीकरण को संरक्षित करने के लिए नामांकन और पैकेट निर्माण प्रक्रियाओं को नया रूप देना शामिल है। इसके अलावा, लेनदेन एकीकरण की सुरक्षा के लिए धोखाधड़ी का पता लगाने के उपायों को शुरू से ही एकीकृत किया गया है, क्लाइंट डेटा एक्सचेंज के लिए प्रोटोकॉल के एक नये सेट को भी शुरू करेगा।

- **नामांकन क्लाइंट का पुनर्विकास** : सुरक्षा उपायों में वृद्धि करने और मजबूत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नामांकन क्लाइंट में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में संचालन की ऑनलाइन विधि में परिवर्तन, फ्रंटएंड सत्यापन को लागू करना और नामांकन प्रक्रियाओं के आसपास सुरक्षा को मजबूत करने तथा डेटा एकीकरण को संरक्षित करने के लिए नामांकन और पैकेट निर्माण प्रक्रियाओं को नया रूप देना शामिल है। इसके अलावा, लेनदेन एकीकरण की सुरक्षा के लिए धोखाधड़ी का पता लगाने के उपायों को शुरू से ही एकीकृत किया गया है, क्लाइंट डेटा एक्सचेंज के लिए प्रोटोकॉल के एक नये सेट को भी शुरू करेगा।

7.3.7 नामांकन विशेषताएं :

- **विदेशी नागरिक नामांकन** : भाविपप्रा ने पात्र विदेशी नागरिकों के लिए नामांकन सुविधा को सफलतापूर्वक रोल आऊट कर दिया है। भविष्य में नामांकन प्रक्रिया के लिए प्रदान किए जा रहे दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए बीओआई के साथ एकीकरण के माध्यम से इस सुविधा को और मजबूत किया जाएगा।
- **विदेश के पते पर अनिवासी भारतीय का नामांकन** : इस सुविधा संवर्धन के जरिए, अनिवासी भारतीयों को नामांकन करवाने और विदेशी मूल के पते को अपडेट करने की अनुमति होगी। इस सुविधा के एकबार लागू होने और उत्पादन में स्थिरता होने पर, अनिवासी भारतीय भाविपप्रा से सीधे संपर्क कर सकेंगे।
- **बाल नामांकन में संवर्धन:** बाल नामांकन

प्रक्रिया में, माता-पिता दोनों की यूआईडी एकत्रित करने को ध्यान में रखा जा रहा है, ताकि डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया में सुधार हो सके। इस सुविधा का परीक्षण किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसे प्रस्तुतीकरण के लिए जारी किया जाएगा।

7.3.8 आधार नंबर धारकों के लिए पोर्टल के सामने ऑडियो कैप्चा : भाविपप्रा ने आधार सेवाओं के ऐक्सेस की मांग कर रहे दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए माईआधार पोर्टल, अपॉइंटमेंट पोर्टल आदि में ऑडियो कैप्चा की शुरूआत की है, जो जनसांख्यिकीय जानकारी को अद्यतन करने, स्थिति की जांच करने आदि सहित आधार सेवाओं को ऐक्सेस और प्रबंधन को सक्षम बनाता है।

7.3.9 भाषिनी अनुवाद/लिप्यंतरण एपीआई एकीकरण : हमारे उपयोगकताओं की विविध भाषाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भाविपप्रा ने पीओसी आधार पर हमारी वेबसाइट के साथ भाषिनी अनुवाद एपीआई को एकीकृत किया है, जो 22 भारतीय भाषाओं में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न भारतीय भाषाओं में नामों और पतों के लिप्यंतरण से संबंधित चुनौतियों को हल करने के लिए, हम भाषिनी लिप्यंतरण एपीआई को विभिन्न नामांकन ग्राहकों के साथ एकीकृत कर रहे हैं। यह एकीकरण विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ का सटीक और निर्बाध रूपांतरण सुनिश्चित करेगा, जिससे हमारे सिस्टम के अंतर्गत उपयोगकर्ता अनुभव और समावेशिता में बढ़ोतरी होगी।

7.3.10 नई आधार नामांकन किट (एईके) विनिर्देशन जारी करना: डेटा के संरक्षण और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, भाविपप्रा ने आधार नामांकन किट के लिए ऐसे नये विनिर्देशनों को शुरू किया है, जिनमें उन्नत प्रौद्योगिकियां जैसे: विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मॉड्यूल (टीपीएम), हाई-रेजोल्यूशन कैमरे, पंजीकृत डिवाइस (आरडी) और लाइवनेस डिटेक्शन, एन्क्रिप्टेड लैट/लॉन्ग वैल्यू के साथ जीपीएस डिवाइस आदि शामिल हैं। ये संवर्धित विनिर्देशन आधार नामांकन के सभी पहलुओं में डेटा संरक्षण और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए भाविपप्रा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

7.3.11 भाविपप्रा सतत रूप से नामांकन और प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं में कार्यरत है, जिससे निर्णय लेने और उत्पाद गुणवत्ता निगरानी के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण की पर्याप्त मात्रा तैयार हो रही है। यह पहल लगातार विकसित हो रही है, जिसमें निकट भविष्य में फ्रंट-एंड से लेकर बैक-एंड सिस्टम तक सभी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में समृद्ध विश्लेषण को एकीकृत करने की योजना है। इस तरह के विशाल डेटा के प्रबंधन के लिए ऐसे स्केलेबल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, जो कुशलतापूर्वक डेटा को ग्रहण, संसाधित करने और निष्कर्षण करने में सक्षम हो। इसके अलावा, निर्णयकताओं द्वारा रिपोर्ट के लिए कई दिनों तक इंतजार करने के बजाय तुरंत इस डेटा को ऐक्सेस करने की तत्काल आवश्यकता है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भाविपप्रा ने डेटा प्लेटफॉर्म 2.0 पहल शुरू की है, जिसके परिणामस्वरूप "स्ट्रेट" का निर्माण हुआ। विश्लेषक डेटा और अपेक्षित प्रोसेसिंग इंजन की स्ट्रीमिंग प्रकृति को दर्शाने के लिए उपयुक्त नाम वाले इस प्लेटफॉर्म में कई उल्लेखनीय विशेषताएं हैं :

- ओपन-सोर्स डेटा लेक का समावेशन, जो डेटा प्रकारों के विविध विश्लेषण के लिए एक भंडार के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, डेटा लेक, ओपन डेटा फॉर्मेट (ओडीएफ) को शामिल करता है, जो स्टोरेज-कंप्यूट पृथक्करण को सक्षम बनाता है।
- हाई-थ्रू पुट स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्षमताओं का विकास, डेटा उपलब्धता विलंबता को दिनों से सेकंड में महत्वपूर्ण रूप से कम करना। विशेष रूप से, चुनिंदा विश्लेषणात्मक घटनाओं के लिए, इस रिपोर्ट के समय तक डेटा उ-पलब्धता विलंबता को मिनटों तक ही सीमित कर दिया गया है।
- रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए स्वचालित एकत्रीकरण नौक-रियों की शुरूआत, अपाचे स्पार्क और अपाचे हुडी जैसी शीर्ष स्तरीय ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना। भाविपप्रा ने आवश्यक व्यावसायिक रि-पोर्ट बनाने के लिए दोष-सहिष्णु बैच प्रक्रियाओं को

सफलतापूर्वक लागू किया है।

- डेटा प्लेटफॉर्म में एक महत्वपूर्ण वृद्धि अपाचे ट्रिनो-आधारित क्वेरी इंजन का समावेशन है, जो डेटा विश्लेषकों को तदर्थ क्वेरी निष्पादित करने और तेजी से विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। बिलियन ऑफ रोस के समक्ष जटिल क्वेरी को मिनटों में संसाधित करने की यह क्षमता डेटा प्रोसेसिंग दक्षता में एक नया मानक स्थापित करती है।

स्ट्रोट विभिन्न श्रेणियों के डेटा उपयोगकताओं को उनकी विशिष्ट भूमिकाओं के अनुरूप उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील डेटा तक अनधिकृत ऐक्सेस से सुरक्षा के लिए सभी विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म में प्रमाणीकरण उपकरण एकीकृत किए गए हैं।

7.3.12 प्रमाणीकरण प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण :

- **अंगुली मिलान :** भाविपप्रा ने अपनी प्रमाणीकरण प्रक्रिया में कई सुधार किए हैं, जिसका उद्देश्य सटीकता और दक्षता में सुधार करना है। इन प्रगतियों में एक स्वामित्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग-आधारित फिंगरप्रिंट मिलान एल्गोरिदम का विकास शामिल है, जिससे फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की सफलता दर लगभग 78% से बढ़कर लगभग 88% होने की उम्मीद है। इस सुधार से त्रुटियों में कमी आने और समग्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया में सुधार होने की उम्मीद है।

- **आइरिस लाइवनेस :** एआई/एमएल आधारित आइरिस लाइवनेस मॉडल को भी इन-हाउस विकसित किया जा रहा है, ताकि धोखाधड़ी का पता लगाने की क्षमता बढ़ाई जा सके और निवासियों की सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा की जा सके। यह आइरिस विधि का उपयोग करके अनधिकृत पहुंच और प्रमाणीकरण को रोकेगा।

- **चेहरा प्रमाणीकरण :** बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और छवि कैप्चरिंग क्षमताओं के साथ नया फेस आर-डी एपीके वर्जन 1.0 परिनियोजित किया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसियों के बीच प्रमाणीकरण के घटक के रूप में चेहरा तकनीक को अपनाने में काफी वृद्धि देखी गई है, जिससे संव्यवहार की संख्या लगभग 1 करोड़ प्रति माह से बढ़कर 4 करोड़ प्रति माह से अधिक हो गई है। वर्तमान में, 52 संस्थाएं प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए चेहरा तकनीक का उपयोग कर रही हैं।

- **धोखाधड़ी प्रबंधन :** निवासियों की गोपनीयता की सुरक्षा करने और निवासियों की पहचान संबंधी जानकारी के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए, प्रमाणीकरण के दौरान धोखाधड़ी को रोकने के संबंध में विभिन्न उपाय किए गए हैं। उंगली और चेहरे में नए और बेहतर एआई/एमएल आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने वाले मॉडल परिनियोजित किए गए हैं और आइरिस के लिए मॉडल का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा, वर्तमान में विकास के तहत उन्नत डेटा विश्लेषण प्लेटफॉर्म के माध्यम से, संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों की वास्तविक समय में पहचान की जा सकती है और ऐसे उपकरणों को आगे की जांच तक अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप आधार नंबर धारकों की सुरक्षा और गोपनीयता की सुरक्षा होती है।.

7.3.13 आधार नंबर धारकों के अपडेट : प्रमाणीकरण अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण विकासात्मक परिवर्तन हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रमाणीकरण डेटाबेस में विभिन्न नामांकन/अद्यतन को अपडेट करने के लिए टर्न अराउंड समय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह संवर्धन कुछ ही घंटों में अपडेट को संसाधित करने में सक्षम बनाता है, जिससे शिकायतों में कमी आती है और समग्र दक्षता में सुधार होता है। कुल मिलाकर, इन संवर्धनों का उद्देश्य प्रमाणीकरण प्रक्रिया की सटीकता और दक्षता में सुधार करना, त्रुटियों को कम करना और आधार धारकों के समग्र अनुभव में सुधार करना है।

7.3.14 डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया की परिशुद्धता को मजबूत करना : बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया में परिशुद्धता के कड़े मानकों को बनाए रखने के लिए, 2 जनवरी, 2023 से प्रभावी फिंगरप्रिंट और आईरिस प्रविधि के साथ-साथ एक चेहरा प्रविधि को एकीकृत किया गया है। इस नए स्वदेशी स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (एबीआईएस) की शुरूआत ने 1 मिलियन से अधिक दैनिक ट्रैफि क वॉल्यूम को प्रबंधित करने की हमारी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। इसके अलावा, नए एबीआईएस की बढ़ी हुई विशेषताओं में लाइवनेस जांच और गुणवत्ता पैरामीटर शामिल हैं, जो मिश्रित बायोमेट्रिक्स, अनियमित कैप्चर दृष्टांत और प्रस्तुति आक्षेप की पहचान करने में सक्षम हैं।

वयस्क नामांकन की विश्वसनीयता को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक वयस्क नामांकन पैकेट तीनों एबीआईएस प्रणालियों में गहन बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन से गुजरता है। इसके अलावा, प्रत्येक वयस्क नामांकन पैकेट को राज्य प्रमाणीकरण द्वारा व्यापक क्षेत्र सत्यापन के लिए राज्य पोर्टल के माध्यम से भेजा जाता है।

7.3.15 धोखाधड़ी प्रबंधनः भाविपप्रा आधार से संबंधित संभावित दुरुपयोग या धोखाधड़ी से निपटने में सावधानी बरतता है। नामांकन, अद्यतन और प्रमाणीकरण से संबंधित धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए प्रक्रियाओं और मॉडलों को विकसित करने के संबंध में एक ठोस और विचारपूर्वक प्रयास किया गया है। धोखाधड़ी से निपटने का तरीका गतिशील है, जिसकी जानकारी आंतरिक चचाओं, रिपोर्टों, शोध पत्रों और फील्ड लर्निंग सहित विभिन्न स्रोतों से होती है। निगरानी, विश्लेषण और दीर्घकालिक समाधान प्रस्तावित करने के लिए बैंगलोर और प्रधान कार्यालय में एक समर्पित टीम तैनात है। धोखाधड़ी प्रबंधन के लिए भाविपप्रा वैश्विक प्रौद्योगिकी वातावरण में नवीनतम प्रगति से विदित रहता है।

7.3.16 अल्ट्रा हाई डेंसिटी (यूएचडी) वाले डेटा केंद्रों का उन्नयनीकरण : भाविपप्रा ने अपने हेब्बल डेटा केंद्र (एचओसी) और मानेसर डेटा केंद्र (एमडीसी) में अपने मौजूदा डेटा केंद्रों को हाई डेंसिटी (एचडी) क्षेत्र से अल्ट्रा-हाई डेंसिटी (यूएचडी) क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपग्रेड किया है। इससे डीसी फुटप्रिंट 260 रैक से घटकर 80 रैक रह गया है और प्रोसेसिंग क्षमता की दक्षता में सुधार हुआ है।

7.3.17 ऑन प्रिमाइस प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर : भाविपप्रा ने भारत के सबसे बड़े एक ओपन सोर्स ऑन-प्रिमाइस प्राइवेट क्लाउड को बनाया है। संस्थापित और संक्रियात्मक अवसंरचना के अनुकूलन के लिए इसे हेब्बल, बेंगलुरु और मानेसर, हरियाणा में स्थित अल्ट्रा हाई डेंसिटी (यूएचडी) डेटा केंद्रों में लागू किया गया है। जीटीबी (गो टू बिजनेस) को 15 दिनों से घटाकर 2 घंटे कर दिया गया है। अत्यधिक स्वचालन क्षमता के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान के लिए केंद्रीकृत पोर्टल।

7.3.18 एप्लिकेशन माइग्रेशन : भाविपप्रा ने लगभग 30 पेटा बाइट्स डेटा को ओपन-सोर्स क्लाउड पर माइग्रेट किया है, जो भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर माइग्रेशन है। भाविपप्रा ने लगभग 300 एप्लिकेशन को माइग्रेट किया है जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पर चल रहे थे, माइक्रो-सर्विस आधारित क्लाउड और कंटेनर आर्किटेक्चर पर, जिसमें गतिशील उपयोग पैटर्न को पूरा करने के लिए क्षैतिज रूप से स्केल अप करने की क्षमता है।

7.3.19 सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क (एसडीएन) और सॉफ्टवेयर परिभाषित भंडारण (एसडीएस) : भाविपप्रा ने कंटेनरीकरण, वर्चुअलाइजेशन और बेयर-मेटल वर्कलोड के लिए ओपन सोर्स एसओएन समाधान को लागू किया है, जो शुद्ध लेयर 3 नेटवर्किंग और पूरी तरह से वितरित कंट्रोल प्लेन के उपयोग द्वारा क्षैतिज रूप से विस्तार करने के लिए स्केलेबिलिटी प्रदान करता है। विद्यमान प्रमाणित लाइनक्स और बीजीपी तकनीकों के उपयोग द्वारा सरलता। टेम्पलेट नेटवर्क नीतियों और शून्य-विश्वास सिद्धांत के माध्यम से उन्नत सुरक्षा सुविधाएं। भाविपप्रा ने सॉफ्टवेयर-परिभाषित स्टोरेज का एक एंटरप्राइज-ग्रेड संस्करण लागू किया है, जो प्रौद्योगिकी दिग्गजों और विशेषज्ञों द्वारा विकसित एक सुसंगत, विभाजन सहिष्णु और अंततः उपलब्ध ओपन-सोर्स स्टोरेज समाधान है।

7.4 2023-24 में अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम की विशेषताएं

7.4.1 सेवा डिलीवरी :

- **पीएम किसान** : पीएम-किसान ने जून, 2023 में चेहरा प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा पीएम-किसान सम्मान निधि का वितरण शुरू किया और तभी से अब तक चेहरा प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा 37 लाख संव्यवहार किए गए हैं। इसने किसानों के लिए घिसे हुए फिंगरप्रिंट, तत्काल ई-केवाईसी और निर्बाध डीबीटी वितरण के लिए अनूठा समाधान प्रदान किया है।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** : पीएम-आवास (यू) ने मई 2023 में चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करना शुरू किया और तभी से अब तक 32 लाख चेहरा प्रमाणीकरण संव्यवहार किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप भौतिक दस्तावेजों और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो गई है और लाभार्थियों के लिए प्रतीक्षा समय कम हो गया है। इससे लाभों के वितरण में विश्वास और पारदर्शिता स्थापित करने में सहायता मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ धोखाधड़ी के दावों और भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करके समय पर इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचें।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण** : राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने प्रारंभ में कोविन एप्लिकेशन, जिसे पंजीकरण प्रयोजनार्थ अक्तूबर, 2021 के दौरान शुरू किया गया था, में चेहरा प्रमाणीकरण के साथ एकीकृत किया। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पीएम-जेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना), अस्पतालों में नकदी-रहित उपचार का लाभ लेने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए चेहरा प्रमाणीकरण के उपयोग को लागू किया। वित्त वर्ष 23-44 में चेहरा प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा कुल 2 करोड़ संव्यवहार दर्ज किए गए हैं। इसी तरह, ओडिशा राज्य भर के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार प्रदान करने के लिए ओडिशा की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाई) में चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करके 1.46 लाख संव्यवहार दर्ज किए गए।

- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** : पीएमएमवीवाई ने हाल ही में आंगनबाड़ी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन वितरित करने के लिए चेहरे के प्रमाणीकरण का उपयोग शुरू किया है, जिससे महिलाओं के लिए डिजिटल रूप से निर्बाध लाभ प्राप्त करना आसान और आरामदायक हो गया है। कुल 4133 संव्यवहार दर्ज किए गए हैं।

- **डीओआईटीसी राजस्थान** : राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (राजएसएसपी) - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, (एसजेईडी) राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभ वितरित करने के लिए चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है। डीओआईटीसी राजस्थान में चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करके चालू वित्त वर्ष में कुल 13.16 लाख संव्यवहार दर्ज किए गए हैं।

- **जगन्ना विद्या दीवेना (जीवीडब्ल्यूवी और वीएसडब्ल्यूएस), आंध्र प्रदेश सरकार** : आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई फीस प्रतिपूर्ति योजना के तहत सभी पात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की जाती है। यह राशि छात्र की माँ/अभिभावक को वितरित की जाती है, जो बदले में चेहरे के प्रमाणीकरण का उपयोग करके कॉलेजों/संस्थानों को भुगतान की जाती है। वित्त वर्ष 23-24 में जीवीडब्ल्यूवी और वीएसडब्ल्यूएस के तहत उपरोक्त दो योजनाओं में कुल 5.63 प्रतिशत संव्यवहार हुए हैं।

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी ग्रामीण अधिनियम (मनरेगा)** : एक सामाजिक सुरक्षा योजना है

जो भारत में ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। योजना के कार्यान्वयन में सुधार और प्रतिरूपण जैसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए मनरेगा (वर्तमान में प्री-प्रोडक्शन में) में भाविपप्रा के चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना का लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंच रहा है।

7.4.2 वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार और अन्य

- **बैंकिंग/वित्त (एनबीएफसी):** विभिन्न बैंकों के लिए ग्राहक खाता खोलने और बैंकिंग से संबंधित सेवा प्रदान करने में चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है, जो ग्राहकों को उपयोग में सुगम और निर्बाध बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। कई बैंक, एईपीएस लेनदेन (जमा और निकासी) में चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, एनबीएफसी ग्राहक के ई-केवाईसी के लिए चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग कर रहे हैं। चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करके चालू वित्त वर्ष में कुल 30.07 लाख लेनदेन हुए हैं, जिसमें चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए सभी बैंक शामिल हैं।

- **दूरसंचार:** दूरसंचार सेवा प्रदाता सिम जारी करने के लिए ग्राहक के ई-केवाईसी के लिए चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कवर करते हुए कुल 6 करोड़ सिम लेनदेन हुए हैं।

7.4.3 सुशासन :

- **पेंशनभोगियों का कल्याण** : जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) बनाने के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा प्रदान करता है। जीवन प्रमाण में चेहरा प्रमाणीकरण अक्तूबर, 2021 के दौरान शुरू किया गया था ताकि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगियों को चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सुविधा हो, जिससे "जीवन में सुगमता" को बढ़ावा मिले। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, डीएलसी 2.0 अभियान में 15 लाख से अधिक पेंशनभोगियों ने चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाया।

- **कौशल विकास** : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश राज्य में कैदियों के लिए जेलों में कौशल गतिविधियों में नामांकित उम्मीदवारों की उपस्थिति के लिए चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। वित्त वर्ष 23-24 में कुल 1.51 लाख लेनदेन दर्ज किए गए हैं।

- **कर्मचारी उपस्थिति** : राज्य सरकार के कार्यालय और केंद्र सरकार के विभाग अपने व्यक्तिगत उपकरणों से उपस्थिति दर्ज करने के लिए चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग कर रहे हैं, जिससे टर्मिनलों पर स्पर्श से बचा जा रहा है, तथा व्यस्त कार्यालय समय में प्रतीक्षा समय और कतार से बचा जा रहा है।

7.5 2023-24 में सीआरएम प्रभाग की विशेषताएं

7.5.1 सीआरएम प्रभाग : सीआरएम प्रभाग ने भाविपप्रा के प्रचालन संपर्क केंद्र हेतु आरएफपी के अनुसार प्रचालन संपर्क केंद्र सेवाओं के लिए 03.01.2024 को संपर्क केंद्र फर्मों (सीसीएफ) संविदा कार्य आदेश दिया।

7.5.2 सीपीजीआरएएमएस : सीपीजीआरएएम के जरिए प्राप्त शिकायतों का निपटान करने में भाविपप्रा का नाम शीर्ष के 10 मंत्रालयों/विभागों में है। सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा शिकायतों का निवारण के लगने वाले 16 दिन के औसतन समय की तुलना में भाविपप्रा में यह 14 दिन है।

7.6 मानव संसाधन प्रभाग की मुख्य विशेषताएं

7.6.1 भाविपप्रा चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना (भाविपप्रा-एमआरएस) : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्यनिबंधन एवं शर्तें) विनियम,

2020 के विनियम 15 में यथा उपबंधित, प्राधिकरण के कर्मचारी इन विनियमों से जुड़ी दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे। तदनुसार, दूसरी अनुसूची में निहित दिशानिदेर्शों के अनुरूप, भाविपप्रा द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भाविपप्रा चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना (भाविपप्रा-एमआरएस) नामक एक चिकित्सा योजना तैयार की गई है और इसे लागू किया गया है।

यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी। दी गई सहमति के आधार पर, 208 से अधिक स्वास्थ्य सेवा संगठनों (एचसीओ) को सीजीएचएस के मानदंडों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के साथ-साथ भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालय स्थानों पर अन्य एचसीओ के साथ इसी तरह के समझौते की प्रक्रिया चल रही है। यह योजना पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को सीजीएचएस के तहत भाविपप्रा द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त है।

7.6.2 ई-एचआरएमएस : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस 2.0) भाविपप्रा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू होगी। भाविपप्रा के अधिकारियों के प्रोफाईल को विधिमान्य किया गया है और यह प्रणाली भाविपप्रा में क्रियाशील है।

7.6.3 भाविपप्रा की तकनीकी टीम को मजबूत करने के लिए देशभर के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों अर्थात आईआईटी, एनआईटीएस आदि से वित्त वर्ष 2023-24 में 24 युवा पेशेवरों का चयन किया गया है।

7.6.4 वर्ष 2023-24 के दौरान, मानव संसाधन प्रभाग, भाविपप्रा प्रधान कार्यालय ने निम्नलिखित मुख्य कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों को आयोजित किया:

दिनांक	कार्यशाला/प्रशिक्षण/कार्यक्रम
30 मई 2023	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में पॉश अधिनियम, 2013 (रोकथाम, निषेध, निवारण) के प्रावधानों पर जागरूकता
06 जुलाई 2023	नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा भाविपप्रा प्रधान कार्यालय में ऑन-साइट जांच सहित कार्डियोलॉजी और पल्मोनोलॉजी पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन
10 अगस्त 2023	भाविपप्रा प्रधान कार्यालय में पॉश अधिनियम पर कार्यशाला
21 अगस्त 2023	हीलिंग टच डेंटल केयर द्वारा भाविपप्रा प्रधान कार्यालय में निःशुल्क डेंटल कैंप
23 अगस्त 2023	सहायक सचिवों (आईएएस 2021 बैच) के लिए भाविपप्रा की कार्यप्रणाली पर कार्यशाला
27 सितंबर 2023	हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं और वार्षिक हिंदी प्रोत्साहन योजना पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए हिंदी पखवाड़े के दौरान वार्षिक राजभाषा पुरस्कार समारोह का आयोजन
09 अक्तूबर 2023	"निवारक सतर्कता" पर प्रशिक्षण सत्र
10 अक्तूबर 2023	"नैतिकता और शासन" पर प्रशिक्षण सत्र
31 अक्तूबर 2023	निदेशक, सीवीसी, नई दिल्ली द्वारा "पीआईडीपीआई संकल्प के बारे में जागरूकता निर्माण" पर व्याख्यान/वार्ता
8 जनवरी से 19 जनवरी 2024	सभी स्थानों पर सरकारी/ संविदाबद्ध कार्मिकों के लिए सूचना सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण
8 जनवरी से 23 जनवरी 2024	भाविपप्रा में नियुक्त सरकारी अधिकारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण

7.7 प्रशासन प्रभाग की प्रमुख विशेषताएं

7.7.1 प्रशासन प्रभाग की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- भाविपप्रा में व्यक्तिगत मोबाइल (एंड्रॉयड वर्जन) पर फेस रिकग्निशन के जरिए उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई है।
- कैंप ऑफिस पटना को राज्य कार्यालय, पटना में परिवर्तित किया गया।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित आधार आवासीय परिसर का उद्घाटन 16.10.2023 को किया गया है और इच्छुक अधिकारियों को पात्रता के अनुसार आवास आवंटन पहले ही शुरू हो चुका है। अब तक 29 फ्लैट अधिग्रहित हो चुके है।
- एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग (जीआरआईएचए) के लिए ग्रीन रेटिंग भाविपप्रा, मुख्यालय भवनः भाविपप्रा मुख्यालय भवन को 12 अक्तूबर 2020 से पांच साल के लिए स्थायी पांच सितारा रेटिंग प्राप्त है।
- वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रशासन प्रभाग, भाविपप्रा प्रधान कार्यालय ने राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर निम्नलिखित गतिविधियाँ की हैं। इन्हें नीचे तालिका में सूचीबद्ध किया गया है।

दिनांक	कार्यक्रम
02 जून 2023	आधार को और मजबूत बनाने, नागरिक केंद्रीयता और आधार के उपयोग को बढ़ावा देने की रणनीति पर विचार-मंथन सत्र
21 जून 2023	9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
15 अगस्त 2023	स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण
29 अगस्त 2023	राष्ट्रीय खेल दिवस 25 और 29 अगस्त 2023 को
02 अक्तूबर 2023 से 31 अक्तूबर 2023	स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को न्यूनतम करने के लिए विशेष अभियान 3.0।
31 अक्तूबर 2023	राष्ट्रीय एकता दिवस (नेशनल यूनिटी डे)
06-11 नवंबर 2023	स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली 2023
25 नवंबर 2023	19 से 25 नवंबर 2023 तक सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और झंडा दिवस का आयोजन
26 नवंबर 2023	संविधान दिवस पर्व
01 दिसंबर 2023 से 07 दिसंबर 2023	सशस्त्र सेना झंडा दिवस में योगदान
26 जनवरी 2024	गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण
01 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024	1-15 फरवरी, 2024 में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन
08 मार्च 2024	महिला दिवस समारोह
22 मार्च 2024	पोषण पखवाड़ा 2024 (9-23 मार्च) पोषण भी पढ़ाई भी

योग दिवस समारोह – 2023

योग दिवस समारोह – 2023

स्वतंत्रता दिवस समारोह – 2023

राष्ट्रीय खेल दिवस – 2023

राष्ट्रीय खेल दिवस – 2023

संस्थागत स्वच्छता – 2023 के लिए विशेष अभियान 3.0

राष्ट्रीय एकता दिवस – 2023

आधार आवसीय परिसर का उद्घाटन– 2023

आधार आवसीय परिसर का उद्घाटन– 2023

गणतंत्र दिवस – 2024

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह – 2024

8. भावी योजनाएं

8.1 प्रौद्योगिकी विकास

8.1.1 कानून प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) पोर्टल : एलईए पोर्टल एप्लिकेशन का विरत विकास अवैध आधार धारकों से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से निपटान करने के लिए भाविपप्रा की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) और गृह मंत्रालय (एमएचए) जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रासंगिक प्रक्रियाओं और प्रणालियों के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। यह पहल आधार प्रणाली के एकीकरण को बनाए रखने और अनधिकृत उपयोग को कम करने में प्रमुख है, जो सुरक्षा और अनुपालन मानकों को बनाए रखने के लिए हमारे समर्पण को और सुदृढ़ करती है।

8.1.2 एम-आधार एप्लिकेशन का नया स्वरूप : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में, हम एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरूआत कर रहे हैं क्योंकि हम मौजूदा एम-आधार प्लेटफॉर्म से एक उद्देश्यपरक एप्लिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं जिसे आधार नंबर धारकों और उनके परिवारों की जरूरतों को व्यापक रूप से पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नई एप्लिकेशन एम-आधार की मुख्य विशेषताओं को बनाए रखेगी, सेवाओं के निर्बाध ऐक्सेस और 100% उपलब्धता को प्राथमिकता देगी, जिसके फलस्वरूप "कभी भी, कहीं भी" सुविधा और विश्वसनीयता से सुनिश्चित होगी।

8.1.3 कोर एपीआई : एपीआई निष्पादन में सुधार और लाइटवेट डिजाइन में परिवर्तन के कार्यान्वयन को लागू किया जा रहा है, ताकि तीव्र प्रतिक्रिया समय प्राप्त किया जा सके, जिसके फलस्वरूप समग्र रूप से रेज़िडेंट फेसिंग एप्लिकेशंस को लाभ होगा। ये सुधार आधार सेवाओं तक त्वरित और कुशल ऐक्सेस सुनिश्चित करके उपयोगकर्ता अनुभव को अनुकूलित करने की दिशा में तैयार किए गए हैं।

8.2 प्रौद्योगिकी प्रचालन

8.2.1 आधार प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण :

- स्वामित्व सॉफ्टवेयर (एमएपीआर) से डेटाबेस स्टोरेज को ओपन सोर्स तकनीक (सैफ डेटा स्टोरेज) में स्थानांतरित करने का काम वर्तमान में चल रहा है। साथ ही, प्रमाणीकरण एप्लिकेशंस को ओपन-सोर्स और कंटेनर-आधारित तकनीकों के उपयोग द्वारा एक निजी क्लाउड-आधारित वातावरण में परिवर्तित किया जा रहा है। इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य संचालन को सुव्यवस्थित करना, स्वचालन को बढ़ाना और व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों दोनों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।
- प्रमाणीकरण प्रयोजनों के लिए फील्ड डेटा कैप्चर के दौरान निवासियों के बायोमेट्रिक्स की उच्च सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए ट्रस्ट एक्जीक्यूशन एनवायरनमेंट (टीईई) आधारित आर्किटेक्चर वाली पंजीकृत डिवाइसों को लागू किया गया है।
- ब्लॉकचेन-आधारित समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडैक) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य सहमति को रिकॉर्ड और उसका उपयोग करना है, जिससे निवासियों को अपनी व्यक्तिगत पहचान की जानकारी पर अधिक नियंत्रण रखने का अधिकार मिल सके।
- आधार ईकोसिस्टम के अंतर्गत प्रमात्रा -आधारित क्रिप्टोग्राफी समाधानों के एकीकरण का पता लगाने के लिए क्यूएनयू लैब्स के साथ एक अवधारणा का प्रमाण (पीओसी) शुरू किया गया है। यह प्रयास बढ़ते प्रमात्रा कंप्यूटिंग जोखिमों के समक्ष आधार प्रणाली की सुरक्षा और लचीलेपन में अभिवृद्धि करता है।
- आंतरिक रूप से विकसित एआई/एमएल एप्लिकेशंस और उन्नत डेटा विश्लेषण पाइपलाइनों के परिनियोजन के जरिए प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम के अंतर्गत धोखाधड़ी

का पता लगाने की प्रणाली को मजबूत करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। इन विकासों का उद्देश्य वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाना है, जिससे विभिन्न एप्लिकेशंस में आधार के उपयोग से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके।

8.2.2 स्वदेशी एबीआईएस : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से, वर्तमान में स्वदेशी स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (एबीआईएस) विकसित करने के अंतिम चरण में है। भाविपप्रा ने व्यक्तिगत बायोमेट्रिक मिलान सटीकता और विशेषताओं पर व्यापक परीक्षण किया है, जो सटीकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। यह पहल बायोमेट्रिक समाधानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

स्वदेशी एबीआईएस में एक अत्यधिक कुशल डिजाइन रखने की परिकल्पना की गई है, जो बायोमेट्रिक्स में धोखाधड़ी, खराब गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक्स और डीप फेक जैसी उभरती चुनौतियों के समक्ष तेजी से अनुकूल होने में सक्षम है। यह विकास उभरते जोखिमों का निवारण करने और बायोमेट्रिक पहचान प्रणालियों की मजबूती सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

8.2.3 एमडीडी ईकोसिस्टम का पुनः डिजाइन : तकनीकी प्रगति ने मैनुअल डी-डुप्लीकेशन (एमडीडी) कार्य-विस्तार के पुनरुद्धार को आवश्यक बना दिया है, जिसकी वर्तमान प्रवाह दर लगभग 300,000 संव्यवहार प्रतिदिन है, जो कम पड़ता है। यह एक स्केलेबल सिस्टम को लगभग 1 मिलियन संव्यवहार की दैनिक आवश्यक प्रवाह दर को समायोजित करने में सक्षम होगा। संशोधित प्रणाली में विभिन्न संवर्धन शामिल किए जाएंगे, जिसमें बेहतर ऑपरेटर सटीकता सत्यापन, निर्देशित निर्णयन सहायता, विभिन्न बायोमेट्रिक सत्यापन एल्गोरिदम का एकीकरण और उन्नत धोखाधड़ी विश्लेषण क्षमताएं शामिल हैं। इस समग्र परिवर्तन का उद्देश्य एमडीडी कार्यप्रवाह को आधुनिक बनाना है, यह सुनिश्चित करना है कि यह समकालीन तकनीकी मानकों के अनुरूप हो और बायोमेट्रिक निर्णय की बढ़ती मांगों को कुशलतापूर्वक पूरा करना है।

8.2.4 परिधि सुरक्षा नियंत्रण उन्नयन : भाविपप्रा बेंगलुरु (कर्नाटक) और मानेसर (हरियाणा) में अपने डेटा केंद्रों और तकनीकी केंद्र कार्यालयों के लिए विद्यमान परिधि नियंत्रणों को उन्नत/प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया में है।

8.2.5 कम्प्यूटेशनल अपग्रेड : भाविपप्रा ने एआई और हाई परफार्मेंस कंप्यूटिंग कार्यभार के लिए इष्टतम निष्पादन के साथ एआई आधारित डीप लर्निंग जीपीयू एक्सेलरेटर का उपयोग करने की आवश्यकता की पहचान की है। एनःएन डीडुप्लीकेशन अभ्यास, आंतरिक रूप से विकसित एआई/ एमएल मॉडल के उपयोग द्वारा नई कम्प्यूटेशनल सुविधा पर किया जाना है। नई जीपीयू आधारित आगामी सुविधा के उपयोग द्वारा स्वदेशी एबीआईएस का विकास भी करने की योजना है।

8.3 मानव संसाधन प्रभाग

8.3.1 केंद्रीकृत ऐक्सेस और विशेषाधिकार निगरानी प्रणाली (सीएपीएस)

- सभी जनशक्ति की ऑनबोर्डिंग और डी-बोर्डिंग प्रक्रिया के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भाविपप्रा, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से एक ऐसी केंद्रीकृत ऐक्सेस और विशेषाधिकार निगरानी प्रणाली (सीएपीएस) विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिसमें केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त अधिकारियों, विभिन्न तकनीकी, यांत्रिक, लिपिकीय और अन्य गुणवत्ता संबंधी कार्यों के लिए अनुबंधित एजेंसियों के माध्यम से सेवा में लिए गए संसाधनों सहित विभिन्न संसाधनों के जरिए भाविपप्रा में कार्यरत जनशक्ति की ऑनबोर्डिंग/डी-बोर्डिंग से संबंधित सभी रिकॉर्डों के रखरखाव और निगरानी के लिए केंद्रीकृत प्रणाली होगी।

- यह प्रणाली उपयोगकताओं को उनसे संबंधित कार्य के लिए अपनी आवश्यकता को ऑनलाइन संसाधित करने में सक्षम बनाएगी। यह भाविपप्रा के सभी कार्यालयों में कई एजेंसियों के माध्यम से नियोजित जनशक्ति के संबंध में कामकाज और परिसंपत्तियों/सुविधाओं से संबंधित सभी डेटा के लिए भाविपप्रा प्राधिकरण को एक केंद्रीकृत पहुंच, निगरानी और नियंत्रण प्रणाली भी प्रदान करेगा।

8.3.2 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और राज्य कार्यालयों (एसओ) में जनशक्ति की समीक्षा

निम्नलिखित उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया गया है :

- कार्य की प्रकृति और मात्रा के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय और राज्य कार्यालय के स्वीकृत पदों का पुनर्मूल्यांकन करना।
- कार्य विवरण और वर्तमान कार्य जिम्मेदारी के बीच अंतर का आकलन करना तथा प्रस्तावित पदों के संशोधित जेडी और सीटीसी का सुझाव देना।
- मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों में रिक्त एनआईएसजी पदों को भरने में आने वाली कठिनाइयों को कम करना और कर्मचारियों की संख्या में कमी को रोकने के उपाय करना।

8.4 प्रशासन प्रभाग

8.4.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश और गुवाहाटी, असम में अपने स्वयं के कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है। मिट्टी परीक्षण और अन्य निर्माण-पूर्व गतिविधियों के लिए लागत अनुमान लगाने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में सीपीडब्ल्यूडी को नियुक्त करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।

8.4.2 डिजिटल परिवर्तन को अगले चरण में जारी रखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक एसेट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जाना है, ताकि अन्य विभागों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एसेट कंट्रोल, सटीक मूल्यह्रास बनाए रखने के संबंध में नियमित इन्वेंट्री, विभागों के लिए नुकसान या चोरी की पहचान करने में सहायतार्थ, एसेट की जानकारी के बारे में अपडेट भेजा जा सके। डेटा, जिसे ई-ऑफिस के साथ माइग्रेट किया जाना है, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए । डिजिटल प्रबंधन से एसेट स्टोरेज और प्रबंधन के लिए अधिक लागत और समय की बचत होगी, साथ ही सुरक्षित और विश्वसनीय संव्यवहार भी होगा, जिससे गति और दक्षता सुनिश्चित होगी।

9. वित्तीय कार्य-निष्पादन

9.1 भाविपप्रा निधि

9.1.1 भारत के लिए डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, भाविपप्रा की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग भाविपप्रा निधि का गठन किया गया। आधार अधिनियम, 2016 के द्वारा निधि का गठन किया गया था। आधार अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा 25 भाविपप्रा निधि को निम्नानुसार उपबंधित करती है:

"25(1) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा-

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; तथा

(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सभी राशियां, जिनका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए होगा-

(क) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है; तथा

(ख) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय।"

9.2 बजट एवं व्यय

9.2.1 भाविपप्रा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से सहायता अनुदान (जीआईए) के तीन शीर्षों में नामतः सहायता अनुदान - सामान्य, सहायता अनुदान - पूंजीगत और सहायता अनुदान - वेतन के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करता है। वित्त वर्ष 2015-16 से 2023-24 का बजट आकलन /संशोधित आकलन के तहत बुक किए गए व्यय का विवरण तालिका 12 पर देखा जा सकता है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट और व्यय का सारांश तालिका 13 पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बजट आकलन/संशोधित आकलन के तहत बुक किए गए व्यय संबंधित का विवरण भाविपप्रा की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

9.2.2 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भाविपप्रा का अनुमोदित बजट आकलन (बीई) और संशोधित आकलन (आरई) क्रमशः ₹940.00 करोड़ और ₹800.00 करोड़ था। 2023-24 के दौरान कुल अनुदान के ₹800.00 करोड़ खर्च किए गए। हालांकि, भाविपप्रा की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए, भाविपप्रा निधि से ₹596.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

9.2.3 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 600.00 करोड़ रुपए के बजट आकलन (बीई) को मंजूरी दी गई है।

9.2.4 भाविपप्रा में 01 जून, 2021 से ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत भाविपप्रा के बैंक खाते में अनुदान जारी करने के बजाय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) अब, आरबीआई में हमारे खाते के समक्ष टीएसए सिस्टम के जरिए अनुदान आवंटित कर रहा है।

तालिका 12 -2015-16 से 2023-24 तक बजट आकलन/संशोधित आकलन के तहत बुक किए गए व्यय का विवरण

वर्ष	बजट आकलन (रुपए करोड़ में)	संशोधित आकलन (रुपए करोड़ में)	वास्तविक व्यय (रुपए करोड़ में)
2015-16	2,000.00	1,880.93	1,680.44
2016-17	1,140.00	1,135.27	1,132.84
2017-18	900.00	1,150.00	1,149.38
2018-19	1,375.00	1,345.00	1,181.86
2019-20	1,227.00	836.78	856.13@
2020-21	985.00	613.00	893.27#
2021-22	600.00	1,564.97	1,564.54
2022-23	1110.00	1220.00	1634.44*
2023-24	940.00	800.00	1396.22*

@ पिछले वर्ष के अव्ययित शेष से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की गई।

 # अतिरिक्त व्यय की पूर्ति पिछले वर्ष के अव्ययित शेष एवं भाविपप्रा की आय से की गई। वर्ष 2021-22 में जीआईए-पूंजी और जीआईए-वेतन के तहत शेष ₹ 13.04 करोड़ का अव्ययित अनुदान ट्रेज़री सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली के रूप में सीएफआई को प्रेषित किया गया।

** अतिरिक्त व्यय भाविपप्रा निधि से पूरा किया गया।*

तालिका 13 - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट और व्यय का सारांश

अनुदान शीर्ष	बीई 2023-24 (करोड़ रुपए में)	आरई 2023-24 (करोड़ रुपए में)	31.03.2024 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायता अनुदान - सामान्य	785.00	586.08	984.70
सहायता अनुदान - पूंजीगत	90.00	145.79	343.39
सहायता अनुदान - वेतन	65.00	68.13	68.13
कुल सहायता - अनुदान	**940.00**	**800.00**	**1396.22***

** अतिरिक्त व्यय भाविपप्रा निधि से पूरा किया गया।*

ग्राफ 14 - 2015-16 से 2023-24 तक बीई/आरई के तहत बुक किए गए व्यय का विवरण

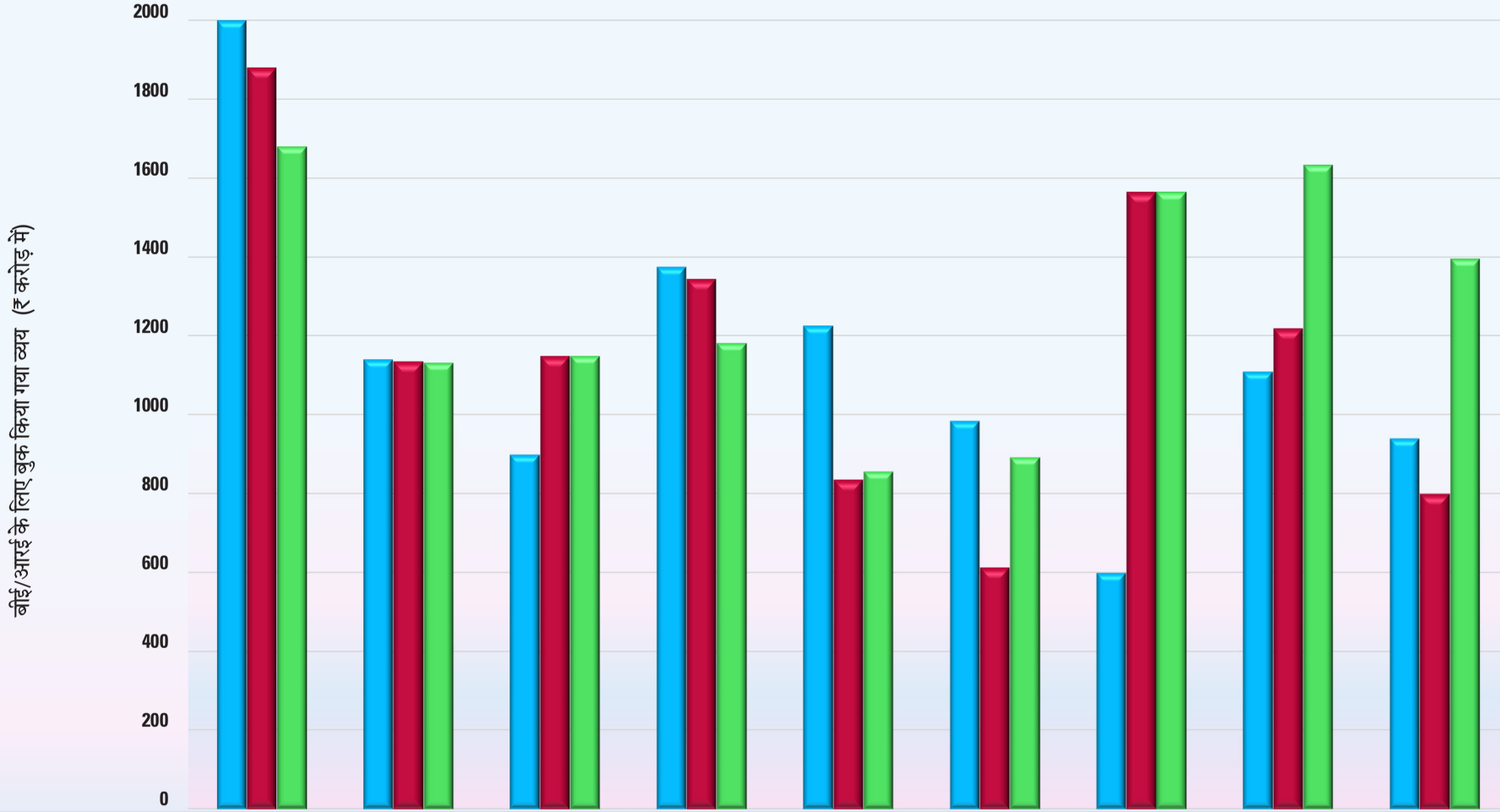

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	2,000.00	1,140.00	900.00	1,375.00	1,227.00	985.00	600.00	1,110.00	940.00
संशोधित अनुमान (₹ करोड़ में)	1,880.93	1,135.27	1,150.00	1,345.00	836.78	613.00	1,564.97	1,220.00	800.00
वयय (₹ करोड़ में)	1,680.44	1,132.84	1,149.38	1,181.86	856.13	893.27	1,564.54	1,634.44	1396.22

9.3 सेवाओं से प्राप्तियां

भाविपप्रा ईकोसिस्टम में नामांकन एवं अद्यतन, अधिप्रमाणन, संभारिकी, ग्राहक संबंध प्रबंधन, प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन शामिल हैं तथा तदनुसार, भाविपप्रा की अधिकांश प्राप्तियां निम्नलिखित खंडों/सेवाओं में आती हैं :-.

- अधिप्रमाणन सेवाएं (हाँ/नहीं या ईकेवाईसी आधारित अधिप्रमाणन सेवाएं)
- केयूके/केयूए/एएसए से लाईसेंस फीस शुल्क
- नामांकन एवं अद्यतन सेवाएं (भाविपप्रा के अपने आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से)
- स्व-सेवा अद्यतन पोर्टल
- पीवीसी कार्ड सेवा

सेवाओं से उपरोक्त प्राप्तियों के एक अंश को ब्याज वाले खाते में रखा जाता है। वर्ष 2023-24 में विभिन्न सेवाओं से प्राप्त रसीदें तालिका 14 में दी गई हैं।.

तालिका 14 - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सेवाओं से हुई प्राप्तियों का विवरण

वर्ष	अधिप्रमाणन सेवाएं (करोड़ ₹ में)	लाइसेंस फीस (करोड़ ₹ में)	आधार सेवा केंद्र (करोड़ ₹ में)	पीवीसी कार्ड (करोड़ ₹ में)	एसएसयूपी (करोड़ ₹ में)	ब्याज से आय (करोड़ ₹ में)	अन्य आय (करोड़ ₹ में)	कुल (करोड़ ₹ में)
2023-24	612.72	33.94	61.59	11.29	88.07	145.41	0.31	**953.33**

ग्राफ 15 – वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सेवाओं से हुई प्राप्तियों का विवरण

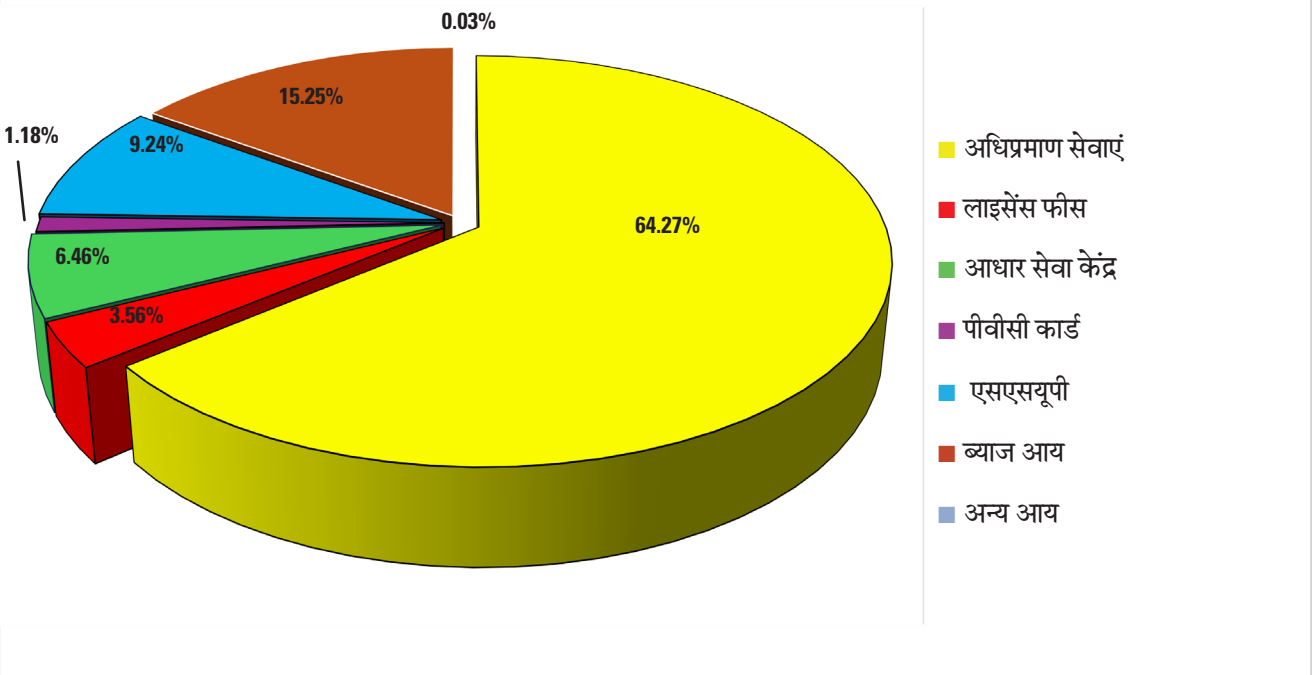

10. वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लेखापरीक्षित विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)के वार्षिक लेखा विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के संलग्न तुलन-पत्र और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम, 2016), की धारा 26 (2), आधार और अन्य कानून (संशोधित) अध्यादेश, 2019 (02 मार्च, 2019) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियों तथा भुगतान लेखा विवरणों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, लेखांकन की श्रेष्ठ परिपाटियों के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। विधियों, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन में वित्तीय लेन-देनों और दक्षता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्टों /सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार निष्पादित की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन युक्तिसंगत परिणाम प्राप्त करने के लिए करें ताकि वित्तीय विवरण तात्विक मिथ्या-कथन से मुक्त हों। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित तथ्यों की जांच सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारी राय में, तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को, आधार अधिनियम, 2016 की धारा 26(1) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित 'लेखों का एकरूपी प्रपत्र' में तैयार किया गया है।

iii. हमारी राय में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा लेखा-बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव उपयुक्त रूप से किया गया है।

iv. अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 800 करोड़ के सहायता अनुदान में से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2024 तक अनुदान के रूप में शून्य शेष राशि को छोड़ते हुए ₹ 800 करोड़ की राशि का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, भाविपप्रा के टीएसए (पीएफएमएस) में स्थानांतरण के कारण पिछले वर्ष का ₹ 0.34 करोड़ रुपए का अप्रयुक्त अनुदान 31.03.2023 को समाप्त हो गया और इसे भारत की समेकित निधि में भेज दिया गया।

v. पिछले अनुच्छेदों में की गई हमारी टिप्पणियों के

आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय विवरण के साथ लेखा/प्राप्तियों और भुगतान खाता लेखा-बही के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस रिपोर्ट के अनुलग्नक -। में उल्लिखित मामलों के अध्यधीन, एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

क. जहां तक यह तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति से संबंधित है; और

ख. जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष की आय एवं व्यय लेखों से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
एवं उनकी ओर से

स्थानः दिल्ली
दिनांक : 7.11.2024

ह0/-
(पुरुषोत्तम तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वार्षिक खातों के प्रमाणीकरण के दौरान किया गया। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: -

संगठनात्मक व्यवस्था

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शामिल है, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी रहेंगे। 31 मार्च 2024 तक, प्राधिकरण की संरचना इस प्रकार हैं: -

श्री नीलकंठ मिश्रा	अध्यक्ष (अशंकालिक)
प्रोफेसर मौसम	सदस्य (अंशकालिक)
श्री नीलेश शाह	सदस्य (अंशकालिक)
श्री अमित अग्रवाल, आईएएस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सदस्य सचिव

प्रधान कार्यालय (एचओ) व्यवस्था

प्रधान कार्यालय में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के सहायतार्थ सात उपमहानिदेशक (डीडीजी), भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, नियुक्त हैं, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विभिन्न प्रभागों के प्रभारी अधिकारी हैं। उपमहानिदेशकों के सहायतार्थ निदेशक/सहायक महानिदेशक (एडीजी), उपनिदेशक, अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी नियुक्त हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यवस्था

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक का नेतृत्व उपमहानिदेशक (डीडीजी) स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनके सहायतार्थ निदेशक/सहायक महानिदेशक (एडीजी), उपनिदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार और व्यक्तिगत कर्मचारी नियुक्त हैं।

लेखाओं के निरीक्षण का विवरण

वर्ष 2023-24 के दौरान, वित्त प्रभाग ने निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के प्रभागों के लेखाओं का निरीक्षण आयोजित किया।

क्र.सं.	प्रभाग और क्षेत्रीय कार्यालय	अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा	अवधि का निरीक्षण अभिलेख
1	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगुलरु	20 मार्च 2023 से 24 मार्च 2023	दिसंबर 2021 से फरवरी 2023
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रांची	26 जून 2023 से 30 जून 2023	अक्तूबर 2021 से मई 2023
3	मानेसर डेटा सेंटर	3 जुलाई 2023 से 7 जुलाई 2023	फरवरी 2022 से जून 2023

क्र.सं.	प्रभाग और क्षेत्रीय कार्यालय	अवधि के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा	अवधि का निरीक्षण अभिलेख
4	प्रधान कार्यालय, भाविपप्रा, नई दिल्ली	20 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023	भाविपप्रा प्रधान कार्यालय के लेखाओं का अर्धवार्षिक निरीक्षण (जुलाई 2022 – दिसंबर 2022) और केएम, मीडिया, आधार और प्रवर्तन प्रभाग के अभिलेखों का निरीक्षण
5	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	21 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023	नवंबर 2021 से जुलाई 2023
6	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	3 अक्तूबर 2023 से 6 अक्तूबर 2023	मार्च 2022 से सितंबर 2023
7	क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	23 अक्तूबर 2023 से 27 अक्तूबर 2023	मई 2022 से सितंबर 2023
8	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	14 नवंबर 2023 से 17 नवंबर 2023	अक्तूबर 2021 से अक्तूबर 2023
9	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	1 जनवरी 2024 से 5 जनवरी 2024	अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023
10	क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	8 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024	सितंबर 2020 से मार्च 2024
11	प्रौद्योगिकी केंद्र, बेंगलुरु	18 जून 2024 से 21 जून 2024	अक्तूबर 2021 से मार्च 2024

(क) लेखाओं के निरीक्षण का कार्यक्षेत्र

लेखाओं के निरीक्षण का कार्य और प्रकार्य धन परिप्रेक्ष्य के महत्व को परिवेष्टित करता है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के आर्थिक मूल्यांकन, उनकी कार्यकुशलता और प्रभावशीलता मानदंडों के मूल्यांकन की आवश्यकता शामिल है। तदनुसार, लेखाओं के निरीक्षण के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं और निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं। हालांकि, संस्था में विद्यमान परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में, संगठन के कार्यों और प्रकार्यों को विनिर्दिष्ट करने के लिए कोई लेखाओं के निरीक्षण से संबंधित नियमावली नहीं है।

लेखाओं के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य संस्था और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों/ अभिलेखों/रजिस्टरों/ अनुबंधों की जांच करना और तंत्र की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए तंत्र की अपेक्षित जांच करना और नियंत्रण के संबंध में सुझाव देना है।

(ख) लेखाओं के निरीक्षण की प्रमात्रा और आवृत्ति

लेखा निरीक्षण के तहत यूआईडीएआई प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुरक्षित सभी लेखा अभिलेखों की सामान्य समीक्षा करती है। प्रधान कार्यालय के निरीक्षण के संबंध में, व्यय और आधारभूत प्रक्रिया एवं क्रियाविधियों का निरीक्षण तिमाही आधार पर किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रौद्योगिकी केंद्रों के लेखाओं का निरीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह देखा गया है कि 31 मार्च, 2024 तक लंबित निरीक्षण पैरा की संख्या 214 थी।

(ग) प्राप्तियों की जांच करना

निरीक्षण यह देखने के लिए नमूना जांच करती है कि क्या संस्था ने सभी राजस्व प्राप्तियों और धन-वापसी संग्रहण और लेखांकन पर प्रभावी जांच के लिए पर्याप्त नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं और उनका सही ढंग से पालन किया है।

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

सभी सक्षम प्राधिकारियों को विभिन्न कार्यालय आदेशों/ज्ञापनों के अनुसार उन्हें सौंपी गई प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति का प्रयोग करना होता है।

नीतियां एवं क्रियाविधि

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 दिनांक 21.01.2020 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया था।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने राजपत्र अधिसूचना के उपरांत विभिन्न रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के भर्ती नियमों में भर्ती का भी एक परिभाषित माध्यम है।

आमेलन के संबंध में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद 29.01.2020 को स्थायी आमेलन के लिए कार्मिकों से आवेदन मांगे थे। हालांकि, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में आमेलन के उपरांत देय आमेलन और पेंशन के संबंध में अधिकारियों से आमेलन के समय प्राप्त वेतन निर्धारण तथा पेंशन के अभ्यावेदनों के आधार पर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा तथा अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। यह कहा गया है कि समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जा रहा है और तत्पश्चात आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

नकद की प्राप्ति और संवितरण

नकदी की प्राप्ति और उसके संवितरण से संबंधित कार्य को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है। रोकड़ बही खजांची की अभिरक्षा में रहती है तथा नकदी का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। नकदी शेष की अधिकतम सीमा (50,000 रुपए), प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित निदेशों के अनुसार किया जा रहा है।

निधियों का रखरखाव

सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित होने से पूर्व अर्थात 2016-17 तक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तत्कालीन योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। तत्पश्चात, 12 सितंबर, 2015 को, सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के साथ अटैच करने के लिए कार्य आबंटन नियमावली को संशोधित कर दिया।

नकद की प्राप्तियाँ और प्राप्य/संवितरण

सक्षम प्राधिकारियों के सभी स्वीकृतियों, जो भुगतान हेतु लेखा प्रभाग को अग्रेषित की जाती हैं, की विद्यमान नियमों/ आदेशों, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन, आबंटन योग्य लेखा शीर्ष के तहत निधियों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में जांच की जाती है और तदनुसार भुगतान के लिए अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं।

कार्मिकों को वेतन रोल/ऋण और अग्रिम

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कर्मचारियों के वेतन रोल/ऋण और अग्रिम तैयार किए जा रहे हैं और उनका भुगतान किया जा रहा है।

बैंक शेष/बैंक मिलान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से बैंक मिलान विवरण का रखरखाव किया जाता है।

अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियां के रजिस्टरों का रखरखाव केवल कंप्यूटरीकृत रूप में किया जाता है। साथ ही, वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय की परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन जून के महीने के दौरान किया गया था।

ह0/-
(पुरुषोत्तम तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लेखों विवरणों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-।

हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा की सामान्य कार्यप्रणाली में लेखा बहियों और अभिलेखों की जांच की गई तथा अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में, हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

1. लेखाओं का निरीक्षण (आतंरिक लेखापरीक्षा) प्रणाली की पर्याप्तता

उपमहानिदेशक (वित्त) के नेतृत्व में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का वित्त प्रभाग, लेखाओं का निरीक्षण (पूर्व में आंतरिक लेखापरीक्षा) के लिए विनिर्दिष्ट प्रभाग है। भाविपप्रा ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के निदेशों के अनुपालन में आंतरिक लेखापरीक्षा का नामकरण "लेखाओं का निरीक्षण" के रूप में परिवर्तित कर दिया है।

वित्त प्रभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय के प्रभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा विवरण के निरीक्षण के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है और इन निरीक्षणों को करने के लिए टीम का गठन करता है। निरीक्षण टीम में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है।

निरीक्षण के उपरांत, निरीक्षण टीम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रधान कार्यालय के वित्त प्रभाग को आवश्यक आगामी कार्रवाई करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टरों का रखरखाव केवल कंप्यूटीकृत रूप में किया जाता है। साथ ही, वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रधान कार्यालय की अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन जून 2024 महीने के दौरान किया गया था। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, चंडीगढ़ और मुंबई को छोड़कर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रदान की गई थी।

4. सामान-सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में किसी सामान-सूची का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सांविधिक देय राशियों के भुगतान में तत्पर है और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रकटीकरण लेखा संबंधी टिप्पणियों में शामिल है (अनुसूची 26)।

ह0/-

(पुरुषोत्तम तिवारी)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(वित्त एवं संचार)

फॉर्म-क

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	देयताएं			
1	समग्र /पूंजीगत निधि	1	14,15,77,55,929.74	7,50,76,70,875.12
2	भाविपप्रा निधि	1A	18,15,79,93,293.14	18,16,33,60,726.92
3	आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
4	निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-
5	प्रतिभूत ऋण और उधारी	4	-	-
6	अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	-	-
7	आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
8	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	4,38,69,55,981.27	4,51,25,93,821.89
	योग		**36,70,27,05,204.15**	**30,18,36,25,423.93**
	आस्तियां			
1	अचल आस्तियां	8	11,26,02,23,049.76	9,97,35,68,648.24
2	निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	-	-
3	अन्य निवेश	10	-	-
4	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	25,44,24,82,154.39	20,21,00,56,775.69
5	विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
	योग		**36,70,27,05,204.15**	**30,18,36,25,423.93**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियाँ	26		

नोटः- तुलन पत्र की सभी अनुसूचियां खाते का अंश होंगी।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	उपमहानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक : 28 जून 2024
स्थानः नई दिल्ली

फॉर्म - ख

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	आय			
1	सेवाओं से आय	12	8,27,17,86,091.41	7,20,37,82,389.04
2	अनुदान/सब्सिडी	13	6,54,21,00,000.00	10,44,65,58,733.00
3	शुल्क/अभिदान	14	33,94,55,782.00	32,85,23,557.00
4	निवेश से आय निधि में अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15	-	-
5	रॉयल्टी,प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
6	अर्जित ब्याज	17	1,45,40,63,934.00	77,37,31,257.00
7	अन्य आय	18	3,56,29,639.92	85,28,07,542.75
8	तैयार सामग्रियों और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
	योग (क)		**16,64,30,35,447.33**	**19,60,54,03,478.79**
	व्यय			
1	स्थापना व्यय	20	66,81,13,088.36	62,17,22,776.00
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	66,79,29,796.66	54,98,15,096.66
3	परिचालन व्यय	22	9,09,84,24,663.66	12,46,67,09,811.29
4	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	23	-	-
5	ब्याज	24	-	96,31,588.46
6	मूल्यह्रास (साल के अंत में नेट योग - अनुसूची-8 के तदनुरूप)		1,46,22,44,074.77	1,08,28,06,537.61
	योग (ख)		**11,89,67,11,623.45**	**14,73,06,85,810.02**
	व्यय पर आय के अतिरिक्त शेष राशि (ग) = (क-ख)		**4,74,63,23,823.88**	**4,87,47,17,668.77**
	पूर्व अवधि व्यय (घ)		(34,28,75,749.53)	37,07,36,306.51
	पूर्व अवधि आय (ङ)		6,99,59,845.14	(5,15,05,849.10)
	पूर्व अवधि के अन्य समायोजन (च)		-	-

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	भाविपप्रा निधि को हस्तांतरण (छ)		**10,10,09,35,447.33**	**9,15,88,44,745.79**
	विशेष आरक्षित में हस्तांतरण(प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)		-	-
	सामान्य आरक्षित से/ को हस्तांतरण		-	-
	अधिशेष के तौर पर शेष/ (घाटा) समग्र निधि को अग्रेणीत (ज)		**(4,94,17,76,028.78)**	**(4,70,63,69,232.63)**
	ज = (ग - घ + ङ+ च - छ)			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां	26		

नोटः- *आय और व्यय खाते की सभी अनुसूचियां खाते का अंश होंगी।*

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	**उपमहानिदेशक**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

दिनांक : 28 जून 2024
स्थानः नई दिल्ली

फॉर्म - ग

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	प्राप्तियाँ		
1	प्रारंभिक शेष		
	क. नकदी शेष	42,36,914.00	24,32,994.00
	ख. बैंक शेष		
	i. चालू खातों में	(9,03,71,966.91)	38,47,63,552.93
	ii. जमा खातों में	15,52,45,61,982.84	10,17,36,32,691.28
	iii. बचत खाते	-	-
	iv. अन्य समायोजन	-	-
2	प्राप्त अनुदान / सब्सिडी		
	क. भारत सरकार से		
	i. अनुदान सहायता : सामान्य	5,86,08,00,000.00	9,87,07,00,000.00
	ii. अनुदान सहायता : वेतन	68,13,00,000.00	57,93,00,000.00
	iii. अनुदान सहायता : पूंजी	1,45,79,00,000.00	1,75,00,00,000.00
	ख. राज्य सरकार से	-	-
	ग. अन्य सूत्रों से (विवरण) (पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाए)	-	-
3	सेवाओं से आय	10,01,87,44,498.84	7,67,54,29,031.61
4	निवेश से आय		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि	-	-
	ख. स्व निधि (अन्य निवेश)	20,34,96,90,163.18	27,28,14,13,963.93
5	प्राप्त ब्याज		
	क. बैंक जमा राशियों पर	66,88,01,754.00	20,43,58,465.00
	ख. ऋण,अग्रिम आदि	15,28,205.00	1,88,348.00
	ग. अन्य	48,71,048.00	4,53,869.00
6	अन्य आय (निविदा शुल्क, आरटीआई शुल्क आदि)	7,000.00	10,650.00

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
7	उधार ली गई राशियाँ	-	-
8	अन्य प्राप्तियाँ (ब्योरा दें)		
	क. एनपीएस	-	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	-	-
	ग. प्रतिभूति /जमा बयाना राशि/ नकदीकृत बैंक गारंटी	4,15,16,029.00	5,64,10,324.00
	घ. अग्रिमों की वापसी		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	-
	iii. मोटर साईकिल/ स्कूटर अग्रिम	-	-
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	-	-
	v. अन्य अग्रिम	4,95,418.20	11,25,994.00
	vi. एलटीसी	3,66,976.00	11,59,555.00
	vii. सामान्य कार्यालय व्यय	5,19,552.57	3,14,779.00
	ङ. आयकर	10,82,45,542.00	4,31,76,991.00
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध प्राप्तियाँ	12,473.37	22,76,857.54
	ज. जीएसटी/टीडीएस	39,25,87,508.51	32,98,72,451.57
	झ. राज्य प्राधिकरणों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	8,96,01,252.83	14,86,47,623.28
	ञ. ठेकेदारों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	10,15,53,359.00	-
	ट. अन्य प्राप्तियाँ	3,86,80,042.92	10,61,752.00
	ठ. अर्थदंड एवं परिनिर्धारित नुकसानी		20,021.00
	ड. स्क्रैप की बिक्री	7,16,900.19	62,722.00
	ढ. क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निधि	2,32,67,00,931.36	1,50,69,54,670.00
	ण. वेंडरों की रोकी गयी राशि	-	-
	त. कर्जदारों से प्राप्त अग्रिम	-	-
	योग	**57,58,30,65,584.90**	**60,01,37,67,306.14**
	भुगतान		
1	स्थापना व्यय	47,83,21,088.96	48,07,74,665.60
2	अन्य प्राशासनिक व्यय	73,06,45,160.95	65,25,51,923.55

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
3	परिचालन व्यय	7,86,38,34,685.60	11,61,71,06,284.55
4	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से भुगतान	-	-
5	किए गए निवेश और जमा राशि		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि से	-	-
	ख. स्व-निधि से (निवेश - अन्य)	20,11,94,71,767.18	26,96,02,18,201.93
6	अचल आस्तियों और पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों पर व्यय		
	क. अचल आस्तियों पर खरीद	2,82,84,11,230.48	38,61,30,795.98
	ख. पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों पर व्यय	39,99,63,849.00	1,03,74,96,565.38
7	अधिशेष धन / ऋण की वापसी		
	क. भारत सरकार को	1,05,09,103.00	8,21,88,443.29
	ख. राज्य सरकार को	-	-
	ग. अन्य धन प्रदाताओं को	-	-
8	वित्त प्रभार (ब्याज)	-	96,31,588.46
9	अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
	क. एनपीएस	3,28,48,598.00	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	11,48,88,599.00	6,08,05,893.00
	ग. जमा बयाना राशि (ईएमडी)	3,69,77,000.00	-
	घ. अग्रिम		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	-
	iii. मोटर साईकिल/ स्कूटर अग्रिम	-	-
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	-	-
	v. अन्य अग्रिम	72,84,986.00	46,32,308.00
	vi. सामान्य कार्यालय व्यय	31,93,063.00	13,30,887.00
	vii. एलटीसी	29,00,780.00	68,75,242.00
	viii. राज्य प्राधिकरण	96,70,05,748.00	1,37,58,09,999.00
	ङ. आयकर	-	-
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध भुगतान	-	-
	ज. जीएसटी/टीडीएस	42,63,76,901.81	34,60,33,634.47

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	झ. ठेकेदारों को अग्रिम	71,63,09,785.64	3,37,00,800.00
	ञ. केएसआईआईडीसी को अग्रिम किराया	-	-
	ट. विद्युत विभाग के पास जमा	-	-
	ठ. सीआईएसएफ के पास जमा	-	-
	ड. यूपीसीआईडीसीओ के पास जमा (किराया)	-	-
	ढ. सीपीडब्लूडी के पास जमा (हैदराबाद)	-	-
	ण. जमा बयाना राशि की वापसी	-	-
	त. निविदा शुल्क वापसी	-	-
	थ. पूर्वभुगतान और अन्य	55,57,091.76	53,41,925.00
	द. देनदारों को वापसी	-	-
	ध. एजेंसियों के पास जमा - एफडी	-	-
	न. एजेंसियों के पास जमा - सीआईएसएफ	-	-
	प. एजेंसियों के पास जमा - टेलीफोन	-	-
	फ. एजेंसियों के पास जमा - अन्य	-	-
	ब. वेंडरों की रोकी गयी राशि	62,75,042.00	98,76,261.00
	भ. क्षेत्रीय कार्यालयों को अंतरित निधियां	2,32,67,00,931.36	1,50,48,34,958.00
10	अंत शेष		
	क. नकदी शेष	36,91,803.00	42,36,914.00
	ख. बैंक शेष		
	i. चालू खातों में	20,69,98,593.70	(9,03,71,966.91)
	ii. जमा खातों में	20,29,48,99,776.46	15,52,45,61,982.84
	iii. बचत खातों में	-	-
	योग	**57,58,30,65,584.90**	**60,01,37,67,306.14**

नोटः शीर्ष 4ख के तहत दिखाई गई प्राप्तियों और शीर्ष 5ख के तहत दिखाई गई भुगतान राशि वास्तव में चालू खाते में न्यूनतम सीमा से अधिक निधियों का स्वतः स्वीप है। स्वीप इन/आउट का शुद्ध प्रभाव भुगतान के बिंदु 10ख (ii) पर जमा खाते में बैंक में जमा राशि के रूप में अलग से दिखाया गया है।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

ह0/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक : 28 जून 2024
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची 1 - समग्र/पूंजीगत निधि

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	7,50,76,70,875.12	10,59,19,84,576.55
2	जोड़ें : समग्र /पूंजीगत निधि हेतु अंशदान	1,45,79,00,000.00	1,74,99,99,132.88
3	जोड़ें/(घटायें) : आय और व्यय खाते के अंतरित शुद्ध आय / (व्यय) का संतुलन	(4,94,17,76,028.78)	(4,70,63,69,232.63)
4	जोड़ें/(घटायें) : पूर्व वर्ष की देयताएं समग्र (कॉर्पस) को हस्तांतरित	10,13,39,61,083.40	(12,79,43,601.68)
	वर्ष के अंत में शेष राशि	**14,15,77,55,929.74**	**7,50,76,70,875.12**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 1 क - भाविपप्रा निधि

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	18,16,33,60,726.92	9,00,45,15,114.01
2	जोड़ें/(घटायें): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित भाविपप्रा द्वारा सृजित शुद्ध अधिशेष अनुदान और स्वामित्व आय	10,10,09,35,447.33	9,15,88,44,745.79
3	जोड़ें /(घटायें): भाविपप्रा निधि से/में समायोजन	(10,10,63,02,881.11)	867.12
	वर्ष के अंत में शेष राशि	**18,15,79,93,293.14**	**18,16,33,60,726.92**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1	**आरक्षित पूंजी**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
2	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
3	**विशेष आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
4	**सामान्य आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	योग				

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 3 – निर्धारित/अक्षय निधिया

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन – पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	निधीवर विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**निधियों का अधिशेष**						
2	**निधियों में आवर्धन**						
	क. दान/अनुदान						
	ख. निधि के खातों में किए गए निवेश से आय						
	ग. लाइसेंस आय						
	घ. अधिप्रमाणन सेवाओं से आय						
	ङ. नामांकन सेवाओं से आय						
	च. आधार पुनर्मुद्रण से आय						
	छ. पीवीसी कार्ड सेवाओं से आय						
	ज. एसएसयूपी सेवाओं से आय						
	झ. जुमार्ना, परिनिर्धारित नुकसानी एवं दंडात्मक कार्रवाई						
	ञ. स्क्रैप की बिक्री						
	ट. अन्य आय (ब्याज,किराया, लाइसेंस शुल्क के अलावा अन्य शुल्क आदि)						
	ठ. वित्त वर्ष 2018-19 के सहायता अनुदान पर ब्याज वर्तमान देनदारियों को हस्तांतरित किया गया						
	ड. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध भाविपप्रा आय						
	योग (2)						

मेरा आधार, मेरी पहचान

क्र.सं.	विवरण	निधीवर विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
3	**निधियों के उद्देश्यों के समक्ष उपयोग/व्यय**						
	क. पूंजीगत व्यय						
	i. अचल परिसंपत्ति						
	ii. अन्य						
	योग						
	ख. राजस्व व्यय						
	i. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि						
	ii. किराया						
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय						
	ग. केंद्र सरकार के पास जमा						
	योग						
	योग (3)						
	वर्ष के अंत में निवल शेष (1 + 2-3)						

नोट :-

1) अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों का प्रकटीकरण किया जाएगा।

2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्ति योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ न मिलाया जाए।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

आधार
मेरा आधार, मेरी पहचान

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधारियां

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	केंद्र सरकार		
2	राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)		
3	वित्तीय संस्थाएं		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	बैंक:		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित और देय ब्याज		
5	अन्य संस्थाएं और एजेंसियां		
6	डिबेंचर और बॉन्ड		
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

नोट: *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधारियां

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	केंद्र सरकार		
2	राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)		
3	वित्तीय संस्थाएं		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	बैंक:		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित और देय ब्याज		
5	अन्य संस्थाएं और एजेंसियां		
6	डिबेंचर और बॉन्ड		
7	सावधि जमा		
8	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

नोट: *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	पूंजीगत उपकरणो और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियाँ		
2	अन्य		
	योग		

नोटः *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	वर्तमान देयताएं				
1	**स्वीकृतियाँ**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	**विविध लेनदार**				
	क. माल एवं सेवाएं हेतु	-	1,04,57,23,038.01	-	1,51,87,22,202.29
	ख. अन्य	-	30,76,39,693.05	-	27,85,29,442.30
3	**प्राप्त अग्रिम**	**-**	34,78,34,015.56	-	34,56,86,358.39
4	**उपार्जित अदेय ब्याज**				
	क. जमानती ऋण /उधार	-	-	-	-
	ख. गैर- जमानती ऋण/ उधार	-	-	-	-
5	**सांविधिक देयताएं**				
	क. अतिदेय	-	-	-	-
	ख. अन्य	-	5,41,60,949.46	-	5,70,23,675.80
6	**अन्य वर्तमान देयता**				
क.	**अनुदान - पूंजी निर्माण**				
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,45,79,00,000.00	-	1,75,00,00,000.00	
	घटायें : वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान	1,45,79,00,000.00	-	1,74,99,99,132.88	
		-	-	**867.12**	
	घटायें: कॉर्पस में हस्तांतरित	**-**	**-**	**-**	
		-	**-**	**867.12**	
	घटायें : भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित	**-**	**-**	**867.12**	**-**
ख.	**अनुदान - वेतन**	**-**	**-**		
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	68,13,00,000.00	-	57,93,00,000.00	
	घटायें: आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	68,13,00,000.00	-	57,59,20,219.00	
		-	-	**33,79,781.00**	
	घटायें: भावीपप्रा निधि में हस्तांतरित	**-**	**-**	**-**	**-**
		-	**-**	**33,79,781.00**	

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	घटायें: सीएफआई को हस्तांतरित	-	-	**33,79,781.00**	-
		-	-	-	-
ग.	**अनुदान - सामान्य**	-	-	-	-
	प्रारंभिक शेष	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	5,86,08,00,000.00	-	9,87,07,00,000.00	-
	घटायें: आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	5,86,08,00,000.00	-	9,87,06,38,514.00	-
		-	-	61,486.00	-
	घटायें : भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित अव्ययित अनुदान	-	-	-	-
	घटायें: भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित भाविपप्रा आय	-	-	-	-
		-	-	**61,486.00**	-
	घटायें: सीएफआई को हस्तांतरित	-	-	**61,486.00**	-
घ.	**प्रतिधारित आय : केंद्र सरकार**	-	-	-	-
	प्रारंभिक शेष	-	-	**2,44,88,037.80**	-
	क. निधि के निवेश से प्राप्त आय	-	-	-	-
	ख. लाइसेंस से आय एवं एनआरडी	-	-	-	-
	ग. जुमार्ना, परिनिर्धारित नुकसानी एवं दंडात्मक कार्रवाई	-	-	-	-
	घ. स्क्रैप की बिक्री	-	-	-	-
	ङ. ब्याज से आय	-	-	-	-
	च. अन्य आय	-	-	-	-
		-	-	**2,44,88,037.80**	-
	घटायें : केंद्र सरकार को वापसी	-	-	2,44,88,037.80	-
	शेष निधि	-	-	-	-
	घटायें : कॉर्पस में हस्तांतरित	-	-	-	-
	जोड़ें : कॉर्पस से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित राशि	-	-	-	-
	जोड़ें : भाविपप्रा निधि से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2018-19 के अनुदानों पर प्राप्त ब्याज	-	-	-	-
		-	-		
	योग (क)		**1,75,53,57,696.08,**		**2,19,99,61,678.78**

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	प्रावधान				
1	कराधान के लिए		-		-
2	उपदान		-		-
3	अधिवर्षिता /पेंशन अंशदान		-		-
4	संचित छुट्टी नकदीकरण		-		-
5	व्यापार वारंटियाँ /दावे		-		-
6	देय छुट्टी वेतन		-		-
7	अन्य (वेतन, सामान्य कार्यालय एवं अन्य प्रासंगिक देय)		2,63,15,98,285.19		2,31,26,32,143.11
	योग (ख)		**2,63,15,98,285.19**		**2,31,26,32,143.11**
	योग (क+ख)		**4,38,69,55,981.27**		**4,51,25,93,821.89**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 8 – अचल आस्तियां

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन – पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन (01/04/2023)	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	01/04/2023 के अनुसार	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	31/03/2024 के अनुसार	31/03/2024 के अनुसार	गत वर्ष 31/03/2023 की स्थिति के अनुसार
(1) and (2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
अचल आस्तियां												
1. भूमि												
क. पूर्ण स्वामित्व में	72,31,25,697.46	1,20,000.00	-	(13,81,52,440.46)	58,50,93,257.00	-	-	-	-	-	58,50,93,257.00	72,31,25,697.46
ख. पट्टे पर	9,87,64,050.00	-	-	13,68,48,040.46	23,56,12,090.46	3,87,47,977.97	46,74,438.44	-	35,10,672.02	4,69,33,088.43	18,86,79,002.03	6,00,16,072.03
योग (1)	**82,18,89,747.46**	**1,20,000.00**	**-**	**(13,04,400.00)**	**82,07,05,347.46**	**3,87,47,977.97**	**46,74,438.44**	**-**	**35,10,672.02**	**4,69,33,088.43**	**77,37,72,259.03**	**78,31,41,769.49**
2. कार्यालय भवन और डेटा सेंटर :												
क. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	1,96,17,52,817.00	-	-	(99,22,51,632.00)	96,95,01,185.00	17,55,96,586.14	1,68,55,014.71	-	(7,52,56,331.97)	11,71,95,268.88	85,23,05,916.12	1,78,61,56,230.86
ख. पट्टे पर दी गयी भूमि पर	1,15,00,00,000.00	1,09,81,37,291.63	-	99,22,51,632.00	3,24,03,88,923.63	14,18,45,410.95	4,03,54,291.70	-	7,52,56,331.97	25,74,56,034.62	2,98,29,32,889.01	1,00,81,54,589.05
ग. स्वामित्व अधीन फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. संस्था से असंबंधित भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (2)	**3,11,17,52,817.00**	**1,09,81,37,291.63**	**-**	**-**	**4,20,98,90,108.63**	**31,74,41,997.09**	**5,72,09,306.41**	**-**	**-**	**37,46,51,303.49**	**3,83,52,38,805.14**	**2,79,43,10,819.91**
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण												
क. मशीनरी और उपकरण	1,89,38,33,918.22	-	-	-	1,89,38,33,918.22	94,00,70,569.78	11,99,42,814.82	-	-	1,06,00,13,384.60	83,38,20,533.62	95,37,63,348.44
ख. प्रोद्योगिकी अवसंरचना (सर्वर एवं डीपीयू)	18,25,47,61,244.14	52,91,01,469.90	-	(10,92,527.14)	18,78,27,70,186.90	14,85,98,70,427.69	63,18,79,049.95	-	(1,40,36,296.70)	15,47,77,13,180.95	3,30,50,57,005.95	3,39,48,90,816.45
ग. यूबीसीसी अवसंरचना					-					-	-	-
घ. सूचना प्रोद्योगिकी (सॉफ्टवेयर)	1,29,67,73,753.10	1,38,44,59,993.45	-	4,55,01,949.91	2,72,67,35,696.46	1,12,45,57,218.93	41,32,36,933.39	15,338.81	2,90,88,195.43	1,56,68,67,008.94	1,15,98,68,687.52	17,22,16,534.17
ड. यूसीएफएफआईएल	1,80,67,807.40	-	-	-	1,80,67,807.40	7,37,038.36	56,04,562.56	-	-	63,41,600.93	1,17,26,206.47	1,73,30,769.04
योग (3)	**21,46,34,36,722.86**	**1,91,35,61,463.35**	**-**	**4,44,09,422.77**	**23,42,14,07,608.98**	**16,92,52,35,254.76**	**1,17,06,63,360.73**	**15,338.81**	**1,50,51,898.73**	**18,11,09,35,175.42**	**5,31,04,72,433.56**	**4,53,82,01,468.10**
4. वाहन	14,60,515.00	-	-	-	14,60,515.00	8,49,055.15	1,70,956.89	-	-	10,20,012.04	4,40,502.96	6,11,459.85

विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन (01/04/2023)	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	01/04/2023 के अनुसार	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	31/03/2024 के अनुसार	31/03/2024 के अनुसार	गत वर्ष 31/03/2023 की स्थिति के अनुसार
5. फर्नीचर एवं फिक्सचर	8,46,11,070.78	2,96,20,282.66	-	-	11,42,31,353.44	5,60,76,815.65	67,77,244.94	-	-	6,28,54,060.59	5,13,77,292.85	2,85,34,255.13
6. कार्यालयी उपकरण	9,14,10,906.20	87,46,706.43	-	-	10,01,57,612.63	7,56,18,347.83	78,25,355.14	-	-	8,34,43,702.97	1,67,13,909.67	1,57,92,558.37
7.कंप्यूटर / पेरिफेरल (डेस्कटॉप ,प्रिंटर एवं अन्य)	90,55,88,637.86	55,87,09,804.95	-	2,17,45,756.00	1,48,60,44,198.81	64,05,86,733.16	19,98,72,354.65	-	2,97,54,228.96	87,02,13,316.77	61,58,30,882.04	26,50,01,904.70
8. विद्युत संस्थापन	3,30,68,701.75	2,17,326.33	-	-	3,32,86,028.08	83,27,039.03	31,56,543.38	-	-	1,14,83,582.41	2,18,02,445.67	2,47,41,662.72
9. पुस्तकालयी किताबें					-					-	-	-
10. अन्य अचल आस्तियां					-					-	-	-
क. लैपटॉप एवं टेबलेट	4,48,58,114.60	75,52,277.63	57,62,619.59	-	4,66,47,772.64	2,47,38,690.97	90,77,667.31	39,99,618.46	23,742.01	2,98,40,481.83	1,68,07,290.80	2,01,19,424.15
ख. मोबाइल फोन	1,01,32,282.47	29,73,075.98	29,83,353.00	-	1,01,22,005.45	64,14,297.29	28,16,846.87	23,99,941.45	-	68,31,202.71	32,90,802.74	37,17,985.18
योग (10)	**5,49,90,397.07**	**1,05,25,353.61**	**87,45,972.59**	**-**	**5,67,69,778.09**	**3,11,52,988.26**	**1,18,94,514.19**	**63,99,559.91**	**23,742.01**	**3,66,71,684.54**	**2,00,98,093.54**	**2,38,37,409.33**
चालू वर्ष का योग (1+2 +3+4 +5+6+7+8+9+10)	**26,56,82,09,515.98**	**3,61,96,38,228.96**	**87,45,972.59**	**6,48,50,778.77**	**30,24,39,52,551.12**	**18,09,40,36,208.90**	**1,46,22,44,074.77**	**64,14,898.72**	**4,83,40,541.72**	**19,59,82,05,926.67**	**10,64,57,46,624.44**	**8,47,41,73,307.60**
गत वर्ष	**26,21,84,15,456.06**	**38,46,21,817.01**	**3,58,09,012.09**	**9,81,255.00**	**26,56,82,09,515.98**	**17,03,12,36,132.12**	**1,08,28,06,537.61**	**2,37,54,854.09**	**37,48,393.26**	**18,09,40,36,208.90**	**8,47,41,73,307.60**	**9,18,71,79,323.95**
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	1,49,93,95,340.64	43,70,21,408.66	1,28,13,31,778.07	(4,06,08,545.91)	61,44,76,425.32	-	-	-	-	-	61,44,76,425.32	1,49,93,95,340.64
समग्र योग	**28,06,76,04,856.62**	**4,05,66,59,637.62**	**1,29,00,77,750.66**	**2,42,42,232.86**	**30,85,84,28,976.44**	**18,09,40,36,208.90**	**1,46,22,44,074.77**	**64,14,898.72**	**4,83,40,541.72**	**19,59,82,05,926.67**	**11,26,02,23,049.76**	**9,97,35,68,648.24**

उपर्युक्त में शामिल किराया,खरीद आधार पर आस्तियों की लागत के बारे में टिप्पणी दी जानी है।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

आधार
मेरा आधार, मेरी पहचान

अनुसूची 9 - निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर		
4	डिबेंचर और बॉन्ड		
5	अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 10 - अन्य - निवेश

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर		
4	डिबैंचर और बॉन्ड		
5	अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
	क. ऑटो स्वीप के रूप में बैंको में सावधि जमा		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 11 - वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	क. वर्तमान आस्तियां		
1	**वस्तु सूची**		
	क. स्टोर और स्पेयर्स	-	-
	ख. फुटकर उपकरण	-	-
	ग. व्यापारिक स्टॉक		-
	i. तैयार सामग्री	-	-
	ii. प्रगति अधीन - कार्य	-	-
	iii. कच्चा माल	-	-
2	**विविध देनदार**		
	क. छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	13,75,07,734.97	8,93,73,042.65
	ख. अन्य	85,44,16,499.53	1,00,72,00,153.20
3	**हस्तगत रोकड़ (चेक /ड्राफ्ट एवं इम्प्रेस्ट सहित)**	36,91,803.00	42,36,914.00
4	**बैंकों में शेष राशि**		
	क. अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातो में	20,69,98,593.70	(9,03,71,966.91)
	ii. मियादी जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)	20,29,48,99,776.46	15,52,45,61,982.84
	iii. बचत बैंक जमा खातो में	-	-
	ख. गैर - अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातों में	-	-
	ii. मियादी जमा खातों में	-	-
	iii. बचत बैंक जमा खातों में	-	-
5	**डाकघर बचत खाते**	**-**	**-**
6	**अन्य**	**-**	**-**
	योग (क)	**21,49,75,14,407.66**	**16,53,50,00,125.78**
	ख. ऋण,अग्रिम,एवं अन्य आस्तियां		
1	**ऋण**		
	क. स्टाफ		

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	i. एलटीसी अग्रिम	1,95,022.00	13,60,091.00
	ii. सामान्य कार्यालय व्यय	15,73,720.34	5,70,103.34
	ख. संस्था के समान कार्यक्रमों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य संस्थाएं	-	-
	ग. अन्य (टीए एवं अन्य अग्रिम)	33,70,407.80	11,65,955.00
2	**नकदी या वस्तु के रूप में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ**		
	क. पूंजी खाते में	9,97,86,338.37	30,23,62,325.03
	ख. पूर्व -भुगतान	2,78,58,694.00	55,67,967.00
	ग. प्रतिभूति जमा	9,57,07,349.00	9,59,10,375.00
	घ. अन्य		
	i. प्राप्य टीडीएस	40,08,54,890.71	34,17,79,890.19
	ii. बीओसी , राज्य सरकार (आईसीटी सहायता), डीओपी आदि	69,55,31,421.46	1,13,87,05,277.87
	iii. ठेकेदार	1,33,97,027.00	1,19,51,821.00
	iv. जी एस टी इनपुट टैक्स क्रेडिट	1,88,62,42,697.72	1,54,52,93,375.15
3	**उपार्जित आय**		
	क. निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर	-	-
	ख. अन्य निवेश पर	-	-
	ग. ऋण और अग्रिम पर	-	-
	घ. अन्य (अप्राप्य देय आय रुपए ..... सहित है)		
	i. अनुसूचित बैंकों में जमा पर	72,04,05,176.33	23,03,89,469.33
	ii. अन्य	45,002.00	
4	**प्राप्त दावे**	**-**	**-**
	योग (ख)	**3,94,49,67,746.73**	**3,67,50,56,649.91**
	योग (क +ख)	**25,44,24,82,154.39**	**20,21,00,56,775.69**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 12 - सेवाओं से आय

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रमाणीकरण सेवाएँ	6,12,71,76,956.95	5,44,97,44,104.20
2	नामांकन सेवाएं	61,59,01,963.20	30,96,26,045.35
3	अन्य		
	क) आधार पुनर्मुद्रण	-	-
	ख) ऑर्डर आधार कार्ड (ओएसी) सेवा	64,80,19,058.60	49,40,46,473.99
	ग) स्व-सेवा अद्यतन पोर्टल (एस एस यू पी)	88,06,88,112.66	95,03,65,765.50
	योग	**8,27,17,86,091.41**	**7,20,37,82,389.04**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	केंद्र सरकार		
	क. अनुदान - वेतन	68,13,00,000.00	57,59,20,219.00
	ख. अनुदान - सामान्य	5,86,08,00,000.00	9,87,06,38,514.00
2	राज्य सरकारें	-	-
3	सरकारी एजेंसियां	-	-
4	संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	क. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध अव्ययित अनुदान	-	-
	ख. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध भाविपप्रा आय	-	-
	योग	**6,54,21,00,000.00**	**10,44,65,58,733.00**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रवेश शुल्क	-	-
2	वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3	सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4	व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं	-	-
5	लाइसेंस शुल्क	33,94,48,782.00	32,85,12,907.00
6	अन्य (आरटीआई शुल्क, निविदा शुल्क, आरएफपी शुल्क आदि)	7,000.00	10,650.00
	योग	**33,94,55,782.00**	**32,85,23,557.00**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(निधियों को अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित निधि से निवेश	निर्धारित निधि से निवेश	अन्य निवेश	अन्य निवेश
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**ब्याज**				
	क. सरकार प्रतिभूतियों पर				
	ख. अन्य बॉन्ड /डिबेंचर				
	ग. अन्य				
2	**लाभांश**				
	क. शेयरों पर				
	ख. म्यूचुअल फंड पर				
	ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
	योग				
	निर्धारित /अक्षय निधि में हस्तांतरित				

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	रॉयल्टी से आय		
2	प्रकाशनों से आय		
3	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**सावधि जमा राशियों पर**		
	क. अनुसूचित बैंको से	-	
	i. अनुदान सहायता प्राप्तियों पर	-	-
	ii. अन्य प्राप्तियों पर	1,44,91,92,886.00	77,32,77,388.00
	ख. गैर - अनुसूचित बैंको से	-	-
	ग. संस्थानो से	-	-
	घ. अन्य (ईआईएल के साथ एस्क्रो खाता)	-	-
2	**बचत खातों पर**		
	क. अनुसूचित बैंको से	-	-
	ख. गैर - अनुसूचित बैंको से	-	-
	ग. डाकघर बचत खाते	-	-
	घ. अन्य	-	-
3	**ऋणों पर**		
	क. कर्मचारी/स्टाफ	-	-
	ख. अन्य	-	-
4	**ऋणों एवं प्राप्य राशियों पर ब्याज**		
	क. आयकर विभाग	48,71,048.00	4,53,869.00
	ख. अन्य	-	-
	योग	**1,45,40,63,934.00**	**77,37,31,257.00**

नोट - *स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।*
i. वित्तीय वर्ष 2023-24 में ब्याज पर 5,91,77,462/- रुपये टी.डी.एस. की कटौती।
ii. बंदु 1 (क) (ii) में दिखाया गया 1,44,91,92,886/-रुपये का ब्याज बैंकों के चालू खाते में ऑटोस्वीप/सावधि जमा व्यवस्था पर अर्जित ब्याज है।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 18 - अन्य आय

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	आस्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
	क. स्वामित्व अधीन परिसंपत्ति	-	-
	ख. अनुदान से अधिग्रहित परिसंपत्ति , या निःशुल्क प्राप्त	34,677.00	(4,26,197.90)
2	वसूल परिनिर्धारित नुकसानी, अर्थदण्ड	-	84,58,91,487.40
3	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4	किराया	5,92,412.00	6,09,014.54
5	विविध आय	3,50,02,550.92	67,33,238.71
	योग	**3,56,29,639.92**	**85,28,07,542.75**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 19 – तैयार सामग्रियों और प्रगति अधीन कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	अंतिम स्टॉक		
	क. तैयार सामग्री		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
2	घटायें : प्रारंभिक शेष		
	क. तैयार सामग्री		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
	निवल वृद्धि /(कमी) [1-2]		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वेतन और मजदूरी	53,43,23,418.00	49,32,23,982.00
2	समयोपरि भत्ता	-	-
3	भत्ते और बोनस	96,43,942.00	1,03,30,103.60
4	चिकित्सा उपचार	1,10,97,029.96	66,25,036.00
5	शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	46,36,603.00	35,45,710.00
6	घरेलू यात्रा व्यय	2,89,84,135.40	3,42,46,541.52
7	विदेश यात्रा व्यय	7,93,058.00	8,91,387.88
8	एनपीएस का अंशदान	1,41,79,445.00	1,13,63,752.00
9	उपदान निधि के लिए अंशदान	4,32,794.00	23,21,440.00
10	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान	6,19,56,877.00	5,34,38,178.00
11	कर्मचारियों की सेवानिवृति एवं सेवांत लाभों पर व्यय	-	-
12	अन्य निधि में अंशदान	-	-
13	कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
14	अन्य (अवकाश नकदीकरण एवं मानदेय)	20,65,786.00	57,36,645.00
	योग	**66,81,13,088.36**	**62,17,22,776.00**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	खरीद	-	-
2	श्रम और प्रसंस्करण व्यय	-	-
3	आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन	-	-
4	विद्युत एवं ऊर्जा	3,32,92,153.54	4,05,59,074.58
5	जल प्रभार	26,75,605.21	26,73,956.02
6	बीमा	-	14,717.00
7	मरम्मत और रखरखाव	14,81,031.15	90,99,631.34
8	उत्पाद शुल्क	-	-
9	किराया, दरें और कर	16,15,95,786.96	14,11,50,954.33
10	वाहन चालन एवं रखरखाव	1,75,666.96	6,30,581.94
11	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	88,46,079.13	71,79,396.54
12	मुद्रण एवं स्टेशनरी	66,63,384.39	70,88,884.77
13	यात्रा एवं वाहन व्यय	3,90,23,633.75	3,82,35,073.78
14	संगोष्ठी / वर्कशॉप पर व्यय	26,57,439.97	36,11,583.04
15	अभिदान व्यय	20,20,486.70	14,99,612.60
16	शुल्कों पर व्यय	-	-
17	लेखापरीक्षकों पर व्यय	13,75,250.00	7,66,408.00
18	आतिथ्य व्यय	6,29,767.82	10,33,250.92
19	व्यावसायिक प्रभार	7,96,83,902.16	1,85,11,253.28
20	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1,75,998.64	1,76,674.62

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
21	भर्ती व्यय	-	-
22	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
23	अवसूलनीय शेष बट्टे खाते में डालना	-	-
24	पैकिंग प्रभार	-	-
25	मालभाड़ा एवं अग्रेषण प्रभार	-	-
26	वितरण व्यय	-	-
27	विज्ञापन एवं प्रचार	12,82,449.42	2,08,290.62
28	कानूनी प्रभार	2,97,59,590.02	1,25,30,800.40
29	संविदा स्टाफ को भुगतान (एमटीओ, चपरासी आदि)	13,30,01,527.60	10,98,52,370.98
30	अन्य		
	i. बैठक शुल्क	1,60,000.00	-
	ii. वार्षिक रखरखाव शुल्क	36,16,996.47	14,66,306.28
	iii. कार्यालय व्यय	11,72,53,858.78	11,66,95,522.68
	iv. दान	-	-
	v. सीआईएसएफ को भुगतान (भाविपप्रा - मुख्यालय)	4,25,59,187.99	3,68,30,752.94
	योग	**66,79,29,796.66**	**54,98,15,096.66**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 22 - परिचालन खर्च

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**नामांकन, अधिप्रमाणन और अद्यतन**		
	क. रजिस्ट्रारों को सहायता	2,01,39,90,791.72	6,15,23,32,908.57
	ख. गुणवत्ता नियंत्रण (एबीआईएस पूर्व)	-	1,11,52,634.00
	ग. विज्ञापन और प्रचार	3,62,62,102.00	2,98,70,160.39
	घ. बीपीओ अद्यतन लागत	-	6,32,53,659.22
2	**प्रोद्योगिकी संचालन**		
	क. कार्यालय व्यय/बीएसपी और टीएसपी भुगतान		
	i. बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता को भुगतान (बीएसपी)	53,53,33,525.48	34,04,59,965.88
	ii. दूरसंचार सेवा प्रदाता को भुगतान (टीएसपी)	1,90,22,581.47	2,24,01,676.08
	iii. कार्यालय व्यय (डेटा सेंटर)	35,91,38,365.78	38,15,30,939.31
	ख. किराया, दरें और कर	-	-
	ग. व्यावसायिक सेवाएं / एमएसपी / एमएसएपी /एमएसआईपी लागत		
	i. वार्षिक रखरखाव लागत (एएमसी)	37,30,01,893.84	1,15,54,03,842.72
	ii. जनशक्ति सेवाएं	80,12,68,931.33	1,13,01,05,711.15
	घ. सीआईएसएफ को भुगतान	-	-
	ङ. केएम पोर्टल विकास प्रभार	-	-
3	**संभारिकी एवं अन्य संचार**		
	क. मुद्रण लागत	90,67,53,086.92	47,49,02,628.47
	ख. डिस्पैच लागत	1,41,89,45,635.42	92,43,51,127.30
	ग. टीएफएन /संपर्क केंद्र लागत	61,01,91,551.58	64,22,47,433.59
	घ. शिकायत निवारण प्रचालक	79,01,333.82	79,24,324.58
	ङ. अन्य प्रभार	-	-
4	**आधार समर्थित अनुप्रयोग**		
	क. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईसीटी सहायता	4,97,50,000.00	50,59,494.00
	ख. माइक्रो एटीएम सहायता	-	-

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	ग. आधार आधारित अनुप्रयोगों का विकास	-	-
	घ. एईए / राज्य संबंधित व्यक्ति	-	-
	ङ. अन्य प्रभार	-	-
5	**अन्य समर्थन संचालन**		
	क. डी.एम.एस	-	-
	ख. डी.एम.एस - क्यूसी	1,05,88,09,813.80	41,29,40,035.68
	ग. जीआरसीपी	9,96,20,427.92	7,65,32,616.24
	घ. प्रशिक्षण एवं परीक्षण /प्रमाणन	3,32,61,460.88	1,08,87,713.00
6	**यूबीसीसी संचालन**		
	क. ओई	-	-
	ख. ओएई	-	-
	ग. सहायता अनुदान	-	-
7	**भौतिक सुरक्षा**		
	क. वेतन	30,58,91,801.00	33,73,89,015.22
	ख. कार्यालय व्यय	1,24,43,185.33	68,67,520.18
	ग. किराया , दरें और कर	41,29,920.00	37,97,860.00
	घ. अन्य प्रभार	36,23,438.00	56,02,797.16
8	**सूचना प्रौद्योगिकी**		
	क. कार्यालय व्यय	33,14,512.00	62,68,344.95
	ख. किराया, दरें और कर	-	-
	ग. व्यावसायिक सेवाएँ (पीएमयू, टीएसयू , अन्य ठेके)	44,54,90,302.53	26,54,27,403.60
	घ. अन्य व्यय	2,80,002.84	-
9	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (भाविपप्रा)**		
	क. संभारिकी और अन्य संचार	-	-
	ख. अन्य प्रभार	-	-
	योग	**9,09,84,24,663.66**	**12,46,67,09,811.29**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 23 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	संस्थानों /संगठनों को दिया गया अनुदान		
2	संस्थानों /संगठनों को दी गयी सब्सिडी		
	योग		

नोट -: *संस्थाओं के नाम, अनुदान/सब्सिडी की राशि सहित उनकी गतिविधियों को भी बताया जाए।*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 24 - ब्याज

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	ब्याज		
	क. नियत ऋणों पर	-	-
	ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
	ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	96,31,588.46
2	बैंक प्रभार	-	-
	योग	**-**	**96,31,588.46**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 25 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंश का निरूपण

1. लेखांकन का आधार

1.1 वित्तीय विवरणियों को प्रपत्र 'क', प्रपत्र 'ख' और प्रपत्र 'ग' में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण प्रपत्र) नियम, 2018 तथा इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों के अनुसार तैयार किया गया है।.

1.2 वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, और लेखांकन की उपचय पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

2. निवेश

2.1 दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत निवेश, लागत आधार पर वहन किए गए हैं। अस्थाई निवेश के अन्यत्र, अन्य गिरावट के लिए प्रावधान ऐसे निवेशों की लागत में वहन किए गए हैं।

2.2 'चालू' के रूप में वर्गीकृत निवेश, न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर वहन किए गए हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान, प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत आधार पर किए जाते हैं न कि वैश्विक आधार पर।

2.3 लागत में ब्रोकरेज, स्टाम्प हस्तांतरण जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल है।

3. अचल परिसंपत्तियां

3.1 **मूर्त परिसंपत्तियां** - मूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसानों, यदि कोई हो, से कम करके वहन किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (प्राधिकरणों से वसूल किए जाने वाले करों के अन्यत्र), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी परिसंपत्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है, शामिल हैं। मूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के बाद इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

3.2 **प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य** – ऐसी परिसंपत्तियों, जो अपने निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, के निर्माण पर हुए व्यय को लागत में से हानि (यदि कोई हो) को कम करते हुए प्रगति के अधीन पूंजीगत कार्य के तहत वहन किया जाता है। लागत में, आयात शुल्क और अप्रतिदेय कर तथा कोई अन्य प्रत्यक्ष देय लागत सहित लागत खरीद शामिल है।

3.3 **अमूर्त परिसंपत्तियां** - अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (प्राधिकरणों से वसूल किए जाने वाले करों के अन्यत्र), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी आस्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है, शामिल हैं। अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के पश्चात, इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

3.4 गैर-मौद्रिक अनुदान (कोर्पस निधि को छोडकर) से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को बताए गए मूल्य पर पूंजीगत आरक्षित में समतुल्य जमा द्वारा पूंजीकृत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1. अचल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन विधि (एसएलएम) से परिसंपत्तियों की प्रभावी उपयोगिता अवधि एवं 5% अवशेष मूल्य (लैपटॉप/टेबलेट के मामले में 10% और अचल परिसंपत्तियों के मामले में 'शून्य') नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हैः -

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर	अवधारण अवधि	अभ्युक्तियां
1	सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, सुरक्षा उपकरण, अन्य बायोमेट्रिक उपकरण, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट(डीपीयू)	15.83%	6 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
2	डेस्कटॉप, मॉनीटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्विच, अन्य आईटी उपकरण	31.67%	3 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
3	सॉफ्टवेयर	33.33%	3 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
4	मोबाइल हैंडसेट	47.50%	2 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
5	लैपटॉप, टैबलेट	30%	3 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
6	कार्यालय उपस्कर	19%	5 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
7	फर्नीचर और फिक्चर्स	9.50%	10 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
8	भवन	1.58%	60 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
9	संयंत्र और मशीनरी	6.33%	15 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
10	वाहन (कार)	11.88%	8 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार

4.2 वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

4.3 5,000 रुपए या इससे कम लागत की प्रत्येक परिसंपत्ति का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

5. विविध व्यय

5.1 आस्थगित राजस्व व्यय को उसके खर्च हुए वर्ष से पांच वर्षों की अवधि के उपरांत बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

6. सरकारी सहायता के अन्यत्र सरकारी अनुदान/सब्सिडियां एवं प्राप्तियां

6.1 मंत्रालय द्वारा जारी सरकारी अनुदानों को उनकी सीमा तक ट्रेजरी एकल खाते (टीएसए) के जरिए प्राप्त किया गया।

6.2 उपरोक्त बिंदु 6.1 को छोड़कर अन्य सभी प्राप्तियों

को ''आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित)'' की धारा 25 के अनुसार 'भाविपप्रा निधि' में जमा कर दिया गया है।.

6.3 सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा किया जा रहा है।

6.4 संस्थाओं से पूर्ववर्ती वर्षों में वापस की गई अप्रयुक्त शेष राशि को उनके समक्ष बकाया अग्रिमों से समायोजित किया गया है और इन्हें सीएफआई (भारत की समेकित निधि) को प्रेषित किया जा रहा है।

6.5 एएसए/एयूए/केयूए से लाइसेंस शुल्क की दरें और वैधता निम्नवत है:

एजेंसी की किस्म	उत्पादन-पूर्व लाइसेंस शुल्क (3 माह तक वैध)	उत्पादन लाइसेंस शुल्क (2 माह तक वैध)	
	राशि रुपयों में	प्रति वर्ष निष्पादित संव्यवहार की संख्या	राशि रुपयों में
एएसए	10 लाख	लागू नहीं	1 करोड
एयूए/केयूए	5 लाख*	5 लाख तक	5 लाख
		5 लाख से अधिक 20 लाख तक	10 लाख
		20 लाख से अधिक	20 लाख
सब एयूए/ सब केयूए	लागू नहीं	लागू नहीं**	3 लाख

* नव नियुक्त एयूए/केयूए को पहले तीन महीनों के लिए उत्पादन-पूर्व परिवेश की ऐक्सेस निःशुल्क प्रदान की गई। इसके अलावा, यदि वे उत्पादन-पूर्व में शामिल होने के तीन महीने की अवधि के भीतर उत्पादन में चले जाते हैं, तो उन्हें उत्पादन परिवेश के लिए पूर्ण लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि संस्था उत्पादन-पूर्व में निःशुल्क ऐक्सेस प्रदान करने के तीन महीने के भीतर उत्पादन श्रेणी में जाने के लिए विफल रहती है, तो उसे निःशुल्क ऐक्सेस अवधि के साथ-साथ प्रत्येक आगामी नवीनीकरण के संबंध में पहले तीन महीनों के लिए वैध 5 लाख रुपए का उत्पादन-पूर्व लाइसेंस शुल्क देना होगा।.

** i. प्रति वर्ष 50,000 से कम संव्यवहार करने वाले केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग बिना किसी लाइसेंस शुल्क भुगतान के अपने संबंधित एयूए/केयूए की लाइसेंस कुंजियों के जरिए प्रमाणीकरण सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

ii. प्रति वर्ष 1 करोड़ से अधिक संव्यवहार करने वाले सब-एयूए को पूर्ण विकसित एयूए बनने के लिए बढ़ावा दिया जाए।

लाइसेंस फीस से होने वाली आय को आनुपातिक दिनों की संख्या के आधार पर बुक किया जा रहा है अर्थात चालान जारी होने की तारीख से लेकर चालू वित्त वर्ष के अंत तक और शेष राशि को "अग्रिम में प्राप्त आय" के रूप में बुक किया जा रहा है, जिसे आनुपातिक आधार पर भावी वित्तीय वर्षों में बुक किया जाएगा।

6.6 वित्त वर्ष 2023-24 से, रजिस्ट्रारों को भुगतान भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

6.7 वित्त वर्ष 2023-24 से, परिनिर्धारित नुकसानी (एलडी)/जुमार्ने को सकल व्यय से काट लिया जाता है और इसे आय के रूप में नहीं माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन का लेखांकन, लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर से अंकित किया जाता है।

7.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामस्वरूप लाभ/हानि को, यदि विदेशी मुद्रा की देयता अचल परिसंपत्ति से संबंधित है, अचल परिसंपत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में विचारा जाता है।

8. पट्टा

8.1 पट्टा किराया को पट्टा अवधि के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति कोई दायित्व नहीं है क्योंकि भाविपप्रा के सभी कर्मचारी अन्य मंत्रालयों/विभागों और सरकारी एजेंसियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 26 - आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंश का निरूपण

1. अचल परिसंपत्तियां

क. दावे जिनको संस्था के समक्ष ऋण के रूप में नहीं समझा गया है - 485,45,77,700/- रुपए (पिछले वर्ष 485,07,06,184/- रुपए)। विवरण नीचे बिंदु (झ) में दिया गया है।

ख. निम्न के संबंध में :

i. संस्था की ओर से/बैंक द्वारा दी गई गारंटी - शून्य (पिछले वर्ष -शून्य))

ii. संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

iii. बैंक द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

ग. 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार भाविपप्रा प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के समक्ष स्रोत पर कर कटौती की चूक संबंधी विवादित मांग 4,62,350/- रुपए है (पिछले वर्ष 16,89,530/- रुपए)।

घ. निगम कर -शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

ङ.. जीवन भारती भवन में टावर 2/लेवल-2 के लिए एलआईसी द्वारा 20.57 लाख रुपए के रखरखाव शुल्क और 5.92 करोड़ रुपये के किराये की मांग की गई है। हालांकि, भाविपप्रा को मांग स्वीकार्य नहीं है। तदनुसार इस संबंध में कोई दायित्व सृजित नहीं किया गया है।.

च. आदेशों के गैर-निष्पादन, किंतु संस्था द्वारा विवादित, के लिए पार्टियों के दावों के संबंध में – शून्य (पिछले वर्ष - शून्य) ।

छ. 31 मार्च, 2024 तक, जीएसटी के संबंध में विवादित मांग 4,24,38,306/- रुपयों है (पिछले वर्ष- शून्य)।

ज. भूमि एवं विकास अधिकारी (एलएंडडीओ), दिल्ली द्वारा आधार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एएचसी) के लिए आवंटित 930 वर्गमीटर (लगभग) भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (पीपीए) के तहत कार्यवाही चल रही है और माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है।

झ. 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 485,45,77,700/- रुपए के दावों के लिए भाविपप्रा के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण:

(आंकड़ें रुपयों में)

क्र.सं.	मुकदमा दायरकर्ता (मैसर्स)	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा	अभ्युक्ति
1	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड	'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996' के तहत मध्यस्थता अधिकरण	151,64,80,518/-	क्र.सं.1 में नीचे दी गई विस्तृत टिप्पणी।
2	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड		312,44,90,000/-	क्र.सं.1 में नीचे दी गई विस्तृत टिप्पणी।
3	टेली-परफोर्मेंस ग्लोबल सर्विस प्रा. लि. (पूर्व में सेरको बीपीओ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रा. लि.),		5,14,00,000/-	मैसर्स सेरको द्वारा मूल दावा 3.28 करोड़ रुपए और संशोधित दावा 5.14 करोड़ रुपए
4	रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरसीओएम)	दिल्ली उच्च न्यायालय	8,95,00,000/-	मैसर्स आरसीओएम द्वारा 8.95 करोड़ रुपए का दावा

क्र.सं.	मुकदमा दायरकर्ता (मैसर्स)	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा	अभ्युक्ति
5	मैसर्स आई-एनर्जाइजर आईटी सर्विसेज प्रा. लि.	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	44,22,000/-	मैसर्स आई-एनर्जाइजर आईटी सर्विसेज द्वारा 44.22 लाख रुपए का दावा
6	मुनीष मंगला	सिविल न्यायधीश, सीनियर डिवीजन अंबाला कोर्ट	23,11,840/-	सीएमए/14/2019
7	दलबीर सिंह	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	1,86,420/-	ब्याज और बैंक गारंटी सहित राशि की वापसी का दावा।
8	परसेप्ट एच प्राइवेट लिमिटेड	जिला न्यायालय, साकेत रांची	33,84,724/-	303/2017
9	मल्टीवेव इनोवेशन्स	जयपुर बेंच, राजस्थान	5,77,30,682/-	मध्यस्थता
10	कमलेश शर्मा	उपभोक्ता न्यायालय, चंडीगढ़	1,00,000/-	उपभोक्ता शिकायत
11	निशांत अरोड़ा	उपभोक्ता न्यायालय, चंडीगढ़	5,00,000/-	उपभोक्ता शिकायत
12	राजेश गोयल	स्थायी लोक अदालत, बरनाला	40,000/-	पीएलए शिकायत
13	भवानी शर्मा	स्थायी लोक अदालत, पटियाला	5,00,000/-	पीएलए शिकायत
14	मनोहर सिंह	जिला सत्र न्यायालय, चंडीगढ	35,31,516/-	किराया अपील
		योग	**485,45,77,700/-**	

नोटः

क. दो अंतरिम अंतिम पुरस्कारों के बाद, एचसीएल इंफोसिस्टम के दावे अब निम्नानुसार हैं: -

(i) 07 अगस्त 2019 से 06 मई 2020 तक विस्तार अवधि के लिए अतिरिक्त लागत और 'स्टेटमेंट ऑफ क्लेम' (एसओसी1) के लिए इस अवधि के दौरान गलत कटौती 44,39,65,967/- रुपए (14,41,30,661/- रुपए + 29,98 35,306/- रुपए,), 13 जुलाई, 2021 तक 12.85 % की दर से ब्याज सहित।

(ii) बाजार दरों का दावा 07 मई 2020 से 06 अप्रैल 2021 (एसओसी2) अवधि के लिए 96,28,15,178/- रुपए के लिए सहमति [(क) 2,11,04,393 /-रुपए के लिए जीएसटी के लिए गलत कटौती + (ख) 80,33,59,764 /-रुपए सेवाओं का बाजार दर का अप्रदत्त हिस्सा + (ग) 13,83,51,021/- रुपए की गलत कटौती] है जिसमें 13 जुलाई, 2021 तक @10.03% दर से ब्याज शामिल है।

(iii) बाजार दरों का दावा 07 अप्रैल 2021 से 06 अगस्त 2021अवधि तक के लिए केवल एएमसी (एसओसी3) हेतु 10,96,99,373/- रुपए में सहमति है।

(iv) दूसरे मध्यस्थता मामले में गलत कटौती के खिलाफ एमएसपी का दावा 12.85 % की दर से ब्याज के रूप में 95.46/- करोड़ रुपए शामिल है।

(v) *151,64,80,518/- रुपए के एससीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड के वित्तीय दावे के खिलाफ, भाविपप्रा ने 55,93,12,102/- रुपए का काउंटर दावा प्रस्तुत किया है।*

ख. *312,44,90,000/- रुपए के एससीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड के वित्तीय दावे के खिलाफ, भाविपप्रा ने 1,29,66,33,946/- रुपए का काउंटर दावा प्रस्तुत किया है।*

ग. *एचसीएल इंफोसिस्टम्स द्वारा दावा दायर करने की तारीख तक ही ब्याज की गणना की गई है।*

घ. *देयता पूर्णतः आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश पर निर्भर है।*

ङ. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव 'शून्य' है अथवा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और जिनके (अग्रिमों का निवल) के लिए प्रदान नहीं किया गया - 281.05 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 459.20 करोड़ रुपए।

3. पट्टा बाध्यताएं

3.1 संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्थाओं के तहत किराए हेतु भावी बाध्यताओं के संबंध में धनराशि - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)।

3.2 प्रौद्योगिकी केंद्र -बेंगलुरु, भाविपप्रा ने 24 जून 2011 को बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी केंद्र के निर्माण के संबंध में तीस वर्षों की एक अवधि के लिए पट्टा आधार पर 9.87 करोड़ रुपए की लागत पर पट्टा अनुबंध (लीज एग्रीमेंट) के तहत 12372.40 वर्ग मीटर की भूमि का अधिग्रहण किया था। इस संबंध में लेखांकन प्रबंध और मूल्यह्रास नीति नीचे दी गई है: -

i. पट्टे (लीज) की शर्तें – पट्टा अनुबंध को 30 साल पूरे होने के बाद एक अलग विलेखपत्र के जरिए पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाने वाली अगली अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

ii. लेखांकन प्रयोजनार्थ, लीज पर हुई भूमि को अनुसूची-8 अचल परिसंपत्ति में पृथक रूप से दर्शाया गया है।

iii. लीज समझौते के अनुसार संपत्ति की लीज अवधि अर्थात 30 साल को ध्यान में रखते हुए भूमि का परिशोधन किया गया है।

4. कराधान

आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 50क के अनुसार, भाविपप्रा को इसकी सभी प्रकार की आय पर आयकर से छूट प्राप्त है, अतः 'आयकर' के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

5.1 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम, कारोबार के सामान्य तरीके में प्राप्त की गयी राशि है, जो तुलन-पत्र में दिखाई गयी कुल राशि के समतुल्य है।

5.2 भाविपप्रा ने आधार सेवा केंद्र (एएसके) के जरिए संपूर्ण भारत में सामान्य लोगों के लिए आधार नामांकन, बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय अद्यतन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए दो एजेंसियों को नियुक्त किया है। ये एजेंसियां सामान्य जनता से शुल्क एकत्र करती हैं और उसे भाविपप्रा के बैंक खाते में जमा करती हैं।

5.3 मुख्य रूप से अग्रिम तीन श्रेणियों नामतः आधार संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को आईसीटी सहायता, डाक विभाग को आधार पत्र का प्रेषण प्रभार और मीडिया प्रचार अभियान के लिए बीओसी/आकाशवाणी/दूरदर्शन को दिया जाता है। इन अग्रिमों को तुलन-पत्र में ऋण एवं अग्रिम शीर्ष में दर्शाया जाता है तथा एजेंसियों से बिल/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही, इसे व्यय के रूप में बुक कर लिया जाता है।

6. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

- कराधान मामलों के लिए –शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)
- प्रबंधन सेवा के लिए – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)
- प्रमाणीकरण प्रयोजनार्थ – 13,75,250/- रुपए (पिछले वर्ष – 7,66,408/- रुपए)
- अन्य –शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

7. पूर्व अवधि का समायोजन

7.1 01 अप्रैल, 2023 से पूर्व अवधि के लिए प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को पूर्व की अवधि के खर्चों के रूप में बुक किया गया है।

7.2 01 अप्रैल, 2023 से पूर्व अवधि से संबंधित सभी व्यय एवं आय को क्रमशः पूर्व अवधि के व्यय और पूर्व अवधि की आय के रूप में बुक किया गया है।

7.3 पूर्व अवधि की सभी मदों को आय एवं व्यय लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

8. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहीकृत और पुनःव्यवस्थित किया गया है।

9. 1 से 26 तक की अनुसूचियां संलग्न हैं, जो 31 मार्च, 2024 के अनुसार तुलन-पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अभिन्न अंश का रूप हैं।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	**उपमहानिदेशक**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

11. अनुलग्नक

11.1 अनुलग्नक 1: आधार अधिनियम, 2016

आधार (वित्तीय एवं अन्य सहयिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2016 में दिनांक 25 मार्च 2016 को राष्ट्रपति महोदय की सहमति मिलने के उपरांत आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 बन गया और इसे सामान्य जानकारी के लिए विधायी विभाग द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-क्क्, खंड क् दिनांक 26.03.2016 (2016 का अधिनियम संख्या 18; 'आधार अधिनियम, 2016' के रूप में संदर्भित) में प्रकाशित किया गया। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 11 से 20, 22 से 23 और 48 से 59 को 12 जुलाई 2016 तथा धारा 1 से 10 और 24 से 47 को 12 सितंबर 2016 को लागू हुई।

आधार अधिनियम, 2016, में सुशासन, कार्य कौशल, पारदर्शिता एवं उन लक्षित सहयिकियों, लाभों एवं सेवाओं के परिदान के प्रावधान हैं, जिन पर व्यय भारत की समेकित निधि से और राज्य की समेकित निधि से भारत के निवासी व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट पहचान संख्या (आधार नंबर) तथा इससे संबंधित मामलों अथवा संयोजित कार्यों के लिए किया जाता है।

आधार अधिनियम, 2016 की कुछ मुख्य विषेशताएं निम्न रूप से सूचीबद्ध की गई हैं:

1. **धारा 1:** आधार का सांविधिक मूलतत्व एवं घोषणा की तिथि से अधिनियम का प्रवर्तन।
2. **धारा 3:** प्रत्येक निवासी आधार पाने का हकदार है। निवासी एक व्यक्ति है जो भारत में तत्काल पूर्ववर्ती एक वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक समय से रह रहा है।
3. **धारा 7:** केंद्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों को, भारत के समेकित कोष से सरकारी हितलाभों, सब्सिडी या सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की पहचान के संबंध में आधार को आवश्यक बनाना।
4. **धारा 8:** आधार प्रमाणीकरण और आधार धारक की सहमति।
5. **धारा 29:** सूचना साझा करने पर प्रतिबंध:
   क. पहचान संबंधी जानकारी (मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के अलावा) केवल आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार साझा की जा सकती है।
   ख. आधार का उपयोग केवल आधार की प्राप्ति या अधिप्रमाणन के समय बताए गए उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
   ग. कोर बायोमेट्रिक्स कभी भी किसी एजेंसी को नहीं दिया जा सकता है और न ही उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
   घ. आधार को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं किया जा सकता है।
6. **धारा 33, कुछ मामलों में जानकारी का प्रकटीकरण:** धारा 33(1) पहचान जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में लागू होती है, यदि न्यूनतम किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया हो।

   धारा 33(2) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत सरकार के सचिव स्तर से कम के अधिकारी के निर्देश पर पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में लागू होती है।
7. **धारा 40 और 42:** छद्मरूपण, गैर कानूनी प्रसार/सूचना की सहभागिता के लिए जुमार्ना और/या 3 साल तक की सजा सहित अन्य दंडात्मक कार्यवाही के लिए प्रावधान। व्यक्ति और कंपनी, दोनों के लिए लागू।

आधार अधिनियम, 2016 के बारे में अधिक जानकारी के लिए, भाविपप्रा वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक को देखें:

https://uidai.gov.in/images/targeted_delivery_of_financial_and_other_subsidies_benefits_and_services_13072016.pdf

तत्पश्चात, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में मुख्य डब्ल्यू.पी. (सिविल) क्रमांक 494/2012 में दिए गए दिनांक 26.09.2018 के निर्णय द्वारा आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ प्रतिबंधों और परिवर्तनों के साथ बरकरार रखा।

आधार पर दिए गए निर्णय और न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के आधार पर, गोपनीयता सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने तथा पात्र व्यक्तियों को सेवाओं और लाभों से वंचित रखने की प्रक्रिया को रोकने के लिए रक्षोपायों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिनियम, 2016 में आवश्यक परिवर्तन लाने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, सिम कार्ड प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने के लिए आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में भी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 के माध्यम से आवश्यक संशोधन किए गए। बाद में, राष्ट्रपति द्वारा 02.03.2019 को आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 की संख्या 9) प्रख्यापित किया गया और यह तत्काल प्रवृत्त हुआ। उक्त अध्यादेश को आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 24 जुलाई 2019 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अधिसूचना के बाद आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धाराएं दिनांक 25.07.2019 से लागू हो गई हैं। यह संशोधित अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार को एक सब्सिडी, हितलाभ या सेवा, जिसके लिए राज्य की समेकित निधि से व्यय हुआ है, या उससे किसी अंश को प्राप्त किया है, की प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में एक व्यक्ति विशेष की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिप्रमाणन के उपयोग को समर्थ बनाता है।

आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. किसी व्यक्ति के वास्तविक आधार नंबर को छुपाने के लिए प्राधिकरण द्वारा सृजित वैकल्पिक नंबर प्रदान करना;
2. अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों को अपना आधार नंबर रद्द करने का विकल्प देना;
3. अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन अथवा अन्य विधियों द्वारा प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार नंबर का स्वैच्छिक उपयोग प्रदान करना;
4. आधार नंबर का अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन केवल आधार नंबर धारक की संसूचित सहमति से किया जा सकता है;
5. अधिप्रमाणन करने में असमर्थ होने या मना करने पर सेवाओं के इंकार की रोकथाम;
6. अधिप्रमाणन निष्पादन में सुरक्षा उपाय एवं प्रतिबंध स्थापित करना;
7. ऑफलाइन सत्यापन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना;
8. अधिप्रमाणन को ऐसे दिशानिर्देश देने हेतु अधिकार प्रदान करना, जो आधार ईकोसिस्टम में किसी संस्था के लिए अनिवार्य समझे जाएं;
9. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि की स्थापना करना;
10. सूचना की सहभागिता पर प्रतिबंधों में संवर्धन करना;
11. सिविल दंडों, इसके अधिनिर्णय और अपील प्रदान करना;
12. आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करना;
13. तार अधिनियम, 1885 और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत स्वीकार्य केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणन हेतु आधार नंबर के उपयोग की अनुमति देना।
14. यह किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति हेतु एक

शर्त के रूप में, जिसके लिए राज्य द्वारा खर्च किया जाता है, या उससे राज्य की समेकित निधि के अंश की प्राप्ति के रूप में राज्य सरकार को आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत समर्थ बनाएगा।

आधार और अन्य कानून (संशोधित) अधिनियम, 2019 के बारे में अधिक जानकारी के लिए भाविपप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध निम्नलिखित लिंक का संदर्भ लिया जा सकता है:

https://uidai.gov.in/images/news/Amendment_Act_2019.pdf

इसके अलावा, संशोधित आधार अधिनियम लिंक

https://uidai.gov.in/images/Aadhaar_Act_2016_English.pdf

11.2 अनुलग्नक 2: आधार विनियम

निम्नलिखित विनियम और उनके संशोधन को उक्त आधार अधिनियम, 2016 और आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसरण में अधिसूचित किया जाता है:

तालिका 15 -विनियमों की सूची

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशित तिथि
1	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठक में कार्य संचालन) विनियम, 2016 - (2016 की संख्या 1)	14 सितंबर, 2016
2	आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 2)	14 सितंबर, 2016
3	आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 3) [दिनांक 9.11.2021 के आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का संख्या 2) द्वारा प्रतिस्थपित]	14 सितंबर, 2016
4	आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 4)	14 सितंबर, 2016
5	आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 5)	14 सितंबर, 2016
6	आधार (नामांकन और अद्यतन) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 1)	15 फरवरी, 2017
7	आधार (नामांकन और अद्यतन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 2)	07 जुलाई, 2017
8	आधार (नामांकन और अद्यतन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 3)	11 जुलाई, 2017
9	आधार (नामांकन और अद्यतन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 5)	31 जुलाई, 2017
10	आधार (नामांकन और अद्यतन) (पाचवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 1)	12 जनवरी, 2018
11	आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 2)	31 जुलाई, 2018

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशित तिथि
12	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 1) [आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 1) दिनांक 14.10.2021 द्वारा प्रतिस्थापित]	07 मार्च, 2019
13	आधार (नामांकन और अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 3)	09 सितंबर, 2019
14	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 की संख्या 1)	22 जनवरी, 2020
15	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (2020 का सं. 2)	22 जनवरी 2020
16	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (आठवां संशोधन) अधिनयम, 2020 (2020 की संख्या 3)	02 जुलाई, 2020
17	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 1)	14 अक्तूबर, 2021
18	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का संख्या 2)	09 नवंबर, 2021
19	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 3)	28 दिसंबर, 2021
20	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 1)	04 फरवरी, 2022
21	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (नौवां संशोधन) अधिनयम, 2022 (2022 की संख्या 2)	03 मार्च, 2022
22	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 3)	21 मार्च, 2022
23	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 5)	18 जुलाई, 2022
24	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) अधिनयम, 2022 (2022 की संख्या 6)	09 नवंबर, 2022
25	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 1)	27 फरवरी, 2023
26	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (2023 की संख्या 2)	27 फरवरी, 2023
27	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2023	26 सितंबर, 2023

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशित तिथि
28	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) संशोधन विनियम, 2023	29 सितंबर, 2023
29	आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2023	03 अक्तूबर, 2023
30	आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2023	03 अक्तूबर, 2023
31	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2024	16 जनवरी, 2024
32	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2024	25 जनवरी, 2024
33	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024	27 जनवरी, 2024
34	आधार (सूचना की सहभाजिता) संशोधन विनियम, 2024	27 जनवरी, 2024
35	आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2024	31 जनवरी, 2024
36	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2024	31 जनवरी, 2024
37	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के दिनांक 31 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच.II(ई), हिंदी संस्करण के लिए शुद्धिपत्र	09 फरवरी, 2024

उपर्युक्त विनियम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की दैनिक कार्यप्रणाली में सहायता करते हैं। ये विनियम भाविपप्रा की वेबसाइट https://uidai.gov.in/about-uidai/legal-framework/regulations.html पर उपलब्ध हैं।

11.3 अनुलग्नक 3: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची

पांच वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

✓ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	बच्चे के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज
• **नामांकन प्रकार I : परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन**			
1.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत और उसके अंतर्गत बनाये नियमों के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र	✓	✓
2.	वैध भारतीय पासपोर्ट (केवल एनआरआई के लिए लागू)	✓	✓
3.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	✓	✗
• **नामांकन प्रकार II: दस्तावेज आधारित नामांकन**			
क्र.सं	**दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)**	**नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज**	**नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज**
4.	अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/मान्यताप्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख द्वारा भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्र (केवल आश्रय ग्रह या अनाथालय से संबंधित बच्चों के लिए)।.	✓	✓
• **ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारकों, नेपाल और भूटान के नागरिकों और नामांकन चाहने वाले अन्य विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज**			
5.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड, उन निवासियों के लिए जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में रह रहे हों।	✓	✗*
6.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त) के साथ वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज।	✓	✗*
7.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा जारी किया जाता है, जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हों।	✓	✗*
8.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में, निम्नलिखित दोनों दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : क. नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र ख. 182 या अधिक दिनों भारत में निवासरत के लिए, भारत नेपाली मिशन/ रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र	✓	✗*

* आधार नामांकन (पांच वर्ष से अधिक) के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची में पते के प्रमाण के रूप में दस्तावेज लागू होंगे।

नोट :

उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत - :

(क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);

(ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;

(ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या भाविपप्रा को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और

(घ) पहचान, पते, जन्मतिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
(ख) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षक परिवार का मुखिया बन सकता है।
(ग) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए।
(घ) एचओएफ आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
(ङ) पीओआर दस्तावेज में बच्चे और एचओएफ के नाम उल्लेख होना चाहिए।
(च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा ।
(छ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बच्चे के आधार में किया जाएगा।
(ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
(झ) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
(ञ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।
(ट) एचओएफ को बच्चे के नाम पर जारी पहचान के सबूत (पीओआई) निम्न दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :
(i) भारतीय पासपोर्ट
(ii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/फोटो युक्त प्रमाण-पत्र यथा अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र आदि।
(iii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र।
(iv) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र।

पांच वर्ष या उससे से अधिक आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्मतिथि को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

✓ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है

क्र. सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज	बच्चे के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	✓	✗	✗	✗
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	✗
4.	मतदाता पहचान पत्र/ ई-मतदाता पहचान पत्र	✓	✓	✗	✗
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	✗	✗	
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार /पीएसयू/ नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	✗	✗	✓
7.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश	✓	✗	✓	✓
8.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार / पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस / ईसीएचएस / ईएसआईसी / मेडी-क्लेम कार्ड	✓	✗	✗	✗
9.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाणपत्र	✓	✓	✗	✗
10.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाण-पत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	✓	✓	✓	✗
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र।	✓	✓	✓	✗
12.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यताप्राप्त शैक्षिक बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद् विश्वविद्यालय या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मार्क-शीट / प्रमाणपत्र	✓	✗	✓	✓

13.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाणपत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का सबूत है। पासबुक में दर्शायें गए पते के संबंध में पते का सबूत बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✓	✓	✗	✗
14.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड/ प्रमाण-पत्र	✓	✓	✓	✓
15.	भाविपप्रा मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्र :				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	✗	✓	✗	✗
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अधिकारी	✗	✓	✗	✗
	(iii) तहसीलदार/ राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	✗	✓	✗	✗
	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में)	✓	✓	✗	✗
	(v) अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता-प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल आश्रय गृह या अनाथालय से संबंधित बालकों/ बालिकाओं के लिए)	✓	✓	✗	✗
	(vi) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए).	✗	✓	✗	✗
	(vii) ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	✗	✓	✗	✗
16.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
17.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
18.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/ पोस्टपेड मोबाइल बिल/ ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
19.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख/पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/पट्टा करार/ अवकाश और लाइसेंस करार।	✗	✓	✗	✗
20.	गैस कनेक्शन बिल (3 महीनों से पुराना न हो)	✗	✓	✗	✗
21.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
22.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	✗	✓	✗	✗

23.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	✗	✗	✓	✓
24.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	✗	✗	✓	✗
25.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	✗	✗
26.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	✗	✗	✓	✗
	भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई), या दीर्घकालिक वीजा धारकों, नेपाल और भूटान के नागरिकों और नामांकन चाहने वाले अन्य विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज				
27.	निवासी जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हैं, के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड	✓	✗	✗	✗
28.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✓	✓	✗	✗
29.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का वैध पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- (क) वैध नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र (ख) नेपाल/भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (ग) भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सबूत पत्र	✓	✗	✗	✗
30.	जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत अन्य निवासी विदेशी नागरिकों के लिए जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा।	✓	✗	✗	✗
31.	निवासी विदेशी नागरिकों के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) / विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई कार्ड धारक, एलटीवी दस्तावेज धारक और नेपाल/भूटान के नागरिक को छोड़कर)	✗	✓	✗	✗

नोट :

उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत :–

(क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);

(ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;

(ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या भाविपप्रा को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और

(घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्षित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है ;

(ख) एक दस्तावेज को पहचान के सबूत (पीओआई) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होगा ;

(ग) एक दस्तावेज को पते के सबूत (पीओए) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और पता शामिल होगा।

(घ) एक दस्तावेज को पहचान का सबूत (पीओआई) और पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज दोनों में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम, फोटो और पता शामिल होगा।

(ङ) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(च) सभी पीओआई, पीओए और डीओबी दस्तावेज व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन नहीं किए जा सकते है ।

(छ) यदि व्यक्ति के पास पीओआई और पीओए दस्तावेज नहीं हैं तो परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा।

(ज) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पहले एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान एचओएफ को व्यक्ति के साथ मौजूद रहना होगा।

(झ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।

(ञ) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक मान्य होगा। हालाँकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ट) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ठ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक वैध होगा।

(ड) सभी दस्तावेज नवीनतम और वैध होने चाहिए (अन्यथा विनिर्दिष्ट को छोड़कर)

किसी भी आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

✓ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज	बच्चे के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) दस्तावेज
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓*
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	✓	X	X	X
3.	राशन / पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड / ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	X
4.	मतदाता पहचान पत्र/ई-मतदाता पहचान पत्र, जिसका ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है।	✓	✓	X	X
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	X	X	X
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	X	X	✓*
7.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	X	✓	✓*
8.	किसान फोटो पासबुक	✓	✓	X	X
9.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / द्वारा जारी सीजीएचएस / ईसीएचएस/ईएसआईसी/मेडी-क्लेम कार्ड	✓	X	X	X
10.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाणपत्र	✓	✓	X	X
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाणपत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाणपत्र, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि	✓	✓	✓	X

12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त / बिना फोटो का विवाह प्रमाणपत्र (बिना फोटो के विवाह प्रमाणपत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम और फोटो समर्थित पीओआई दस्तावेज की आवश्यकता है)	✓	✓	✓	✗
13.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एसटी / एससी / ओबीसी प्रमाणपत्र।.	✓	✓	✓	✗
14.	स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी) / स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)	✓	✗	✗	✗
15.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/ प्रमाणपत्र	✓	✗	✓	✓*
16.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाणपत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का सबूत है। पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का सबूत बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✓	✓	✗	✗
17.	अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरबीआई द्वारा अधिसूचित) की पासबुक, जिसमें नाम और फोटोग्राफ (बैंक की सील सहित क्रॉस स्टैम्प) हो तथा बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर हो / डाकघर की बचत खाता पासबुक (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी की मुहर सहित)	✗	✓	✗	✗
18.	बैंक खाता विवरण / क्रेडिट कार्ड विवरण (जारीकर्ता बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक स्टैम्प सहित) / डाकघर बचत खाता विवरण (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित) (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	✗	✓	✗	✗
19.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड / प्रमाण-पत्र	✓	✓	✓	✓*

20.	भाविपप्रा मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र :				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	✗	✓	✗	✗
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह ह्यएह्ल/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधिकारी	✗	✓	✗	✗
	(iii) तहसीलदार / राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	✗	✓	✗	✗
	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में)	✓	✓	✗	✗
	(v) अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता-प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल बच्चों के लिए संबंधित आश्रय ग्रह या अनाथालय)	✓	✓	✗	✗
	(vi) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	✗	✓	✗	✗
	(vii) ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	✗	✓	✗	✗
21.	बिजली का बिल (प्रीपेड /पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
22.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
23.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗

24.	संपत्ति कर रसीद (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
25.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध / पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख / पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार /पट्टा करार/ अवकाश और लाइसेंस करार	✗	✓	✗	✗
26.	गैस कनेक्शन बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
27.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	✗	✓	✗	✗
28.	जीवन / चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	✗	✓	✗	✗
29.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	✗	✗	✓	✓
30.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	✗	✓	✗	✗
31.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	✗	✗
32.	परिवार के मुखिया (एचओएफ) यह प्रमाणित करते हुए स्व-घोषणा कि वह व्यक्ति एचओएफ के साथ उसी पते पर रह रहा है, केवल एचओएफ के पते के मामले में वैध (केवल एचओएफ के इमिडिएट परिवार के सदस्य/ सदस्यों के पते के अद्यतीकरण के संबंध में उपयोग हेतु)	✗	✓	✗	✗
33.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	✗	✓	✗	✗

भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई), या दीर्घकालिक वीजा धारकों, नेपाल और भूटान के नागरिकों और नामांकन चाहने वाले अन्य विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज					
34.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड	✓	✗	✗	✗
35.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✓	✓	✗	✗
36.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं : (क) नेपाली / भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र (ख) नेपाल / भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (ग) भारत में नेपाली मिशन / रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र	✓	✗	✗	✗
37.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा जारी किया जाता है	✓	✗	✗	✗
38.	विदेशी नागरिक को विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)/विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई कार्ड धारकों, एलटीवी दस्तावेज धारकों और नेपाल / भूटान नागरिकों को छोड़कर)	✗	✓	✗	✗
नाम, लिंग और जन्म तिथि (डीओबी) के अपवादात्मक मामलों के लिए लागू दस्तावेज					
39.	नाम परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : नए नाम की राजपत्र अधिसूचना, फोटो सहित पुराने नाम के किसी समर्थित पीओआई दस्तावेज (पहले/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए) / तलाक की डिक्री / गोद लेने का प्रमाणपत्र / विवाह प्रमाणपत्र के सहित	✓	✗	✗	✗
40.	लिंग परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : यदि निवासी ने सर्जरी द्वारा लिंग बदला है तो सर्जन से चिकित्सा प्रमाणपत्र	✓	✗	✗	✗
41.	जन्मतिथि परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	✗	✗	✗	✓

नोट : उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत : —

(क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);

(ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;

(ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या भाविपप्रा को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और

(घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

(ख) *0-18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की जन्म तिथि अद्यतीकरण के लिए संबंधित राज्यों के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

(ग) एक दस्तावेज को पहचान के सबूत (पीओआई) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होगा।

(घ) एक दस्तावेज को पते के सबूत (पीओए) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और पता शामिल होगा।

(ङ) एक दस्तावेज को पहचान का सबूत (पीओआई) और पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज दोनों में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम, फोटो और पता शामिल होगा।

(च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(छ) पीओआई, पीओए और पीडीबी दस्तावेज व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन नहीं किए जा सकते हैं

(ज) पीओआई और पीओए दस्तावेज नहीं हैं तो परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा।

(झ) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पहले एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान एचओएफ को व्यक्ति के साथ मौजूद रहना होगा।

(ञ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।

(ट) बच्चे (0-5 वर्ष) के मामले में आधार में नाम "बेबी ऑफ..." है तो, पहली बार पूर्ण नाम अद्यतन के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी, जो उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाएगा।

(ठ) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए आधार अपडेट केवल आधार वयस्क नामांकन केंद्रों पर किया जाएगा।

(ड) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक मान्य होगा। हालाँकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ढ) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ण) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक वैध होगा।

(त) जन्मतिथि परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा देखें — [#]

(थ) कृपया अपवाद हैंडलिंग तंत्र देखें— [##]

(द) अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले की उचित पड़ताल के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।

(ध) सभी दस्तावेज नवीनतम और वैध होने चाहिए (अन्यथा विनिर्दिष्ट को छोड़कर) ;] और

#- https://uidai.gov.in/images/SOP_for_DOB_update.pdf

##- https://uidai.gov.in/images/Biometric_exception_guidelines_01-08-2014.pdf

11.4 अनुलग्नक 4 : 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार परिपूर्णता रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार परिपूर्णता 31 मार्च, 2024				
क्र.सं.	राज्य का नाम	"कुल आबादी (परियोजित 2023-24)*"	समनुदेशित आधार की संख्या (लाइव)	"परिपूर्णता % (लाइव)"
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,03,000	3,88,890	96.50%
2	आंध्र प्रदेश	5,31,56,000	5,26,26,317	99.00%
3	अरूणाचल प्रदेश	15,62,000	12,45,104	79.71%
4	असम	3,57,13,000	3,21,13,046	89.92%
5	बिहार	12,67,56,000	11,18,81,003	88.26%
6	चंडीगढ़ **	12,31,000	11,74,860	95.44%
7	छत्तीसगढ़	3,01,80,000	2,87,65,180	95.31%
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव **	6,50,880	6,03,853	92.77%
9	दिल्ली	2,13,59,000	2,29,84,394	107.61%
10	गोवा	15,75,000	16,36,370	103.90%
11	गुजरात	7,15,07,000	6,62,14,363	92.60%
12	हरियाणा	3,02,09,000	3,06,80,238	101.56%
13	हिमाचल प्रदेश	74,68,000	78,39,933	104.98%
14	जम्मू कश्मीर	1,36,03,000	1,18,84,080	87.36%
15	झारखंड	3,94,66,000	3,62,06,488	91.74%
16	कर्नाटक	6,76,92,000	6,60,19,142	97.53%
17	केरल	3,57,76,000	3,77,70,408	105.57%
18	लद्दाख	3,00,000	2,45,701	81.90%
19	लक्षद्वीप	69,000	75,419	109.30%%
20	मध्य प्रदेश	8,65,79,000	7,96,57,326	92.01%
21	महाराष्ट्र	12,63,85,000	12,02,46,223	95.14%
22	मणिपुर	32,23,000	26,60,167	82.54%
23	मेघालय	33,49,000	26,01,780	77.69%
24	मिजोरम	12,38,000	12,14,165	98.07%
25	नागालैंड	22,33,000	13,90,939	62.29%
26	ओडिशा	4,62,76,000	4,44,20,218	95.99%
27	पुदुचेरी**	13,76,974	13,03,647	94.67%
28	पंजाब	3,07,30,000	3,15,52,345	102.68%
29	राजस्थान	8,10,25,000	7,66,59,030	94.61%
30	सिक्किम	6,89,000	5,81,705	84.43%
31	तमिलनाडु	7,68,60,000	7,52,73,939	97.94%
32	तेलंगाना	3,80,90,000	3,94,43,276	103.55%
33	त्रिपुरा	41,47,000	38,05,493	93.60%
34	उत्तर प्रदेश	23,56,87,000	22,25,39,503	94.42%
35	उत्तराखंड	1,16,37,000	1,17,73,318	101.17%
36	पश्चिम बंगाल	9,90,84,000	9,89,18,551	99.83%
योग		**1,38,72,84,855**	**1,32,44,72,520**	**95.47%**

*आरजीआई डेटा के अनुसार
**दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के कार्यालय से दिनांक 02 नवंबर 2021 के पत्र सीओएल/आधार-अवेयरनेस/2021-22 के जरिए प्राप्त जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के दिनांक 17.12.2021 के पत्र आरओ-सीएचडी-17020/4/2020-आरओ-सीएचडी के जरिए प्राप्त चंडीगढ़ की संशोधित जनसंख्या सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के दिनांक 27.12.2021 के पत्र के जरिए प्राप्त पुदुचेरी जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित

12. लघुरूपण

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एबीआईएस	स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली
एईए	आधार समर्थित ऐप्लिकेशन
एईके	आधार नामांकन किट
एईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणाली
एएचसी	आधार आवासीय परिसर
एआई	कृत्रिम आसूचना
एआईडीएस	उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम
एआईआर	आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो)
ए एंड एन	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
एएमसी	वार्षिक अनुरक्षण लागत
एपीबी	आधार भुगतान ब्रिज
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एएसए	अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी
एएसके	आधार सेवा केंद्र
एटीसी	वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
एयूए	अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी
बी2सी	व्यवसाय से उपभोक्ता
बीई	बजट अनुमान
बीजीपी	बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल
भीम	भारत इंटरफेस फॉर मनी
बीएमजीएफ	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
बीओसी	व्यवसाय संचालन समिति
बीओआई	बैंक ऑफ इंडिया
बीओआई	आप्रवासन ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन)
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीपीओ	बिजनेस-प्रोसेस ऑउटसोर्सिंग
बीएसकेवाई	बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसपी	बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता
सीएजी	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
सीएपीएस	केंद्रीकृत ऐक्सेस और विशेषाधिकार निगरानी प्रणाली
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीएफ	संपर्क केंद्र फर्म
सीडीए	कंटेंट डेवलपमेंट एजेंसी
सीडीएसी	प्रगत संगणन विकास केंद्र
सीईएलसी	बाल नामांकन लाइट क्लाइंट
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीएफआई	भारत की समेकित निधि
सीजी	छत्तीसगढ़
सीजीएचएस	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
सीआई	चैनल इंटरफेस़
सीआईसी	केंद्रीय सूचना आयोग
सीआईडीआर	केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी
सीआईआई.	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएसएफ	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सीपीजीआरएएमएस	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली
सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीआरएम	ग्राहक संबंध प्रबंधन
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसएस	कैस्केडिंग स्टाइल शीट
सीटीसी	कंपनी की लागत
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीवीओ	प्रमुख सतर्कता अधिकारी
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीजी	उपमहानिदेशक
डीडी	उपनिदेशक
डीडीओ	आहरण और संवितरण अधिकारी
डीईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीईडब्ल्यूजी	डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह
डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएल	ड्राइविंग लाइसेंस
डीएलसी	डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
डीएमएस	दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
डीओबी	जन्मतिथि
डीओआईटीसी	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओपी	डाक विभाग
डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीपीआई	डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
डीपीयू	डेटा प्रोसेसिंग यूनिट
ई एंड यू	नामांकन एवं अद्यतन
ईए	नामांकन एजेंसी
ईएसी	आर्थिक सलाहकार परिषद
ईसीएचएस	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
ईसीएमपी	नामांकन ग्राहक बहुविध प्लेटफार्म
ईजीओएम	मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह
ईआईडी	नामांकन पहचान
ईआईएल	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
ईएमडी	जमा बयाना राशि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीआईसी	मतदाता फोटो पहचान पत्र
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
एफएक्यू	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
एफडी	मियादी जमा
एफआईआर	फिंगरप्रिंट इमेज रिकार्ड
एफएमआर	फिंगर मिनुटिया रिकॉर्ड
एफआरओ	विदेशी पंजीकरण कार्यालय
एफआरआरओ	विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी
एफवाई	वित्त वर्ष
जी2सी	सरकार-से-नागरिक
जीएफएफ	ग्लोबल फिनटेक फेस्ट
जीआईए	सहायता अनुदान
जीआईजीडब्ल्यू	भारत सरकार वेबसाइट दिशानिर्देश
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जीपीयू	ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
जीआरसीपी	शासन जोखिम अनुपालन और निष्पादन
जीआरसीपी-एसपी	संचालन, जोखिम, अनुपालन और निष्पादन-सेवा प्रदाता
जीआरआईएचए (गृहा)	एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग
जीएसटी	माल और सेवा कर
जीएसडब्ल्यूएस	ग्राम सचिवालय और वार्ड सचिवालय
जीटीबी	गो-टू-बिजनेस
जीवीडब्ल्यूवी	ग्राम वालंटियर/वार्ड वालंटियर
एचबीए	गृह निर्माण अग्रिम
एचसीएल	हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड
एचसीओ	स्वास्थ्य सेवा संगठन
एचडी	हाई डेनसिटी
एचडीसी	हेब्बल डेटा केंद्र
एचओएफ	परिवार का मुखिया
एचओ	प्रधान कार्यालय
एचआर	मानव संसाधन
एचआरएमएस	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
एचटीएमएल	हाइपरटेक्सट मार्कअप लैंगुएज
एचयूएल	हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड
आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईबीए	भारतीय बैंक एसोसिएशन
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईसीटी	सूचना व संचार तकनीक
आईडी	पहचान दस्तावेज
आईईसी	अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईएफएससी	भारतीय वित्त व्यवस्था संहिता
आईआईआईटी	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईओएस	आईफोन प्रचालन प्रणाली
आईपीपीबी	भारतीय डाक भुगतान बैंक
आईआरडीए	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
आईएस	सूचना सुरक्षा
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
आईवीआर	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस
आईवीआरएस	परस्पर स्वर प्रतिक्रिया प्रणाली
जेएंडके	जम्मू और कश्मीर
जेएएम	जन-धन आधार और मोबाइल
जेडी	कार्य विवरण
केएम पोर्टल	ज्ञान और प्रबंधन पोर्टल
केएमएस	ज्ञान प्रबंधन प्रणाली
केएसआईआईडीसी	कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम
केयूए	ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
एलईए	विधिक प्रवर्तन एजेंसी
एलडी	परिनिर्धारित नुकसानी
एल एंड डीओ	भूमि और विकास अधिकारी
एलआईसी	जीवन बीमा निगम
एलएमएस	लर्निंग प्रबंधन प्रणाली
एलपीजी	रसोई गैस
एलटीसी	छुट्टी यात्रा रियायत
एलटीवी	दीर्घकालिक वीजा
एमबीयू	अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन
एमडीसी	मानेसर डेटा केंद्र
एमडीडी	मैनुअल डी-डुप्लीकेशन
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमएल	मशीन लर्निंग
एमएलए	विधान सभा सदस्य/विधायक
एमएलसी	विधान परिषद सदस्य
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्लूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमपी	संसद सदस्य/सांसद
एमआरएस	चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना
एमटीओ	बहु-कार्य प्रचालक

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एमएसएपी	प्रबंधित सेवा अनुप्रयोग प्रदाता
एमएसआईपी	प्रबंधित सेवा अवसंरचना प्रदाता
एमएसपी	प्रबंधित सेवा प्रदाता
एनएबीएल	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
एनएसीओ	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीसीसी	राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र
एनसीआईआईपीसी	राष्ट्रीय महत्वूपर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनएचए	राष्टीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईआईएफ	राष्ट्रीय व्यय और अवसंरचना निधि
एनआईएसजी	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीआर	राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनआरडी	अनिवासी जमा
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
ओएसी	आर्डर आधार कार्ड
ओएई	अन्य प्रशासनिक व्यय
ओएआर	आर्डर आधार रिप्रिंट
ओसीआई	भारत के प्रवासी नागरिक
ओडी	ओवर ड्रॉफट
ओडीएफ	ओपन डेटा फॉरमेट
ओई	कार्यालयी व्यय
ओएल	राजभाषा
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओटीपी	वन टाईम पासवर्ड
ओएस	ऑपरेटिंग सिस्टम
ओएसडी	विशेष कार्य अधिकारी
पीएएचएएल	प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीबीएक्स	निजी शाखा विनिमय
पीसीएच	पूर्व-सत्यापित हार्डवेयर
पीडीबी	जन्मतिथि का प्रमाण
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीआईडी	कैदी प्रेरण दस्तावेज
पीआईडीपीआई	जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण
पीएलए	स्थायी लोक अदालत
पीएम	प्रधान मंत्री
पीएम-आवास (यू)	प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी
पीएम-जय	प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना
पीएमएमएवीवाई	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन यूनिट
पीओए	पते का प्रमाण
पीओबी	जन्म का प्रमाण
पीओसी	अवधारणा का प्रमाण
पीओआई	पहचान का प्रमाण
पीओएसएच	यौन उत्पीड़न की रोकथाम
पीओआर	रिश्ते का प्रमाण
पीओएस	बिक्री केंद्र
पीपीए	सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवीसी	पोलीविनाइल क्लोराइड
क्यूसी	गुणवत्ता जांच
क्यूआर	त्वरित प्रतिक्रिया
आरएएस	त्वरित मूल्यांकन व्यवस्था
आरएजेएसएसपी	राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरडी	पंजीकृत उपकरण
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीआई	भारत के महापंजीयक
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
आरएसबीवाई	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससी	उच्चतम न्यायालय
एसडीएस	सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज
एसडीएन	सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क
एसआईएम	ग्राहक पहचान मॉड्यूल
एसजेईडी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
एसएलएम	स्ट्रेट लाइन मेथड/सीधी रेखा पद्धति
एसएलसी	स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसओ	राज्य कार्यालय
एसएसयूपी	स्व सेवा अद्यतन पोर्टल
एसटीक्यूसी	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण पत्र
टीए	यात्रा भत्ता
टीसी	स्थानांतरण प्रमाणपत्र
टीसीए	परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीईई	विश्वसनीय निष्पादन पर्यावरण
टीएफएन	टॉल फ्री नंबर
टीओई	अनुबंध की शर्तें
टीपीएम	विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मॉड्यूल
टीएसए	राजकोषीय एकल खाता
टीएसपी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
टीएसयू	तकनीकी सहायता यूनिट
यूसीएफएफआईएल	यूआईडीएआई साइबर फोरेंसिक धोखाधड़ी जांच प्रयोगशाला
यूएचडी	अल्ट्रा हाई डेनसिटी
यूआईडी	विशिष्ट पहचान
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूएमएएनजी	यूनिफाइड मोबाइल ऐप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस
यूपीसीआईडीसीओ	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम
यूआरएन	अद्यतन अनुरोध संख्या
यूटी	संघ राज्य-क्षेत्र
यूटीआईआईएसएल	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड
यूएक्स	उपयोगकर्ता अनुभव

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
वीआईडी	वर्चुअल आईडी
वीएसडब्ल्यू	ग्राम सचिवालय/वार्ड सचिवालय
डब्ल्यू3सी	वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम
एक्सएमएल	एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
बंगला साहिब मार्ग,
नई दिल्ली, 110 001

www.uidai.gov.in

UIDAI Aadhaar aadhaar_official Aadhaar UIDAI aadhaar_official